ध्येय IAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 03 | फरवरी 2023 / Issue 01 | मूल्य : ₹ 55

dhyeyaias.com

भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार: कारण और समाधान की राहें

भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति पर प्रश्नचिह्न है जोशीमठ का भू-धंसाव

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति की शुरुआत से भारत को होने वाले फायदे

भारत में मनी लांड्रिंग से निपटने के लिए बढ़ती सक्रियता: चुनौती और समाधान

भारत में हेट स्पीच का प्रभाव और उसके विनियमन की जरूरत

बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तथा न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद

भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और नीतिगत उपायों की आवश्यकता

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

इस अंक में...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन : डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
: ऋषिका, नितिन
: ऋतु, प्रत्यूषा
: नीरज, अदनान
: सल्तनत, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षा सहयोग : शशांक शेखर त्रिपाठी
आवरण सज्जा एवं विकास : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : मो. वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू
: चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-21

1. भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार: कारण और समाधान की राहें
2. भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और नीतिगत उपायों की आवश्यकता
3. भारत में हेट स्पीच का प्रभाव और उसके विनियमन की जरूरत
4. राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति की शुरुआत से भारत को होने वाले फायदे
5. भारत में मनी लांड्रिंग से निपटने के लिए बढ़ती सक्रियता: चुनौती और समाधान
6. भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति पर प्रश्नचिह्न है जोशीमठ का भू-धंसाव
7. बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तथा न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद

राष्ट्रीय 22-25
अंतर्राष्ट्रीय 26-29
पर्यावरण 30-33
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-37
आर्थिकी 38-41
विविध 42-46
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 47-50
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 51
ब्रेन-बूस्टर 52-58
प्रीलिम्स स्पेशल 2023
➢ पर्यावरण और पारिस्थितिकी 60-77
➢ प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 78-83
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 84-85
व्यक्तित्व 86

आगामी अंक में

- ➢ सिंधु जल समझौते की प्रासंगिकता और भारत का दृष्टिकोण
- ➢ भारत में सहकारी समितियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता
- ➢ भारत की नौसेना को मजबूती देने पर बन रही रणनीतियां
- ➢ स्वदेशी टीकों को विकसित करने की दिशा में बढ़ता भारत
- ➢ शहरी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जरूरत
- ➢ पूर्वोत्तर भारत के बहुआयामी विकास के चलते उग्रवाद में बड़े पैमाने पर कमी
- ➢ भारत में आय की विषमता का सामाजिक आर्थिक प्रभाव

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

अन्तर्राष्ट्रीय

भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार: कारण और समाधान की राहें

चीन के कस्टम विभाग द्वारा जनवरी, 2023 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित नए आँकड़ें जारी किए गए हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि साल 2022 में दोनों देशों के बीच 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा भी पहली बार 100 अरब डॉलर के नए स्तर को पार कर गया है। वहीं 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125.62 अरब डॉलर था। चीन के कस्टम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट कहती है कि भारत को होने वाले चीनी सामान के निर्यात में साल 2022 में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 118.5 अरब डॉलर हो गया है। इससे ये भी पता चलता है कि सीमा पर तनाव के बीच चीन से आयात कम करने के दबावों के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। साल 2022 में चीन को भारत से होने वाले निर्यात में 37.9 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज हुई है और यह 17.48 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है।

भारत-चीन व्यापार की प्रकृति और व्यापार असंतुलन का कारण:

- भारत और चीन ने 1962 के युद्ध के बाद आधिकारिक स्तर पर अपने आर्थिक संबंधों को वर्ष 1978 में पुन: स्थापित किया। 1984 में दोनों देशों ने 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' समझौते पर हस्ताक्षर किया जो व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौते (गैट्स) के तहत मुक्त व्यापार तथा व्यापार में गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 1994 में दोनों देशों के मध्य दोहरे करारोपण से परिहार समझौता संपन्न किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन ने वर्ष 2018 में दोहरे कराधान से बचने तथा आयकरों के संदर्भ में वित्तीय अनियमितता की रोकथाम के लिए दोहरी कर वंचना समझौते (डीटीएए) में संशोधन के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। अन्य बदलावों के अलावा, इस सहमति पत्र में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में सूचना के आदान-प्रदान के लिये मौजूदा प्रावधानों को अद्यतन किया गया है। इसके अलावा, इस सहमति पत्र में बेस इरोजन एंड प्रोफिट सिफ्टिंग (बीईपीएस) प्रोजेक्ट की कार्यशील रिपोर्ट के तहत, न्यूनतम मानदंडों को लागू करने के लिए आवश्यक बदलावों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत ने समान रूप से भागीदारी की थी। इस संधि में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर कई बदलाव किये गये हैं।
- वर्ष 2000 में दोनों देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार महज 2.92 बिलियन डॉलर था, जो 2010 में बढ़कर 61.7 बिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही चीन वस्तुओं के व्यापार के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। इससे पूर्व 2008 में 51.8 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ चीन, अमेरिका को प्रतिस्थापित करते हुए वस्तुओं के व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना था। 2008 में आयी वैश्विक आर्थिक मंदी ने दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव डाला और 2009 तक दोनों के द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 17 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह 43.27 बिलियन डॉलर हो गया था।
- वर्ष 2018 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 95.54 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2009 में दोनों देशों ने 2015 तक 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा था। भारत और चीन के मध्य व्यापार के संबंध में सबसे बड़ी समस्या व्यापार घाटे की है। इस द्विपक्षीय व्यापार में भारत व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, जिसका आशय है कि भुगतान संतुलन चीन के पक्ष में है। 2018 में यह घाटा 57.86 बिलियन डॉलर था, जबकि 2019 में यह 56.77 बिलियन डॉलर था। इसका आशय है कि भारत में चीनी वस्तुओं का आयात ज्यादा किया गया है और चीन के बाजारों में भारत का निर्यात कम रहा है। वर्ष 2019 में चीन ने भारत को 74.72 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात किया, जबकि आयात मात्र 17.5 बिलियन डॉलर का किया। इससे स्पष्ट है कि भारत और चीन के आर्थिक संबंधों में व्यापारिक घाटा एक चुनौती के रूप में लगातार मौजूद रहा है। चीन ने हाल ही में कहा है कि वह भारत के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का चीनी बाजारों में स्वागत करता है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत चीन अनौपचारिक समिट, 2019 जो चेन्नई में हुआ था, उसने आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी क्रम में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ चीन के प्रतिनिधि ने कहा था कि आर्थिक संबंधों को मजबूती देने और सहयोग को बढ़ाने से संतुलित व्यापारिक विकास होगा। व्यापारिक घाटा अथवा व्यापार असंतुलन भारत और चीन के आर्थिक संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत का दुनिया में किसी भी देश के साथ इतना बड़ा व्यापार घाटा नहीं है जितना चीन के साथ है। घाटे का आकार जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती इस घाटे का वर्ष दर वर्ष बढ़ना है। इसलिए दोनों देशों ने व्यापार निवेश और सेवाओं के मुद्दे पर व्यापक सुधार करने पर सहमति बनाई है।
- भारत और चीन के आर्थिक संबंधों को देखा जाए तो पता चलता है कि भारत, चीन से जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें शामिल है, विद्युत संयंत्र और उससे संबंधित उपकरण, साउंड रिकॉर्डर तथा रीप्रोड्यूसर्स, टेलीविजन, मशीनरी एण्ड मैकेनिकल उपकरण, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक व संबंधित वस्तुएं, जहाज, लोहा तथा इस्पात उर्वरक, ऑप्टिकल्स, फोटोग्राफिक और सिनेमैटोग्राफिक वस्तुएं जबकि भारत द्वारा चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में देखें तो उसमें शामिल है कपास, अयस्क, धात्विक चट्टानों के अवशेष, राख, ऑर्गेनिक केमिकल, खनिज ईंधन, खनिज तेल, लवण, सल्फर और स्टोन, प्लास्टरिंग मेटीरियल्स, लाइम व सीमेंट, ब्वॉयलर्स, एनिमल, वेजिटेबल फैट्स तथा प्लास्टिक आदि।

- चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे का एक प्रमुख कारण यह है कि चीन के बाजार में भारत के कई कृषि उत्पादों, पशुओं का आहार, तेल, बीज, दुग्ध उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की चीन के बाजारों तक पहुंच नहीं है। हाल के समय में भारतीय चावल, रेपसीड मील, फिशमील, फिश ऑयल और तंबाकू के चीन को निर्यात करने के उद्देश्य से प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। मार्च, 2018 में आर्थिक संबंधों पर भारत-चीन संयुक्त समूह के 11वें सत्र की बैठक में भारत के व्यापारिक घाटे को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। जिन वस्तुओं पर चीन ने भारी प्रशुल्क लगा रखा है और जिनके चलते भारत को व्यापार घाटे का लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है उसमें शामिल हैं: तम्बाकू (लगभग 30 प्रतिशत), शुगर उत्पाद (25.17 प्रतिशत), मोटे अनाज (लगभग 22 प्रतिशत), उर्वरक (14.4 प्रतिशत) आदि।
- भारत ने अपने व्यापार घाटे के बारे में चीन को स्पष्ट किया है कि भारत कुछ वस्तुओं के लिए चीन के बाजार में और ज्यादा पहुंच हासिल करना चाहता है। चूंकि भारत में बड़े पैमाने पर दवाईयां बनती हैं जिसमें भारत का विश्व में एक प्रतिष्ठित स्थान है, यदि चीन भारत को अनुमति दे तो भारत चीन को दवाईयां बेच सकता है, आईटी सेवाएं दे सकता है, इंजीनियरिंग की सेवाएं दे सकता है। इसके अलावा चावल, चीनी, कई तरह के फल और सब्जियां, मांस उत्पाद, सूती धागा तथा कपड़ा भी निर्यात कर सकता है। चीन करीब 450 अरब डॉलर का इलेक्ट्रिकल मशीनरी, 97 अरब डॉलर का मेडिकल उपकरण और 125 अरब डॉलर का लौह अयस्क आयात करता है। भारत को इनके उत्पादन और निर्यात पर जोर देना होगा। भारत के पास कुशल पेशेवरों की अधिकता है। आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में भी भारत की संस्थाएं शानदार हैं, जिन्हें चीन से जोड़ना होगा। चीन से मुकाबला हेतु भारत को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करने वाले देश के रूप में पहचान बनानी होगी। भारत को अगर 2024 तक पांच ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनना है, तो भारतीय निर्यात दर को 20 प्रतिशत के दर पर ले जाना होगा, जो चुनौतीपूर्ण होगा।
- भारत और चीन के व्यापारिक संबंधों में भारत को लगातार हो रहे व्यापारिक घाटों के कारणों को देखें तो पता चलता है कि भारत चीन को कच्चा माल बेचने का काम करता है, जबकि वहां से आयात में भारत ज्यादातर रेडिमेड प्रोडक्ट खरीदता है। चीन से भारत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है। ये केमिकल भारत के फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम हैं जिससे भारत में दवाएं बनाई जाती हैं लेकिन उनकी ओरिजिनल सामग्री चीन से ही आती है जिसे एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) कहते हैं।
- भारत में दवाईयों के विनिर्माण के लिए लगभग 70 प्रतिशत एपीआई (दवाईयां बनाने के लिए रॉ मटीरियल) चीन से आयात किए जाते हैं, वहीं कुछ जीवन रक्षक एंटीबायोटिक दवाओं जैसे सेफलोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन के लिये भारत की चीन पर निर्भरता लगभग 90 प्रतिशत है। इसके चलते चीन को बड़े पैमाने पर भारतीय विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और हेल्थ परचेज के चलते भारत का इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। दूसरी ओर भारत, चीन को बड़े पैमाने पर कॉटन, आयरन एंड स्टील, आर्टिफिशियल फूल, अयस्क, स्लैग, राख और ऑर्गेनिक केमिकल निर्यात करता है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर चीन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। साल 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3 हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन और दूसरी कई चीजें शामिल हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत हो जाये और उसका तकनीकी कौशल बढ़ जाये तो भारत को बड़े व्यापारिक घाटों से निपटने में सहायता मिल सकती है।

चीन पर व्यापारिक निर्भरता घटाने और स्वदेशी उद्योग को मजबूत करने की जरूरत:

- वित्त वर्ष 2014-15 से स्वदेशी उत्पादों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करके चीन से आयात घटाने के प्रयास हो रहे हैं। इस कड़ी में वर्ष 2019 और 2020 में चीन से तनाव के कारण भारत के प्रति चीन की आक्रामकता और विस्तारवादी नीति सामने आने के बाद से स्थानीय उत्पादों के उपयोग की लहर देश भर में बढ़ती हुई दिखाई दी है। देश भर में चीनी सामान के जोरदार बहिष्कार और सरकार द्वारा टिक-टॉक सहित विभिन्न चीनी एप पर प्रतिबंध, चीनी सामानों के आयात पर नियंत्रण के लिए कई सामानों पर शुल्क वृद्धि, सरकारी विभागों में चीनी उत्पादों की जगह यथासंभव स्थानीय उत्पादों के उपयोग की प्रवृत्ति को लगातार प्रोत्साहन दिए जाने से चीन के सामानों की भारत में मांग में तुलनात्मक कमी दिखाई दी है।
- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बार-बार स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार ने भी दीपावली और अन्य त्यौहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी को पहले की तुलना में अधिक समर्थन मिलते हुए दिखाई दिया है, फिर भी चीन से त्यौहारी उत्पादों का भारत में आयात बढ़ा है। परिणाम स्वरूप पिछले साल सितंबर से नवंबर 2022 के त्यौहारी महीनों में देश के बाजारों में चीन का प्रभुत्व दिखाई दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त में चीन से एलईडी लाइट और लैंप का 72 लाख डॉलर मूल्य का आयात किया गया, जबकि पिछले साल अगस्त में इनका आयात मूल्य करीब 42 लाख डॉलर था। वर्ष 2022 के अगस्त में चीन से 19.7 लाख डालर मूल्य के गिफ्ट आइटम का आयात किया गया, जबकि उसके पिछले वर्ष अगस्त में चीन से 81 हजार डॉलर मूल्य के गिफ्ट आइटम मंगाए गए थे। इससे स्पष्ट है कि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी चीनी वस्तुओं पर भारत की व्यापारिक निर्भरता को तार्किक ढंग से कम कर पाना आसान नहीं रहा है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे मिशन को तार्किक ढंग से, चीन के संबंध में अधिक प्रतिस्पर्धी ढंग से क्रियान्वित करने की जरूरत है।

सामाजिक मुद्दे: भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और नीतिगत उपायों की आवश्यकता

''यदि सभी पुरुष स्वतंत्र पैदा होते हैं, तो यह कैसे होता है कि सभी महिलाएं परतंत्र पैदा होती हैं?''– मैरी एस्टेल

नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली में हुई वीभत्स घटना ने दिसंबर, 2012 के निर्भया कांड की याद दिला दी। गश्त और नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह से 20 वर्षीय महिला को 12 किलोमीटर तक कार द्वारा घसीटा गया, वह इस बात की गवाही है कि महिला सुरक्षा को लेकर जमीन पर अभी भी बहुत कुछ बदला नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध एक अन्य अपराध में, दिल्ली में एक महिला उबर ड्राइवर की कार पर दो लोगों ने पथराव किया और उसे लूटने का प्रयास किया।

विडंबना यह है कि जहां मंत्रियों, सांसदों, नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी में आम महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं तथा भयानक अपराधों के प्रति सुभेद्द हो जाती हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि भारत के विशाल ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा करती हैं, जहां पितृसत्ता और रुढ़िवादी कुप्रथायें अभी भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाज के सभी सामाजिक और आर्थिक स्तरों में प्रचलित है।

कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग हमारे समाज में आज भी प्रचलित हैं। इस पितृसत्तात्मक मानसिकता की उत्पत्ति 'हानिकारक लैंगिक सामाजिक मानदंडों में है, जो यह परिभाषित करती है कि महिलाओं को समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए?' यहां तक कि शहरी जीवन शैली और शिक्षा भी पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने में सफल नहीं हो सकी है। ऐसी विषम स्थिति के बीच, 2030 (एसडीजी-5) तक महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने का लक्ष्य दूर की कौड़ी मालूम पड़ता है।

लैंगिक हिंसा की विश्व स्तर पर स्वीकृत परिभाषा:

संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में महिलाओं को शारीरिक, यौन या मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है।

लैंगिक हिंसा के परिणाम:

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बड़ा हिस्सा है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उन्हें अपनी सामाजिक भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने से रोकता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को अवसरों का नुकसान होता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की सामाजिक और आर्थिक कीमत बहुत अधिक होती है। परिणामस्वरूप, महिलाओं को न केवल मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आघात का सामना करना पड़ता है बल्कि अलगाव, काम करने में असमर्थता, नियमित गतिविधियों में भागीदारी की कमी का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही हिंसा महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
- आईएमएफ डेटा यह भी सत्यापित करता है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है।
- ऐसी महिलाओं के कम उत्पादक होने की संभावना होती है। यह कार्यबल में महिलाओं की संख्या कम कर सकते हैं तथा महिलाओं के कौशल और शिक्षा तक पहुँच को बाधित कर सकते हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध महिला सशक्तीकरण के प्रयासों को और बाधित करते हैं तथा शिक्षित युवा महिलाओं को काम करने के लिए बाहर निकलने को मुश्किल बनाते हैं, परिजनों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता होती है।

सांख्यिकीय साक्ष्य:

भारत में लिंग आधारित हिंसा एक कड़वी सच्चाई है। 2021 में, राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो (एनसीआरबी) ने विगत छह वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं।

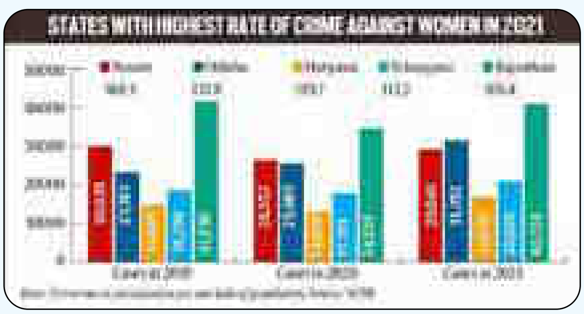

- एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 15.3 (2020 में 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 64.5 प्रतिशत हो गई) प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार,

पाँच में से दो महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत (47.6 प्रतिशत) सबसे अधिक था।

- एनसीडब्लू के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या भी 2014 के बाद से सबसे अधिक है। इनमें से 54.5% शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश से थीं, जिसके बाद दिल्ली (10%) का स्थान था।

लैंगिक हिंसा के पीछे कारण:

- लिंग आधारित हिंसा महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान शक्ति संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक है।
- ऐसा कोई एक कारक नहीं है जो हमारे समाज में लिंग आधारित हिंसा की व्याख्या कर सके, बल्कि असंख्य कारक इसमें योगदान करते हैं।

	कारक	*विशेषताएँ*
1.	सांस्कृतिक कारक	पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट विचार पुरुषों के प्रभुत्व और श्रेष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए हिंसा को वैध ठहराते हैं।
2.	कानूनी कारक	लिंग आधारित हिंसा का शिकार होना कई समाजों में शर्मनाक माना जाता है, कई महिलाओं को अभी भी उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा के लिए दोषी ठहराया जाता है, उन पर आरोप लगता है कि महिलायें अपने व्यवहार के माध्यम से अपने विरुद्ध हिंसा को प्रोत्साहन देती हैं। यह आंशिक रूप से रिपोर्टिंग और जांच के निम्न स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
3.	आर्थिक कारक	आर्थिक संसाधनों की कमी आम तौर पर महिलाओं को विशेष रूप से हिंसा के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह हिंसा और गरीबी का एक पैटर्न बनाता है जो स्वयं स्थायी हो जाते हैं।
4.	राजनीतिक कारक	सत्ता और राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है कि उनके पास नीतिगत चर्चा को आकार देने और नीति में बदलाव को प्रभावित करने या लिंग आधारित हिंसा से निपटने और समानता का समर्थन करने के उपायों को अपनाने के कम अवसर हैं।

- इन कारकों के साथ ही विभिन्न सामाजिक मानदंड और पैटर्न (जिनकी लिंग तथा कामुकता को लेकर अपनी धारणा है) महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अत्याचारों के लिए जिम्मेदार हैं। रिश्तों में पुरुषवाद और वर्चस्व हावी है। जो महिलाएं इसे स्वीकार करने से इनकार करती हैं, वे अक्सर अपने पार्टनर द्वारा नफरत या दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं।
- निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी और बेरोजगारी को भी घृणित अपराधों के कारणों के रूप में पहचाना गया है। शराब और मादक द्रव्यों के सेवन तथा व्यक्तित्व के लक्षण भी कारकों में योगदान कर रहे हैं।
- एक तरह से, लैंगिक हिंसा सांस्कृतिक और संस्थागत सामाजिक संरचनाओं में अच्छी तरह से स्थापित हो गई है। भेदभावपूर्ण नियम, रीति-रिवाज, परंपराएं, कानून और महिला विरोधी भाषा महिलाओं के खिलाफ संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण हैं। ये संरचनाएं चेतन और अवचेतन दोनों व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। लोग इन संरचनाओं में बड़े होते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव और हिंसा के रूप में लैंगिकवाद को बढ़ावा मिलता है।
- इसके अतिरिक्त, कानून-व्यवस्था की स्थिति के अक्षम प्रबंधन से भी महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी और भारत के अन्य जगहों पर लोगों का अनुपात निराशाजनक है, जिसे सीएजी की रिपोर्ट से भी उजागर किया गया है।
- सूनी सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी के अभाव में अपराधियों के लिए सजा से बच निकलना आसान हो जाता है। परिणामस्वरुप, महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित नहीं हैं, विशेषकर रात्रि के समय। ऐसी जगह पर मारपीट और गाली-गलौज आम बात है। अपर्याप्त और असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन महिलाओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है।

कानूनी उपाय उपलब्ध हैं:

ऐसे परिदृश्य में, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए। कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं:

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956।
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961।
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986।
- प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994।
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013।
- एसिड अटैक को आईपीसी की एक अलग धारा-326 के तहत रखा गया। यह कानूनी रूप से दंडनीय बनाया गया।
- कानूनी रोकथाम की उपलब्धता के बावजूद, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आज भी जारी है। इन कानूनों को मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है।
- निर्भया कांड के बाद, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन 23 दिसंबर, 2012 को आपराधिक कानून में बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया गया था, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दोषी अपराधियों के विरुद्ध जल्द और कठोर सजा का प्रावधान करती है।
- इस समिति ने बलात्कार कानूनों, यौन उत्पीड़न कानूनों, मानव तस्करी कानूनों, बाल यौन शोषण कानूनों, पीड़ितों की चिकित्सा जांच, पुलिस, चुनावी और शैक्षिक परिवर्तनों पर सुझाव दिया है।

महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए नीतिगत उपाय:

सखी: वन स्टॉप सेंटर- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने हैं।

मिशन शक्ति: हिंसा से प्रभावित और संकट में पड़ी महिलाओं को तत्काल और व्यापक सहायता प्रदान करती है जिसके दो घटक हैं:

1. **संबल-** महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत आदि को शामिल करके महिलाओं की सुरक्षा करना।
2. **सामर्थ्य-** उज्जवला, स्वाधार गृह आदि द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण करना।

- जेंडर चैंपियंस की पहल छात्रों को लैंगिक समानता की समझ बनाने में सहायता करती है और उन्हें महिलाओं के लिए हानिकारक तरीके से काम करने से रोकती है।
- कई महिलाएं सीधे पुलिस के पास जाने से संकोच करती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए निर्भया फंड के तहत 182 वन स्टॉप सेंटरों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए पुलिस चिकित्सा कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ ही कुछ दिन रहने के लिए सुरक्षित जगह जैसी सेवाओं हेतु सिंगल विंडो की पेशकश करती है।
- 181-महिला हेल्पलाइन पर हिंसा की रिपोर्ट कर सकती हैं, जो संकट में महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने वाला एक सार्वभौमिक टोल-फ्री नंबर है। महिलाएं आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने, परामर्श प्राप्त करने या कानूनी, पुलिस, मनोवैज्ञानिक और उपलब्ध अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं।
- पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण कदम भी लैंगिक संवेदनशील मामलों में पुलिस की समग्र जवाबदेही में सुधार लाने और पुलिस बल में अधिक महिलाओं को दृश्यता लाने के लिए उठाया गया है।
- देश में सभी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतों के लिए एक उपयोग में आसान ऑनलाइन पोर्टल शी-बॉक्स लॉन्च किया गया है।
- महिला सुरक्षा में सुधार के लिए नई टैक्सी नीति के दिशानिर्देश महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों जैसे अनिवार्य जीपीएस, पैनिक डिवाइस/बटन सभी टैक्सियों के साथ जारी किए गए हैं। पैनिक बटन की सुविधा निकटतम पीसीआर तथा चयनित परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपग्रह-आधारित जीपीएस के माध्यम से स्थान की पहचान करने के लिए एक संकेत भेजने में सक्षम है।

- स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बेहतर पुलिसिंग आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके देश के आठ प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक योजनाओं को लागू करने हेतु निर्भया फंड का भी उपयोग किया जा रहा है।
- महिला उत्पीड़न के मामलों को ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए महिला पुलिस वाले साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- कामकाजी महिलाओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से पुलिस महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे पिंक बूथ स्थापित किये गये हैं।
- निर्भया फंड के तहत केंद्रीय पीड़ित मुआवजा योजना के तहत यौन उत्पीड़न/तेजाब हमले से बचे लोगों का पुनर्वास भी किया जा रहा है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में एसिड अटैक को एक प्रकार की विकलांगता के रूप में शामिल किया गया है जो एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगता लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी सुरक्षा तंत्र ग्रामीण महिलाओं तक भी पहुंचे, महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की गई है, जो 115 सबसे पिछड़े जिलों में छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके घर पर सहायता सेवाएं प्रदान करती हैं।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

श्री आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गृह मामलों की स्थायी समिति ने 15 मार्च, 2021 को महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अपराध विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं:

- **अपराधों का पंजीकरण:** महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्सर पुलिस थानों में दर्ज नहीं होते हैं।
    1. आवश्यकता यह सुनिश्चित करने की है कि एफआईआर समय पर दर्ज की जाएं।
    2. एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- **दोषसिद्धि (Conviction) की दर:** महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा की दर कम है।
    1. पुलिस जांच को ट्रैक करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौन अपराधों के लिए ऑनलाइन जांच ट्रैकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।
    2. प्रत्येक राज्य की राजधानी में कम से कम एक फोरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करना।
    3. समयबद्ध तरीके से फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करना।

सुरक्षा और रोकथाम के उपाय:

1. एक एकीकृत तीन-अंकीय अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर स्थापित करना।
2. हेल्पलाइन के उपयोग का प्रचार करना। यह भी देखा गया कि राज्य सरकारें घटना के बाद आश्रय गृहों जैसी सेवाओं का रखरखाव करती हैं।

- **साइबर-अपराध:** इसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सहायता से साइबर सुरक्षा दीवारों को बायपास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्चुअल निजी नेटवर्क की पहचान करना और उन्हें स्थायी रूप से अवरुद्ध करना शामिल है। महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुलिस बल में 10.3% महिलाएं हैं, जबकि गृह मंत्रालय द्वारा बार-बार यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि पुलिस बल में 33% महिलाएं हों। इसने सभी स्तरों पर पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की सिफारिश की है।
- **निर्भया फंड:** समिति ने पाया कि निर्भय फंड के लिए आवंटित फंड का केवल 39% ही वितरित किया गया है। इसने फंड के उपयोग की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक समिति गठित करने की सिफारिश की।

इस पहल की प्रभावशीलता:

- यौन उत्पीड़न और लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न कानून मौजूद हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं। फिर भी इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कम काम किया है। कानून और दंड अप्रभावी हो गए हैं। निवारक के साथ ही सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाये जाने की आवश्यकता है। हमें बच्चों में लैंगिक संवेदनशीलता के दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। स्कूलों तथा कॉलेजों में लैंगिक संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रमों को महत्त्व दिया जाना चाहिए। व्यवहारिक परिवर्तन ही महिलाओं के लिए गरिमा और सम्मान की भावना पैदा कर सकता है तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है।

निष्कर्ष:

महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने और लैंगिक-समान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा का लाभ उठाने के साथ ही, पृथ्वी को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग बनाने के लिए केवल कानूनी सुरक्षा नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है। जैसा कि उदारवादी और उपयोगितावादी दार्शनिक जेम्स मिल ने एक बार कहा था कि असभ्य लोगों के बीच महिलाओं को (सभ्य लोगों की तुलना में) आमतौर पर नीचा दिखाया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि सभ्य लोगों की एक पीढ़ी विकसित की जाए, ताकि एक बेहतर और लैंगिक संवेदनशील समाज का निर्माण किया जा सके।

गवर्नेंस

भारत में हेट स्पीच का प्रभाव और उसके विनियमन की जरूरत

हेट स्पीच या नफरत फैलाने वाले भाषणों का सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था पर घातक असर पड़ता है। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। यही कारण है कि हेट स्पीच के विनियमन को लेकर देश का सर्वोच्च न्यायालय इस समय गंभीर है और नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। चूँकि भारतीय दंड संहिता में 'हेट स्पीच' की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिये पहली बार इस तरह की भाषा को परिभाषित करने के लिये ब्रिटिश समयकाल की इस संहिता में सुधारों का सुझाव देने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानूनों पर सुधार समिति प्रयास कर रही है। यह समिति क्या कहती है और उस पर क्या अमल होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन इससे पहले नफरत फैलाने वाले भाषणों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में किसी शिकायत का इंतजार किए बगैर स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग जब तक सौहार्द से नहीं रहेंगे, तब तक बंधुत्व कायम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि प्रशासन की ओर से इसमें किसी भी तरह की देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और यह कोर्ट की अवमानना होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को 'बेहद गंभीर मुद्दा' बताया है क्योंकि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही हेट स्पीच राजनीतिक संस्कृति को दूषित करता है। विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक लाभों के लिए धर्म, जाति, लिंग, वेशभूषा आदि आधारों पर भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं जिससे देश में वर्ग विशेष द्वारा किसी दूसरे वर्ग विशेष को निशाना बनाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे लोगों में असंतोष तथा आक्रोश को बढ़ावा मिलता है और हिंसक क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए लोग प्रेरित भी हो जाते हैं। इसीलिए सर्वोच्च अदालत के जस्टिस केएम जोसेफ और ह्रषिकेश रॉय की पीठ ने शाहीन अब्दुल्ला की ओर से दाखिल की गई याचिका पर कुछ राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने के लिए नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश इसीलिए भी मायने रखता है कि अभी तक भारत में हेट स्पीच जैसे अपराध से निपटने के लिए किसी ठोस राष्ट्रीय कानून का अभाव है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड की सरकारों को निर्देश दिया कि वे औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लें।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ बिना किसी औपचारिकता के तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेट स्पीच के मामले में जो निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी एक खास बात यह भी है कि कोर्ट ने हेट स्पीच में टेलीविजन चैनलों की भूमिका की कठोर आलोचना करते हुए माना है कि टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि टीवी चैनल ऐसे एजेंडे से संचालित होते हैं जो विभाजन पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी चैनल सनसनीखेज समाचारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने धनदाताओं (मालिकों) के आदेश के अनुसार काम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 'अगर एंकरों पर जुर्माना हो, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसकी कीमत चुकानी है।' दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी है कि वह अभद्र भाषा से निपटने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में व्यापक संशोधन करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है।

हेट स्पीच के विनियमन के लिए केंद्र सरकार सक्रिय:

- देश में हेट स्पीच के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेटस्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेटस्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसे जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें हेटस्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी, ताकि लोगों को भी यह पता रहे कि जो बात वे बोल या लिख रहे हैं, वह कानून के दायरे में आती है या नहीं।
- केंद्र सरकार ने जिस एंटी हेटस्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू की है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को आधार बनाया है।
- केंद्र सरकार ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारतीय संघ जैसे कुछ अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को इस ड्राफ्ट कानून का आधार बनाया है। इसके अलावा भारत के लॉ कमीशन ने भी हेटस्पीच पर अपने परामर्श पत्र में साफ किया है कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को हेटस्पीच माना जाए। इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचार आसानी से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में भेदभाव बढ़ाने वाली भाषा को भी हेटस्पीच के दायरे में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) की परिभाषा स्पष्ट होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज या नफरत भरी बातों से पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। देश में सबसे ज्यादा

भ्रामक जानकारियां फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सएप, कू जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाई जाती हैं। अब इनके खिलाफ सख्त कानून बनने से कानूनी कार्यवाही का रास्ता खुल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ देश में फ्री स्पीच के समर्थक वर्ग को यह भी लगता है कि एंटी हेटस्पीच कानून का प्रयोग लोगों या समूहों की आवाज दबाने के लिए भी हो सकता है।

- वर्तमान में हेट स्पीच से निपटने के लिए इंडियन पीनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाती है। अभी देश में हेटस्पीच से निपटने के लिए 7 तरह के कानून इस्तेमाल किये जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी हेटस्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए, सोशल मीडिया प्लेटफार्म अपने यूजर्स को मनमानी भाषा बोलने से नहीं रोक रहे हैं।

इनमें से प्रमुख प्रावधान हैं :

- भारतीय दंड संहिता की धारा-124ए (राजद्रोह): इस पर रोक लगाई जा चुकी है।
- धारा-153ए: धर्म, नस्ल आदि के आधार पर वैमनस्य।
- धारा-153बी: राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान।
- धारा-295ए और 298: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना।
- धारा-505 (1) और (2) अफवाह फैलाना या नफरत भड़काना।

हेट स्पीच के विनियमन के लिए गठित दो समितियों ने भारतीय दंड संहिता में कुछ जरूरी बदलाव की सिफारिश कर रखी है जिससे अलग-अलग आधारों पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को नियंत्रित किया जा सके। विश्वनाथन समिति (2019) ने इस संबंध में धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने के लिये उकसाने हेतु, आईपीसी में धारा-153सी(बी) और धारा-505ए का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा इस समिति ने ऐसे अपराध के लिए उकसाने पर 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सजा का प्रस्ताव रखा है।

बेजबरुआ समिति (2014) द्वारा भी कुछ ऐसी सिफारिश की गई है जिससे हेट स्पीच को रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है। बेजबरुआ समिति ने भारतीय दंड संहिता की धारा-153सी (मानव गरिमा के लिये हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास) में संशोधन करके पाँच वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों तथा धारा-509ए (शब्द, इशारा या कार्य द्वारा किसी विशेष जाति के सदस्य का अपमान करने का इरादा) में संशोधन करके तीन वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव दिया है।

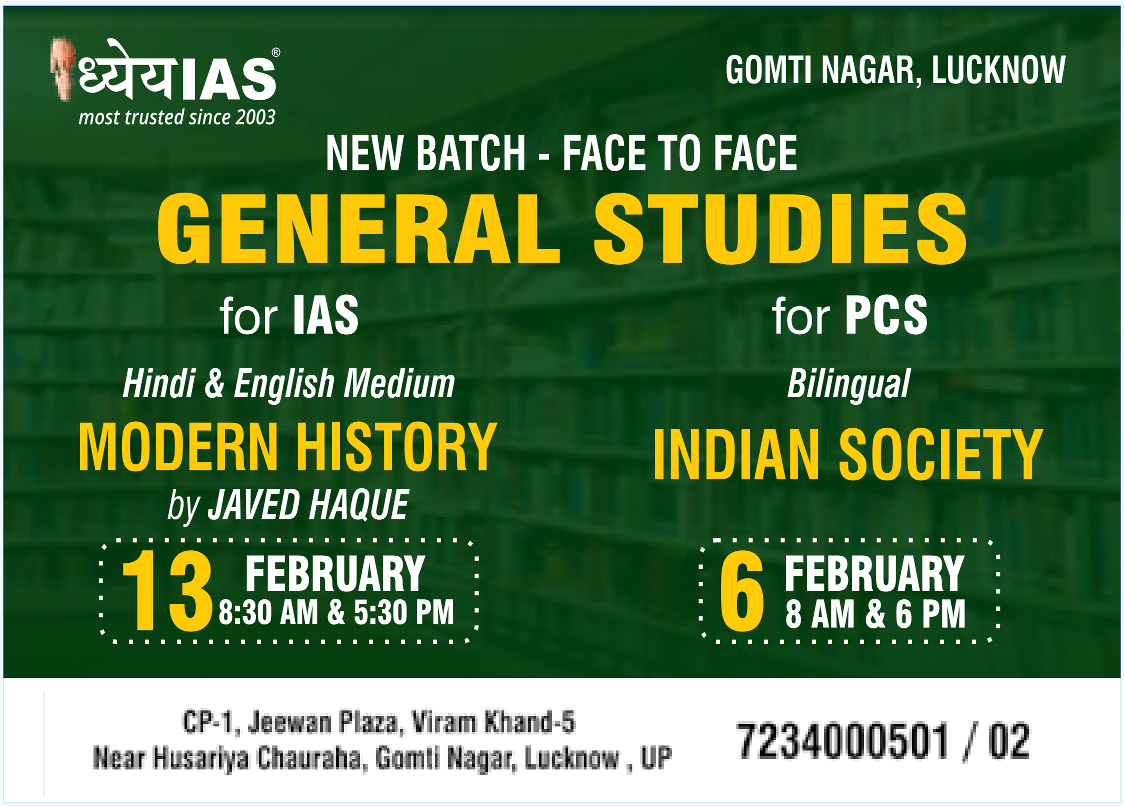

प्रौद्योगिकी मुद्दे

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति की शुरुआत से भारत को होने वाले फायदे

हाल ही में भारत के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति जारी की गई है। भू-स्थानिक शब्द से तात्पर्य ऐसे प्रौद्योगिकियों के संग्रह से है जो भौगोलिक सूचनाओं के एकत्रण, विश्लेषण, भंडारण, प्रबंधन, वितरण तथा एकीकरण में सहायक होते हैं। सामान्य रूप से भू-स्थानिक तकनीकियों में रिमोट सेंसिंग, नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम, सर्वेक्षण, 3D मॉडलिंग तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसे तंत्र आते हैं। भारत एक सुदृढ़ स्थानिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसरो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसे विभाग भी इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। ध्यातव्य है कि 2021 में भारतीयों के लिए स्थानीय क्षेत्र को पूर्णतया नियंत्रण मुक्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीतिः

- 2021 में स्थानीय क्षेत्र को उदारीकृत करने की घोषणा तथा केंद्रीय बजट 2022-23 में भू-स्थानिक क्षेत्र पर आवश्यक चर्चा के बाद इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति जारी की गई है। जहाँ 2021 के दिशा-निर्देशों द्वारा भू-स्थानिक डेटा एकत्रीकरण/उत्पादन/पहुँच को उदारीकृत कर नियंत्रण मुक्त कर दिया है, वहीं नीति 2022 भू-स्थानिक पारितंत्र के व्यापक विकास के लिये एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

नीति का उद्देश्यः

- एक नागरिक केंद्रित नीति का निर्माण करना जिससे राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि तथा एक सूचना सम्पन्न अर्थव्यवस्था को संबोधित किया जा सके।
- भारत के भू-स्थानिक क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय नवाचार पारितंत्र को विकसित करके, भारत को वैश्विक भू-स्थानिक नेतृत्वकर्ता बनाना।
- एक मजबूत राष्ट्रीय भू-स्थानिक ढांचे के माध्यम से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में संवर्धन करना।
- भू-स्थानिक अवसंरचना, भू-स्थानिक कौशल और ज्ञान, मानक व भू-स्थानिक व्यवसाय का विकास।
- 2030 तक सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल के साथ उच्च रिजॉल्यूशन स्थलाकृति सर्वेक्षण तथा मानचित्रण को सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रारूप तैयार करना।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं का निर्माण किया गया हैः

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर भू-स्थानिक डेटा संवर्धन तथा विकास समिति (जीडीपीडीसी) का गठन किया गया है जो इस संदर्भ में नीतियों को तैयार एवं लागू करने हेतु शीर्ष निकाय होगी। ध्यातव्य है कि जीडीपीडीसी का गठन 2021 में किया गया था तथा इस नीति के माध्यम से जीडीपीडीसी को राष्ट्रीय स्थानिक डेटा समिति की शक्तियां दी गई।
- जीडीपीडीसी, अपने कार्यों से संबंधित अनुशंसा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को देगा।

चरणबद्ध लक्ष्यः

नीति में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनका वर्णन निम्नवत हैः

- वर्ष 2025 तक स्थानीय क्षेत्रों के उदारीकरण तथा संवर्धित व्यवसायीकरण के लिए डाटा के लोकतांत्रिकरण हेतु सक्षम नीति एवं कानूनी प्रारूप बनाया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक उच्च रिजॉल्यूशन युक्त सर्वेक्षण तथा मानचित्रण तैयार किया जाएगा। इसकी क्षमता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर एवं जंगलों एवं बंजर भूमि हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर तक की सटीकता पर होगी।
- वर्ष 2035 तक स्थानिक तकनीकी का विस्तार ब्लू-इकोनामी के समर्थन तथा नेशनल डिजिटल ट्विन (सेवा अथवा भौतिक संपत्ति की आभासी प्रतिकृति) में किया जाएगा।

नीति के क्रियान्वयन से होने वाले संभावित लाभः

- विषेशज्ञों ने वर्ष 2029 तक 13% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ, इस क्षेत्र के निवल मूल्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की सम्भावना जताई है। यह भारत की 2030 तक 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हेतु महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यह सम्भावना भी जताई जा रही है कि 2025 तक यह क्षेत्र भारत में लगभग 60,000 करोड़ रुपये के आकड़े को पार करके लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देगी।
- वैश्विक स्तर पर कई निजी कम्पनियाँ इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा अपने देश के विकास में योगदान दे रही हैं। भारत में भी इन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की सम्भावना दिख रही है। स्टार्टअप्स को अवसर देने के लिए सरकार भू-स्थानिक हैकाथॉन चला रही है जो 10 मार्च को समाप्त होगा। इसमें शीर्ष 4 विजेताओं को चुनकर उनके अनुसन्धान तथा वित्तीयन में सहयोग किया जायेगा।
- सरकारी नियंत्रण का कम होना एक नागरिक केंद्रित प्रशासन की तरफ इंगित कर रहा है जो भारत के लोकतंत्र को और अधिक समृद्धि बनायेगा।
- यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू-स्थानिक

सूचना कांग्रेस 2022 में उद्घाटन संदेश के दौरान दिए गए वक्तव्य 'भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पूरे देश में समावेशिता को बढ़ावा दे रही है जिससे कोई भी वंचित नहीं है' के अनुरूप तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देगा।

- यह नीति भारी मात्रा में भू-स्थानिक विशेषज्ञों की एक विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा देगी जिनके नवोन्मेषी विचारों और समाधानों को आत्मसात करने से भारतीय सर्वेक्षण विभाग और अन्य भू-स्थानिक डेटा-सृजन, समाधान और सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियां कई समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगी।

किन चुनौतियों को सम्बोधित करना आवश्यक?

- **डेटा संरक्षण:** डेटा संरक्षण से संबंधित कोई कानून न होना एक बड़ी समस्या है। भारत, भू-स्थानिक क्षेत्र के डेटा के स्थानीयकरण को कानून के अभाव में संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- **साइबर अटैक:** निरंतर बढ़ रहे साइबर आक्रमणों से भू-स्थानिक डेटा की रक्षा करना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस डेटा में न सिर्फ भारत की आर्थिक संसाधनों के बारे में जानकारी होगी, बल्कि रणनीतिक क्षेत्रों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा में संकट:** भू-स्थानिक डेटा ,भारत के सभी नगरों, ग्रामों, कस्बों की जानकारी देगा। वर्तमान में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा की चुनौतियों को देखते हुए ऐसे डेटा की सूचना आना, एक बड़े संकट का कारक बन सकता है।
- **कुशल जनसंख्या की कमी:** भारत में कौशल युक्त जनसंख्या का अभाव है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि भू-स्थानिक क्षेत्र के उदारीकरण का प्रभाव जनता में कितना होगा?
- **बाजार का अभाव:** भारत जैसे विशाल देश में जहां विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या तथा सातवां सबसे बड़ा क्षेत्रफल हो, वहां भू-स्थानिक बाजार का मात्र 60 हजार करोड़ तक (2025) पहुंचना यह दर्शाता है कि भारत की क्षमता तथा आकार के अनुरूप भू-स्थानिक सेवाओं और उत्पादों की मांग अभी नहीं है।

इसके अतिरिक्त डेटा साझा करण पर अस्पष्टता की कमी तथा रेडी टू यूज समाधान की अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। यदि भारत को इस क्षेत्र में वास्तविक लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए निम्नलिखित कार्य करने आवश्यक है:

- डेटा के संबंध में एक रोबस्ट कानूनी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें डेटा साझाकरण, सहयोग तथा सह निर्माण की संस्कृति को विकसित किया जाए।
- भारत को डेटा के स्थानीयकरण पर जोर देना चाहिए जिससे हाई एक्यूरेसी डेटा विदेशी वेब क्लाउड में संग्रहित न हो जिसके लिए एक मजबूत वेब क्लाउड बनाने की आवश्यकता है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को कुछ हद तक हल कर लेगा।
- इसके साथ ही भारत को साइबर हमलों के विरुद्ध सीईआरटी-आईएन (CERT-in) को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन के द्वारा भारत पर निरंतर साइबर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के संदर्भ में भारत को एक मजबूत साइबर डिफेंस सिस्टम बनाना होगा।
- इसके साथ ही भारतीय जनता में कौशल विकास को मजबूत करना होगा। हालांकि सरकार दीनदयाल कौशल विकास योजना के माध्यम से इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
- इसके अतिरिक्त सरकार को स्टार्टअप्स तथा नागरिक समाज को विश्वास में लेकर जनता के मध्य भू -स्थानिक सेवाओं को उपयोग करने हेतु जागरूक करना चाहिए।
- भारत सरकार तथा बड़े उद्योग घरानों को नई स्टार्टअप्स को सहयोग करने की आवश्यकता है, हालांकि इसी उद्देश्य से हाल ही में भू-स्थानिक हैकाथॉन आरंभ किया गया है।
- भारत के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में भू-स्थानिक तकनीकी से स्नातक को सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक समर्पित भू-स्थानिक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत को अपनी जनता को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक पूँजी तथा राजकोषीय घाटे को निरंतर कम करने हेतु नए विकल्पों को तलाशना आवश्यक है। इस उद्देश्य में भू-स्थानिक क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण विकल्प सिद्ध हो सकता है। हालांकि सर्वाधिक आवश्यकता इस नीति के क्रियान्वयन में उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने से है जिससे भारत 2035 तक इस नीति में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके।

आर्थिक मुद्दे

भारत में मनी लांड्रिंग से निपटने के लिए बढ़ती सक्रियता: चुनौती और समाधान

मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात धन शोधन एक गंभीर आर्थिक अपराध के रूप में देश की आंतरिक, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। चूंकि यह एक संगठित अपराध के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के ही सामने एक चुनौती है। मनी लॉन्ड्रिंग का तंत्र एक ऐसे समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करता है जो इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस के प्रयासों को धूमिल कर देता है और वर्तमान समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, राजनीतिक, खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में वृद्धि देखी गई है जिसके चलते देश के आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय को अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लगातार करनी पड़ रही हैं। भारतीय वैश्विक कारोबारियों, वीपन डीलर से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामलों ने भी फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट जैसे प्रवर्तन इकाईयों का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों को प्रभावी बनाने की जरूरत भी समझ में आ रही है। इस वर्ष जनवरी माह में ड्रग लॉर्ड् लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने के प्रमाण मिले हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ई.डी) ने पंजाब में दो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एन.डी.पी.एस) मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए), 2002 के तहत 7.90 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। अटैच की गई संपत्तियों में ड्रग लॉर्ड गुरदीप सिंह रानो और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी पंजाब में लैंड एंड बिल्डिंग सहित 16 अचल संपत्तियां शामिल हैं। ऐसे कई अन्य बड़े मामले सामने आए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम जोरों पर है। अचल संपत्तियों को नकद में खरीदने की प्रवृत्ति के मामलों में बढ़ती हुई पाई गई है। अचल संपत्तियों की खरीद के लिए अपराध की आय को अज्ञात व्यक्तियों के बैंक खातों में नकद जमा करने की प्रवृत्ति का खुलासा भी हाल के समय में कई मामलों में किया गया है।

इसके अतिरिक्त मनी लांड्रिंग के एक बड़े मामले के चलते भारत ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि को प्रभावी बनाने में सफलता मिली है। रक्षा सौदों के बिचौलिए और भगोड़े संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पण करने के मामले में ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिया गया है। एजेंसी भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन की अदालत में केस लड़ रही थी। सीबीआई और ईडी की तरफ से संजय भंडारी के खिलाफ भारत में मनी लान्ड्रिंग के आरोप तय किए गए हैं। ब्रिटेन में होने के कारण उसे भगोड़ा (Fugutive offender) घोषित किया जा चुका है। इसीलिए भारत सरकार ने भंडारी के प्रत्यर्पण की अपील ब्रिटेन से की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग: अर्थ और आयाम

धन शोधन वह प्रक्रिया है जहां आतंक से प्राप्त धन को वैध धन के रूप में बदला जाता है। ऐसे धन के अवैध उत्पत्ति के स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। इंटरपोल के अनुसार कोई भी ऐसा कृत्य या कृत्य के लिए किया गया प्रयास जिससे अवैध तरीके से अर्जित धन की पहचान को छिपा छिपाया जा सके अथवा उसे गुप्त रखा जा सके ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न हुआ प्रतीत हो सके, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय के दिशा-निर्देश के अनुच्छेद-1 में मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह जानते हुए कि कोई धन गंभीर अपराधों से प्राप्त किया गया है, ऐसे धन के अवैध स्रोत को छिपाने या गुप्त रखने के लिए धन को काले से सफेद बनाने की प्रक्रिया अथवा ऐसे किसी कार्य में किसी व्यक्ति को सहयोग देने में संलग्न होना मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। मनी लांड्रिंग की प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं:

- **प्लेसमेंट चरण:** यह धन शोधन की प्रक्रिया का पहला चरण है जिसमें आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करता है। इस स्तर पर धन शोधनकर्ता काले धन को आमतौर पर नकदी बैंक जमाओं के रूप में एक वैधानिक वित्तीय संस्थान में डालता है। बड़े स्तर पर नकदी का हेरफेर इस चरण को दर्शाता है।
- **लेयरिंग चरण:** धन शोधन अथवा "मनी लॉन्ड्रिंग" में दूसरे चरण को 'लेयरिंग' के नाम से जानते हैं। यह धन छुपाने से सम्बंधित चरण है। इसमें धन शोधनकर्ता लेखा बही खातों अथवा अकाउंट्स बुक में हेर फेर करके और अन्य संदिग्ध लेनदेन करके अपनी वास्तविक आय को छुपा लेता है। धन शोधनकर्ता, धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बांड, स्टॉक और ट्रैवेलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं।
- **एकीकरण चरण:** यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का तीसरा और अंतिम चरण है। इस प्रकिया के माध्यम से बाहर भेजा पैसा या देश में लगाया गया अवैध धन, वापस धन शोधनकर्ता के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लक्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है।

मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गतिविधियाँ:

- मनी लॉन्ड्रिंग को धन शोधनकर्ता द्वारा अलग-अलग रूपों में संपन्न किया जाता है। इसमें एक प्रमुख तरीका शेल कंपनियों का निर्माण है। 'फर्जी कंपनी बनाना' जिन्हें 'शैल कंपनियां' भी कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। शेल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कम्पनी होती

है लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती है और न ही इनमें वास्तविक रूप में कोई उत्पादन कार्य होता है। वास्तविक रूप में ये शेल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं। वास्तविक दुनिया में नहीं, लेकिन धन शोधनकर्ता इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े-बड़े लेन देनों को दिखाता है। कंपनी के नाम पर ऋण लेता है, सरकार से कर में छूट लेता है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है और इन सब फर्जी कार्यों के जरिए वह बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यदि कोई तीसरा पक्ष वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहता है, तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जाँच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है।

- मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है; किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना जबकि उस खरीदी गयी संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम कर (Tax) देना पड़े। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है।

मनी लॉन्ड्रिंग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती:

- मनी लॉन्ड्रिंग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था, औपचारिक वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग नियमों तथा प्रतिमान को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। यह देश में समानांतर अर्थव्यवस्था, ब्लैक मनी व हवाला कारोबार को बढ़ावा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग से अवैधानिक क्रियाकलापों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, साथ ही यह आतंकवादी और पृथकतावादी गतिविधियों के वित्त पोषण के एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। भारत के विधि प्रवर्तनकारी निकायों, आर्थिक खुफिया एजेंसियों के समक्ष यह एक चुनौती प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में यह एक संगठित अपराध के रूप में उभरा है। गंभीर आर्थिक अपराधों, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी को यह बढ़ावा देता है। धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग मूल रूप से अवैध या काले धन को वैध धन के रूप में परिवर्तित करने का तरीका है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह यह अवैधानिक क्रियाकलापों जैसे तस्करी, अपहरण, फिरौती, अवैध खनन आदि के जरिए अर्जित धन को छुपाने का एक तरीका है। धन शोधन के जरिए ऐसी गतिविधियों से कमाए गए धन का निवेश ऐसे कामों में किया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां धन के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा पातीं। उदाहरण के लिए ऐसे धन को रीयल एस्टेट सेक्टर यानि बड़े पैमाने पर भूमि की खरीद बिक्री, चुनावों की फंडिंग, बेनामी परिसंपत्ति, आबकारी क्षेत्र में निवेश, शेयर बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए पहचान को बताए बिना निवेश, आतंक और विप्लव का वित्त पोषण आदि।

टैक्स हैवन (Tax Haven) और काला धन:

1950 के दशक से टैक्स हैवन शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हालांकि इस शब्द की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनामिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अर्थात ओईसीडी ने इसे निम्नलिखित विशेषताओं के जरिए परिभाषित किया है:

- कम कर अथवा शून्य कर की सुविधा प्रदान करने वाली वित्तीय इकाईयां।
- कर के संबंध में सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान की कमी।
- वित्तीय लेनदेन गतिविधियों के बारे में पर्याप्त पारदर्शिता की कमी।
- वर्ष 2000 में 35 देशों अथवा इकाईयों को टैक्स हैवन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। टैक्स हैवन आमतौर पर छोटे देश या इकाईयां हैं जो अपने यहां आने और रहने का निर्णय करने वाले विदेशियों को कम या शून्य कराधान की सुविधा व यह आमतौर पर धन और खातों के बारे में सख्त गोपनीयता की पेशकश करता है। ये एक बेहिसाब धन की सुरक्षा के लिए वह बहुत उदार और अपारदर्शी नियामक वातावरण की पेशकश करते हैं। इसके चलते बहुराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी वैश्विक कर देनदारियों को कम करने के लिए टैक्स हैवन को एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही कर बचाने की इच्छुक कई कॉरपोरेट और गैर-कॉरपोरेट निकाय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां टैक्स हैवन में जाली कंपनियां (conduits) बनाकर इस नेटवर्क में शामिल होते हैं जो कम अथवा शून्य कर होने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की जाली कंपनियों (conduits) को कृत्रिम रूप से अपनी आय को स्थानांतरित कर देती हैं।

ऑफशोर बैंकिंग सेंटर और काला धन:

ऑफशोर बैंकिंग सेंटर अथवा अपतटीय वित्तीय केंद्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- यह ऐसी इकाईयां होती हैं जिनके वित्तीय संस्थानों में गैर-निवासियों के साथ मुख्य रूप से व्यापार जुड़ा हुआ होता है।

- कम या शून्य कर की सुविधा प्रदान करने वाले केंद्र।
- बैंकिंग गोपनीयता और कम वित्तीय विनियमन की व्यवस्था करना।
- वित्तीय लेन देनों के मामले में अपारदर्शी व्यवस्था का निर्माण।

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय:

- भारत में काले धन से निपटने के प्रमुख संस्थाओं में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई, राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध शाखाएं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी आदि शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत धन शोधन अपराधों के अभियोजन और जांच तथा काले धन के काम में लगी संस्थाओं के अपराध में शामिल वस्तु की जब्ती और कुर्की का काम सौंपा गया है। प्रवर्तन निदेशालय अखिल भारतीय स्वरूप का है जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में फैला हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय खुफिया इकाई का गठन भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर, 2004 को किया गया था जो धन शोधन तथा आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में जांच और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करके मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उसके विश्लेषण और उसके प्रसार के लिए जिम्मेदार है।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 ऐसा आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (आरबीआई सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। इस कानून के तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्यवाही करना तथा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना शामिल हैं।
- पीएमएलए कानून की धारा-3 के तहत उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा, यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से अर्जित आय से संलग्न है जैसे-आय छिपाना, स्वामित्व, अधिग्रहण, बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग करना या पेश करना, बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना।
- इसके अलावा भारत की संसद द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को भी अधिनियमित किया जा चुका है जो मनी लॉन्ड्रिंग से भी निपटता है। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति पर कब्जा करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं। ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार को सौंपा जाता है।

मनी लांड्रिंग और अन्य आर्थिक अपराधों से निपटने में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका:

- प्रवर्तन निदेशालय मुख्यत: तीन कानूनों के अंतर्गत काम करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम-1999, धन शोधन निवारण अधिनियम-2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018। फेमा के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशन में जांच करता है। पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया, वहीं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया है।
- सीबीआई केंद्र सरकार, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने पर जांच करती है। राज्य के मामले में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में ऐसा नहीं है। किसी थाने में एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडी को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस पहले मामले की जानकारी लग जाती है, तब भी वह जांच शुरू कर सकती है।
- ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेनदेन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामलों में जांच करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। ईडी वित्तीय रूप से किए गए गैरकानूनी कामों पर कार्यवाही का अधिकार रखती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। गिरफ्तारी के समय ईडी कारण बता भी सकती है, नहीं भी बता सकती है। इसके एक जांच अधिकारी के सामने भी दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि ईडी की गिरफ्तारी में जमानत मिलना मुश्किल होता है। फेमा और पीएमएलए मामलों में ईडी तीन साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है और केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। भगोड़े के प्रत्यर्पण में कठिनाई को देखते हुए उसकी पूरी संपत्ति को अटैच करने का अधिकार ईडी को दिया गया है। ईडी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी के मामले भी देखती है। अगर किसी ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने पास रखी या विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार किया है तो इसकी जांच भी ईडी कर सकती है।

आपदा प्रबंधन

भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति पर प्रश्नचिह्न है जोशीमठ का भू-धंसाव

पर्वतीय क्षेत्रों की अपनी संभावनाएं और चुनौतियां होती हैं जैसे भारत के नवीनतम राज्य उत्तराखंड के बारे में देखा जाता है। चमोली का जोशीमठ हो या रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के अन्य क्षेत्र हों पर्यटन और पलायन के मुद्दों से प्रभावित होते रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने, स्थानीय लोगों के आजीविका सृजन के लिए जब भी पर्यटन विकास से संबंधित पहल की जाती है तो निश्चित रूप से उसका पर्वतीय पारितंत्र पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसे प्रभावों को न्यूनतम रखते हुए एक मर्यादित विकास की संभावनाओं पर काम करने से पीछे भी नहीं हटा जा सकता। इस संबंध में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में भू-धंसाव की चुनौती का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है।

उत्तराखंड में आस्था का अद्वितीय केंद्र माना जाने वाला जोशीमठ इस समय आपदा का शिकार है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह मानव निर्मित आपदा है जबकि कुछ का यह मानना है कि हिमालयन पारितंत्र पारिस्थितिकी की प्रकृति ही ऐसी है कि वहां विकास कार्यों का प्रभाव भू-संरचना पर पड़ने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि अनियोजित निर्माण कार्य (Unplanned Construction), जनसंख्या का दबाव, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, जल विद्युत परियोजनाएं, विकास गतिविधियाँ सभी ने वर्तमान स्थिति में योगदान दिया है। हाल में उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन फटने की गंभीर समस्या सामने आयी, वहां के निवासियों के घरों में दरारें आने लगीं, पानी का रिसाव दिखने लगा और पर्यावरणविदों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जोशीमठ की भू-धंसाव की स्थिति अब नियंत्रण के बाहर जा चुकी है जिसे रोका नहीं जा सकता। बचाव, राहत कार्य और पुनर्वास ही एकमात्र विकल्प बचा है।

कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि जोशीमठ की जमीन में मात्र एक से 1.5 मीटर की गहराई तक मिट्टी है। वह भी खराब ग्रेड वाली रेतेली मिट्टी है। यह जमीन किसी भी शहर के लिए उपयुक्त नहीं। जनवरी माह में मात्र 23 दिनों में जोशीमठ में जमीन के भीतर लगभग 2 करोड़ 21 लाख 40 हजार लीटर पानी का रिसाव हो चुका है। पानी की यह मात्रा किसी बड़ी झील के बराबर है। प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी संस्थानों के लिए भी यह पानी अब भी अबूझ पहेली बना है। पानी के नमूने भी एनआईएच की ओर से लिए जा चुके हैं। देश भर के वैज्ञानिकों की टीमें जोशीमठ की बदलती भूगर्भीय संरचना, जमीन के अंदर अज्ञात स्रोतों से लगातार रिसते पानी, भूगर्भ में मिट्टी और पत्थरों की स्थिति, उनकी भार क्षमता और यहां के पर्यावरण और पर्वतीय संरचनाओं के रुझान की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जोशीमठ भू-धंसाव की जांच कर रहे अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पुनर्निर्माण की संभावनाएं तकरीबन खत्म होती जा रही हैं। बेहतर है कि नई टिहरी की तर्ज पर कहीं और नया जोशीमठ बसाया जाए।

दरअसल जोशीमठ मध्य हिमालय का एक हिस्सा है। यहां की चट्टानें प्रीकैम्ब्रियन युग की हैं और यह क्षेत्र भारत के सबसे गंभीर भूकंपीय क्षेत्र-4 के तहत आता है। जोशीमठ की मूलभूत समस्या यह है कि यह बहुत कमजोर भूमि पर स्थित है। दूसरे शब्दों में, जोशीमठ करीब 500 मीटर ऊंचे मलबों के पहाड़ पर बसा है। वो मलबे अतीत में हुए भूस्खलन के हैं। यहां जमीन खोखली है। इसकी सतह ठोस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के नीचे सतह खोखली है। जब-जब जमीन खिसकती है या उसके नीचे हलचल होती है, तब दरारें उभरने लगती हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जोशीमठ की समस्या के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें तैनात कर रखी हैं। वहीं, आईआईटी रुड़की, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियॉलोजी, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जोशीमठ के लिए तत्कालीन और दीर्घकालीन योजना बनाने के लिए स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं।

भूकंप प्रभावित क्षेत्र और मिट्टी की संरचना और पारितंत्र की भंगुरता को ध्यान में रखकर ही विकास कार्यों को बढ़ावा देने की बात की जा सकती है। भूगोलविदों का मानना है कि जोशीमठ क्षेत्र कभी ग्लेशियरों के अधीन था। इसलिए यहां की मिट्टी बड़े निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। जोशीमठ के पहाड़ में स्थित अधिकतर गांव और शहर भूस्खलन के मलबे या स्लोप पर बने हैं। जिस तेजी से जोशीमठ में विकास कार्य हो रहे हैं वो कई सालों से समस्या का कारण बने हुए हैं। जोशीमठ की सतह में चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है। इसके साथ ही खराब पानी प्रबंधन और सीवर प्रबंधन की वजह से होने वाले पानी के रिसाव के कारण जोशीमठ की नींव कमजोर हो गई है।

उत्तराखंड अपने अर्थव्यवस्था और राजस्व के लिए मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर रहा है जिसके चलते विकास परियोजनाओं पर जोर देना उत्तराखंड की जरूरत रही है। जोशीमठ में नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन के विष्णु गरुड़ प्रोजेक्ट के दौरान सुरंगों में किये गए विस्फोट का नकारात्मक प्रभाव जोशीमठ की भू स्थिरता पर पड़ा है। विष्णु गरुड़ प्रोजेक्ट के सुरंगों में किये गए विस्फोट इतने शक्तिशाली रहे हैं कि ये कृत्रिम भूकंप जैसी स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ढलान (स्लोप) पर बसे शहर की नींव में दरार आना और जमीन का धंसना स्वाभाविक है और यह एक बड़ा कारण है जिससे जोशीमठ की भू-स्थिरता प्रभावित हो रही है।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सिफारिशों का ध्यान रखना आवश्यक:

- जोशीमठ और देश के कई अन्य पर्वतीय क्षेत्र की सुरक्षा आज जब संकट में है तब इस बात का आंकलन करना जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड के जोशीमठ के संबंध में मिश्र कमिटी की रिपोर्ट (1976) को लागू क्यों नहीं किया गया जो जोशीमठ की समस्या का प्रभावी समाधान साबित हो सकता था? उल्लेखनीय है कि तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जोशीमठ में बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। इसके बावजूद

यहां एनटीपीसी और हेलंग-मालवाड़ी बायपास बन रहे हैं। एमसी मिश्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें शहर के धंसने का जिक्र है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से हुए भवन निर्माण से सत्तर के दशक में भी लोगों ने भूस्खलन और सड़क में दरार की शिकायत की थी, जिसके बाद कमेटी बनी, रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर पहाड़ से टूटे टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है जिसकी वजह से नींव कमजोर है। समिति ने भूस्खलन और भू- धंसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी, बड़े निर्माण न करने की चेतावनी भी दी थी। साल 2001 में उत्तराखंड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर के निदेशक एमपीएस बिस्ट और पीयूष रौतेला ने भी एक ऐसा ही रिसर्च सबमिट की थी, जिसमें जोशीमठ के सेंट्रल हिमालयन और भूकंप जोन होने की बात लिखी गई थी और सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के वैज्ञानिकों के द्वारा भी कहा जा चुका है कि जोशीमठ को एक बड़े शहर की तरह विकसित नहीं होना चाहिए था जैसा यह आज हो गया है।

जोशीमठ की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपाय:

- जोशीमठ में भू-धंसाव की गंभीर स्थिति को देखते हुए शहर में नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रोपावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। पर्यावरणविदों के सुझावों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में हेलांग बाइपास रोड निर्माण को भी रोकने की बात हुई। इसके अलावा एशिया के सबसे लंबे रोपवे 'ऑली रोपवे' के परिचालन को भी रोक दिया गया है। चूंकि जोशीमठ भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले 'जोन-5' में आता है, इसलिये इसका सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भी गठित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में लोगों के राहत और बचाव कार्य के लिए एक कमेटी भी गठित किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए चमोली जिले के जिलाधिकारी को 11 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।
- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा द्वारा 8 जनवरी, 2023 को जोशीमठ में भवनों के क्षतिग्रस्त होने और भूमि धंसने के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा जोशीमठ से लौटे तकनीकी दल (एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ, जीएसआई, एनआईएच, वाडिया संस्थान, आईआईटी रुड़की) के निष्कर्षों का विस्तृत आकलन करने और राज्य सरकार को स्थिति का समाधान करने के लिए तत्काल, लघु-मध्यम-दीर्घकालिक कार्यवाहियों पर सलाह देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है।
- प्रभावित परिवारों को समायोजित करने के लिए जोशीमठ और पीपलकोटी में राहत आश्रयों की पहचान की गई है। राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा और राहत उपाय प्रदान किए जा रहे हैं। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के निर्माण कार्यों को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जिला प्रशासन को उनके राहत और पुनर्वास प्रयासों में मदद करने के लिए तैनात किया गया है।
- केंद्रीय गृह सचिव ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति को अवगत कराया है कि सचिव, सीमा प्रबंधन के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम स्थिति के आकलन के लिए जोशीमठ में मुआयना कर चुकी है। कैबिनेट सचिव का कहना था कि प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों की पूर्ण और सुरक्षित निकासी तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए। संवेदनशील ढांचों को सुरक्षित तरीके से गिराने को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- पर्यावरणविदों का कहना है कि केंद्र साथ ही राज्य सरकार ने 2013 की आपदा केदारनाथ बाढ़ और 2021-ऋषि गंगा की बाढ़ से कुछ भी नहीं सीखा है। हिमालय एक बहुत ही नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। उत्तराखंड के अधिकांश हिस्से या तो भूकंपीय क्षेत्र-V या IV में हैं। जोशीमठ क्षेत्र की सतह कमजोर होने और समय के साथ यहां भारी निर्माण किए जाने के चलते खतरा बढ़ गया है। आबादी का दबाव इस क्षेत्र पर निरंतर बढ़ा है। ऐसे में बेतरतीब निर्माण पर रोक लगाए जाने के साथ ही यहां की जमीन की क्षमता का आकलन किया जाना जरूरी है। चूंकि यह पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अतिसंवेदनशील है, लिहाजा भूगर्भीय हलचल से पहले से कमजोर सतह पर अधिक असर पड़ेगा। सुझाव दिया कि नागरिकों को सुरक्षित करने के बाद क्षेत्र का माइक्रोजोनेशन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही जल निकासी प्रणाली पर नए सिरे से काम किये जाने की जरूरत है।
- देश भर के वैज्ञानिकों की टीमें जोशीमठ की बदलती भूगर्भीय संरचना, जमीन के अंदर अज्ञात स्रोतों से लगातार रिसते पानी, भूगर्भ में मिट्टी और पत्थरों की स्थिति, उनकी भार क्षमता तथा यहां के पर्यावरण और पर्वतीय संरचनाओं के रुझान की बारीकी से जांच कर रहे हैं। चूंकि सूचनाएं साझा करने पर रोक है, इसलिए तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगभग सभी वैज्ञानिक एकमत हैं कि जोशीमठ के हालात बेहद गंभीर हैं। मिट्टी-बोल्डर मैट्रिक्स से बनी जोशीमठ की जमीन पर पहले ही जरूरत से बहुत ज्यादा वजन है। इस वजन को कम करने के लिए सारी बड़ी इमारतें एक-एक करके हटानी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस जमीन पर पुनर्निर्माण के नाम पर नया बोझ न डाला जाए।
- नया जोशीमठ बसाने के लिए राज्य सरकार ने बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर ही चार स्थान चिह्नित किए हैं। सरकार को यहां से विस्थापित लोगों के स्थायी रोजगार और जमीनों की भी व्यवस्था करनी होगी। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। टिहरी बांध बनने पर पुरानी टिहरी डूब गई, लेकिन नई टिहरी आज आधुनिक टाउनशिप की एक मिसाल है। वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार जोशीमठ के बारे में ठोस फैसला लेकर कोई दूरगामी नीति तैयार करे। इसके साथ ही जोशीमठ भू-धंसाव की जांच कर रहे अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां पुनर्निर्माण की संभावनाएं तकरीबन खत्म होती जा रही हैं। बेहतर है कि नई टिहरी की तर्ज पर कहीं और नया जोशीमठ बसाया जाए।

राजव्यवस्था

बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तथा न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद

हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति जी ने यह कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद के संवैधानिक संशोधनों को रोकने के लिए मूल ढांचा सिद्धान्त का प्रयोग करती है। इसी क्रम में सर्वोच्च न्यालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने इसे ध्रुव तारे के समान बताया है जो किसी असमंजस कि स्थिति में रास्ता दिखाता है। इससे पूर्व जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने मूल ढ़ांचा सिद्धान्त के आधार पर जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया था, तब भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

बेसिक स्ट्रक्चर क्या है?

- भारत के संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर शब्द का उल्लेख नहीं है। यह अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद (1973) में दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने जिस दर्शन एवं आदर्शों के आधार पर संविधान का निर्माण किया है उसे कार्यपालिका अनुच्छेद-368 के अन्तर्गत परिवर्तित नहीं कर सकती। वैसे तो न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, परंतु विभिन्न वादों में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर उभर कर आए हैं। न्यायालय के अनुसार मूल संरचना सिद्धांत संविधान के दस्तावेज की भावना की रक्षा और संरक्षण में मदद करता है तथा भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति, लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की उत्पत्ति का इतिहास:

- संविधान के अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया।
- शंकरी प्रसाद मामला (1951)मामले में पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद-368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है तथा अनुच्छेद-13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है।
- इसके पश्चात आये गोलकनाथ मामले (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती हैं, न किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद-13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है।
- गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद में 24 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद-13 तथा अनुच्छेद-368 में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद-13 के आशय के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा।
- इसके पश्चात आए केशवानंद भारती (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना (Basic Structure) की अवधारणा दी। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने दिए गए निर्णय को ओवर रूल कर दिया इसमें 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा गया और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित भी कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहलाया। इसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि अनुच्छेद-368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन कारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप कार्यपालिका द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में अनुच्छेद-368 को संशोधित कर यह घोषित किया गया कि संसद की विधाई शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसका आधार चाहें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो? इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स (1980) मामले में इस प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया

क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अनुच्छेद-368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी।

- क्योंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधन शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। अत: इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया सकता क्योंकि सीमित शक्ति का उपयोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता।
- उसके पश्चात वामन राव मामले (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत की पुष्टि किया तथा यह भी स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल, 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर यह मूल संरचना सिद्धांत लागू होगा।

मूल संरचना सिद्धांत के तत्व:

वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद-368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हों। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन-कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्व के रूप में पहचान की जा सकती है:

1. संविधान की सर्वोच्चता।
2. भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणतंत्रात्मक प्रकृति।
3. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र।
4. विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन।
5. संविधान के संघीय स्वरूप।
6. राष्ट्र की एकता एवं अखंडता।
7. कल्याणकारी राज्य।
8. न्यायिक समीक्षा।
9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा।
10. संसदीय प्रणाली।
11. कानून का शासन।
12. मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन।
13. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।
14. न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
15. संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति।
16. न्याय तक प्रभावकारी पहुंच।
17. मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत।
18. अनुच्छेद-32, अनुच्छेद-136, अनुच्छेद-141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां।
19. अनुच्छेद-226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां।
20. समानता का सिद्धांत।

मूल संरचना सिद्धांत का उद्‌भव उस समय हुआ जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। कुछ संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि मूल संरचना सिद्धांत कार्यपालिका कि ज्यादतियों को रोकने में मदद करता है जो कि इमरजेंसी के काल में सिद्ध भी चुका है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे संवैधानिक भावना के विपरीत मानते हैं क्योंकि संवैधानिक संशोधन, संविधान को जीवित रखने में मदद करता है तो उसमें मूल सरंचना को भी परिवर्तित करने को शामिल करना चाहिए। कई मामलों में न्यायपालिका अति न्यायिक सक्रियता के द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करती है जिससे जमीनी स्तर पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु कई बार कार्यपालिका अपने विधायी कर्त्तव्यों से विमुख हो जाती है तो उसे नियंत्रित करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि किसी देश का संविधान उसके नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ही होता है। अत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-50 के अंतर्गत न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के स्पष्ट विभाजन के द्वारा जनहित को प्रेरित करते हुए, भारत में एक न्याय पूर्ण और प्रगतिशील लोकतंत्र को स्थापित कर सकती हैं।

राष्ट्रीय मुद्दे

1 ओडिशा में 2023-24 के लिए नई कार्य योजना 'कैम्पा'

चर्चा में क्यों?

CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) के लिए ओडिशा सरकार की राज्य-स्तरीय संचालन समिति ने मानव-पशु संघर्ष को कम करने पर ध्यान देने के लिए, 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए 1,086 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है।

कैम्पा नई कार्य योजना, 2023-24:

1. वन्यजीव प्रबंधन और संघर्ष में कमी:

- समिति ने बाघ आरक्षित अभयारण्यों से गांवों के पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया।
- निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडलों में अति उच्च आवृत्ति (वीएचएफ) नेटवर्किंग में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इसने मनरेगा मजदूरों को वन मजदूरों के रूप में लगाने का सुझाव दिया।

2. वनीकरण और वन संरक्षण:

- 2023-24 के लिए CAMPA वार्षिक संचालन योजना (APO) मुख्य रूप से वृक्षारोपण और अन्य गतिविधियों जैसे कि पुराने वृक्षारोपण के रखरखाव, वन संरक्षण, सुरक्षा के लिए, बांस के जंगलों के लिए एक साथ सिल्वीकल्चर संचालन, मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों आदि पर केंद्रित है। .

3. निगरानी और सत्यापन:

- वनीकरण कार्यक्रमों की निगरानी के लिए हर छह महीने में CAMPA ट्रैकर और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा।
- CAMPA फंडिंग के तहत कवर किए जाने वाले पुलिया और कॉजवे जैसे सामग्री गहन घटकों के साथ वन सड़कों को ग्रेड-1 मेटलिंग में अपग्रेड करने की योजना है।

कैम्पा के बारे में:

- सीएएफ अधिनियम 2016 ने निधि के निष्पादन के लिए एक स्वतंत्र निकाय-प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना की।
- क्षतिपूरक वनीकरण का अर्थ है कि हर बार वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों जैसे कि खनन या उद्योग के लिए बदला जाता है, उपयोगकर्ता एजेंसी गैर-वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर वन लगाने के लिए भुगतान करती है।
- प्रावधानों के अनुसार, CAF धन का 90% राज्यों को दिया जाएगा जबकि 10% केंद्र द्वारा अपने पास रखा जाएगा।
- CAMPA फंड, क्षतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) के लंबे समय से बकाये का हिस्सा है, जिसे उद्योग से पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में एकत्र किया गया है।
- धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्र के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन में सहायता, वन प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के पुनर्वास, मानव-पशु संघर्षों को कम करने आदि के लिए किया जा सकता है।

आगे की राह:

कैम्पा निधियों के प्रस्तावित उद्देश्य का उचित और कुशलता से उपयोग केवल वनीकरण तथा वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। ओडिशा सरकार की प्रस्तावित कार्य योजना अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शन है।

2 प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में हक्कू पत्र बांटे

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के कालाबुरगी में बंजारा (लंबानी) समुदाय के लगभग पचास हजार लाभार्थियों को हक्कू पत्र या भूमि शीर्षक लेख वितरित किए।

हक्कू पत्र के बारे में:

- हक्कू का शाब्दिक अर्थ है 'अधिकार' और पत्र का अर्थ है 'कागज' या दस्तावेज।
- हक्कू पत्र या टाइटल डीड एक दस्तावेज है जो धारक को भूमि/संपत्ति के मालिक के रूप में स्थापित करता है।
- यह एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के सही उत्तराधिकार के बारे में बताता है।
- आम तौर पर यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, झुग्गी निवासियों, विकलांगों आदि सहित देश के वंचित वर्गों को जारी किया जाता है।
- आम तौर पर हक्कू पत्र के तहत भूमि, सरकारी-स्वामित्व वाली होती है, जिसमें विशिष्ट शर्तें जुड़ी होती हैं।

हक्कू पत्र के फायदे:

- यह किसी व्यक्ति को जमीन/संपत्ति का आधिकारिक और अद्यतन रिकॉर्ड देकर जमीन/संपत्ति का वैध मालिक बनाता है।
- यह एक राज्य-गारंटी दस्तावेज है जो सीमाओं पर अतिक्रमण के माध्यम से किसी भी अतिक्रमण को रोकने में मदद करता है।
- यह भूमि/संपत्ति पर स्वामित्व या अधिकारों के संबंध में सभी प्रकार के विवादों का समाधान करता है।
- यह मालिकों को उक्त दस्तावेज के साथ बैंक ऋण प्राप्त करने के साथ संपत्ति/जमीन खरीदने/बेचने में सक्षम बनाता है।

बंजारा कौन हैं?

- लंबाड़ी, गौर राजपूत, लबाना आदि के रूप में भी जाना जाने वाला बंजारा एक ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश व्यापारिक जाति हैं, जिनका मूल राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र को माना जा सकता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अनुसार, बंजारा शब्द दो स्रोतों से आता है: 'बंजिया'- व्यापार या बनाचारा- वनवासी।
- उनके प्रमुख समूह का नाम लबन/लबाना, संस्कृत शब्द 'लवण' से लिया गया है जिसका अर्थ है नमक क्योंकि वे नमक के व्यापारी थे।
- बंजारा देश के विभिन्न भागों में एक गतिशील समुदाय है, विशेषकर

मेलों और त्यौहारों के दौरान।

- वे 'बंजारी' मातृभाषा के साथ-साथ, बहुभाषी हैं।
- यद्यपि उनके जीवन को देखते हुए एक जनजातीय समूह माना जाता है, बंजारे कर्नाटक में एक प्रमुख अनुसूचित जाति उप-समूह हैं।

आगे की राह:

इन वंचित समुदायों को अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष और कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। हक्कू पत्र का वितरण जमीन का मालिकाना हक देने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

3 कमांडिंग भूमिका में महिलाएं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 108 महिला अधिकारियों को (जो 1992 से 2006 बैच की थीं) कर्नल एस (सेलेक्शन ग्रेड) के रैंक के लिए पदोन्नति मिली। इससे पहली बार उन्हें अपने संबंधित कमांड यूनिट और सैनिकों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा।

पृष्ठभूमि:

- सेना में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों को 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में शामिल किया गया था।
- सेना में सेना शिक्षा कोर और जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखाओं को छोड़कर उन्हें स्थायी कमीशन का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं थी।
- 2016 में, फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट थीं।
- कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर (पायलट) के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
- 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ, पूर्वव्यापी प्रभाव से सेना की गैर-लड़ाकू सहायता इकाईयों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया।

महिलाओं का कॉम्बैट रोल क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- लड़ाकू भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की उपस्थिति उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के साथ समानता प्रदान करेगी।
- इससे पहले, JAG और सेना शिक्षा कोर शाखाओं को छोड़कर महिला अधिकारियों के लिए कर्नल बनने और एक इकाई की कमान संभालने के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं थे।
- एक लंबे करियर के साथ, महिला अधिकारियों को कर्नल और उससे आगे के पद सहित पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है।
- एक बार कर्नल के रूप में पदोन्नत होने के बाद, एक अधिकारी सेना में सीधे सैनिकों को कमांड करने के योग्य होता है, जो नेतृत्व के गुणों की स्वीकृति है और अधिकारी सैनिकों के साथ सीधे बातचीत करता है।
- महिलाएं आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स आदि जैसी इकाईयों की कमान संभालेंगी।
- वे अभी भी इन्फैंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स जैसे कोर कॉम्बैट आर्म्स में पात्र नहीं हैं।
- इस मामले पर सेना का अधिकांश विरोध अतीत के उदाहरणों से उपजा है जहां पुरुष सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया जाता है और दुश्मन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- हालांकि, सेना ने हाल ही में महिलाओं के लिए लड़ाकू सहायता, आर्टिलरी कोर खोलने का फैसला किया है।

आगे की राह:

यूएस, यूके, रूस और इजराइल समेत सभी प्रमुख देश महिलाओं को अपने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के कमांड पदों पर अनुमति देते हैं। कमांड असाइनमेंट के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए क्योंकि समानता संवैधानिक रूप से गारंटीकृत है।

4 सक्रिय एवं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और 'जीवित इच्छा'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि वह 'निष्क्रिय इच्छा मृत्यु' पर अपने 2018 के फैसले की समीक्षा नहीं करेगा अपितु 'लिविंग बिल' पर दिशानिर्देशों को अधिक व्यावहारिक बनाएगा। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2018 में जारी किए गए 'लिविंग बिल/ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव' के दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। यह याचिका 'इंडियन सोसायटी फॉर क्रिटिकल केयर' की ओर से दायर की गई थी।

पृष्ठभूमि:

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी गई थी।
- विधि आयोग ने अपनी (अगस्त 2012) 241 वीं रिपोर्ट में सरकार से चुनिंदा सुरक्षा उपायों के साथ निष्क्रिय अवस्था में इच्छामृत्यु देने की सिफारिश की थी।
- एनजीओ 'कॉमन काज' द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया जिसमें 'निष्क्रिय इच्छा मृत्यु' के साथ बनाई गई वसीयत 'जीवित इच्छा' को मान्यता देने की बात की गई थी।

न्यायालय का तर्क:

- निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को आर्टिकल-21 के तहत जीवन के अधिकार के एक पहलू के रूप में मौलिक अधिकार माना।
- शीर्ष न्यायालय ने माना कि मरणासन्न रोगी या लगातार बेहोशी की हालत में रहने वाला व्यक्ति गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार रखते हुए चिकित्सा निर्देश या जीवित इच्छा संपादित कर सकता है।

लिविंग विल एवं इच्छा मृत्यु क्या है?

- लिविंग विल एक ऐसा दस्तावेज है जो स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक रोगी की इच्छाओं को निर्धारित करता है और यह बताता है कि यदि वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और अपनी पसंद बनाने या संवाद करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए?
- लिविंग विल को एक्टिव डिक्लेरेशन (Active Declaration) भी कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 मार्च 2018 के अपने ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु एवं 'लिविंग बिल' की अनुमति दी गई। साथ ही कुछ दिशा-निर्देश दिए गए थे।

लिविंग विल कौन बना सकता है?

- ऐसा कोई भी वयस्क जो स्वस्थ एवं मानसिक रूप से स्थिर एवं संवाद करने की स्थिति में हो।
- उसे दस्तावेज को समझने एवं इसके परिणामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
- लिविंग विल स्वैच्छिक होनी चाहिए जिसके पीछे कोई दबाव या मजबूरी नहीं होनी चाहिए।

लिविंग बिल में क्या होना चाहिए?

- जिन परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार रोक दिया जाना या वापस ले लिया जाए, इस विषय में वसीयत को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- इसमें 'अभिभावक या करीबी रिश्तेदार' का नाम देना चाहिए जो निष्क्रिय मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम बढ़ाएगा। यदि एक से अधिक जीवित वसीयत हैं तो नवीनतम वसीयत वैध होगी।

सरकार द्वारा प्रयास:

- 'निष्क्रिय इच्छा मृत्यु एवं लिविंग बिल' विधेयक का मसौदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2016 में भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था।

आगे की राह:

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों, विभिन्न विशेषज्ञ पैनलों, विधि आयोग की रिपोर्ट एवं अन्य सिविल समाज के सुझाव के आधार पर सरकार द्वारा कानून बनाया जाए जिससे 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु एवं लिविंग विल' की प्रक्रिया एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

5 सोशल मीडिया में विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार उत्पाद और उसकी बिक्री से संबंधित हर तरह की सूचना को दर्शकों के समक्ष स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करना जरूरी होगा।

मुख्य बिंदु:

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग ने 'एंडोर्समेंट नो-हाउ!' नाम से दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देशिका को 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी किया गया है। सरकार द्वारा तय किए गए नए नियमों के अंतर्गत कंपनियां, सेलिब्रिटी, इंटरनेट मीडिया और वर्चुअल मीडिया आएंगे। दिशा निर्देशिका के अंतर्गत-

- किसी भी विज्ञापन में उत्पाद का स्पष्टीकरण, साफ-साफ शब्दों में होना चाहिए।
- कोई भी प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, प्रभावशाली व्यक्ति और सोशल मीडिया की जानी-मानी हस्ती को विज्ञापनदाता के साथ किसी भी उत्पाद से भौतिक या वित्तीय लाभ को बताना चाहिए। इसमें न केवल लाभ और प्रोत्साहन शामिल हैं, बल्कि अन्य फायदे, यात्राएं अथवा होटल में ठहरने, मीडिया बार्टर्स, कवरेज तथा पुरस्कार, शर्तों के साथ या बिना मुफ्त उत्पाद, छूट, उपहार और कोई भी पारिवारिक या व्यक्तिगत अथवा रोजगार संबंध शामिल हैं।
- किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंड का प्रावधान होगा।
- सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाले तथ्यों को लेकर भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि उत्पादों के साथ दी जाने वाली सूचनाएं सरल और स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आएं। सरकार ने यह नियम इंटरनेट मीडिया पर भ्रमित करने वाले विज्ञापनों की बहुतायत मात्रा को देखते हुए उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई है।

आगे की राह:

स्पष्ट है कि तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया के लिए विज्ञापन अब प्रिंट, टेलीविजन या रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया तक सीमित नहीं रह गए हैं। ऐसी स्थिति में नियमों का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापनों से होने वाली आय प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। 2025 तक इसके बढ़कर 2,800 करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना है। ऐसे में नई दिशानिर्देश आने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि अब सोशल मीडिया पर दर्शकों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर लगाम लगेगी।

6 गणतंत्र दिवस 2023 में 23 झांकियां हुई शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सम्पूर्ण देश में मनाये गये गणतंत्र दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर जैसे 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से छह झांकी सहित कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा को चित्रित किया गया।

झांकी तय करने की प्रक्रिया:

- हर साल सितंबर के आसपास रक्षा मंत्रालय, जो गणतंत्र दिवस परेड और समारोहों के लिए प्रमुख तैयारी करता है, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र सरकार के विभागों द्वारा उनके झांकी प्रस्ताव भेजने के बाद, झांकी तय करने की प्रक्रिया शुरू करता है।

झांकी के चित्रांकन हेतु दिशानिर्देश:

- प्रतिभागियों को अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/विभाग से संबंधित चीजों को व्यापक थीम के भीतर प्रदर्शित करना होता है। इस वर्ष प्रतिभागियों को दिए गए विषय भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 'नारी शक्ति' थे।
- दो अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में बहुत अधिक समानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झांकी को एक साथ मिलकर देश की विविधता को प्रदर्शित करना होता है। इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विभाग के नाम के अलावा कोई भी लेखन या लोगो का उपयोग नहीं हो सकता है। इसमें प्रतिभागियों को झांकी के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करने और प्लास्टिक या प्लास्टिक-आधारित उत्पादों के उपयोग से बचने की सलाह दी जाती है।

झांकी का चयन कैसे किया जाता है?

- चयन प्रक्रिया के लिए रक्षा मंत्रालय कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला आदि क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करता है, जो प्रस्तावों से झांकी को छांटने में मदद करते हैं।
- सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए स्केच या प्रस्तावों के डिजाइनों की जांच की जाती है। स्केच सरल, रंगीन, समझने में आसान होना चाहिए और अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। यह स्व-व्याख्यात्मक होना चाहिए जिसमें किसी लिखित विस्तार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- यदि झांकी में कोई पारंपरिक नृत्य शामिल है, तो वह लोक नृत्य होना चाहिए जिसमें वेशभूषा और संगीत वाद्ययंत्र प्रामाणिक होने चाहिए। प्रस्ताव में नृत्य की एक वीडियो क्लिप शामिल होनी चाहिए। एक बार अनुमोदित होने के बाद, प्रतिभागियों को उनके प्रस्तावों हेतु त्रि-आयामी मॉडल के साथ प्रस्तुत करना होता है, तत्पश्चात विशेषज्ञ समिति द्वारा पुन: जांच की जाती है।
- रक्षा मंत्रालय प्रत्येक प्रतिभागी को एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर प्रदान करता है क्योंकि किसी अन्य वाहन के हिस्सा बनने पर रोक होता है। हालांकि, प्रतिभागी मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए ट्रैक्टर या ट्रेलर को अन्य वाहनों से बदल सकते हैं, लेकिन कुल संख्या दो वाहनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आगे की राह:

भारत देश विविधताओं से संपन्न है जहां की प्राचीन विरासत आज की आधुनिकता से ओतप्रोत है। ऐसे ही जीवंत प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर करने से आने वाली पीढ़ियों के साथ ही, सम्पूर्ण विश्व को भी प्रेरणा मिलती है।

7 असर (ASER) रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एनजीओ प्रथम (Pratham) ने शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (एएसईआर) 2022 जारी की है जो 4 वर्षों में पहली पूर्ण रिपोर्ट है। इसमें 616 ग्रामीण जिलों में 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 7 लाख बच्चों को नामांकन, उपस्थिति, पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं के संबंध में उनकी स्कूली शिक्षा की स्थिति दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- लगभग 2 वर्षों के बाद फिर से स्कूल खुलने पर 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में नामांकन 98.4% के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है जो 2014 में 96.7% और 2018 में 97.2% से बढ़ा है। 2018 में 65.6% से 2022 में 72.9% तक नामांकित बच्चों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकारी स्कूलों में भी काफी बदलाव आया है।
- हालांकि नामांकन के स्तर में वृद्धि एवं सीखने के परिणामों में काफी गिरावट आई है क्योंकि बुनियादी पठन कौशल, संख्यात्मक कौशल की तुलना में अधिक कठिन है। तीसरी कक्षा के बच्चे जो कम से कम दूसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने में सक्षम हैं और कम से कम 2 अंकों का घटाना करते हैं, 2018 में क्रमश: 27.2% और 28.1% थे, महामारी के बाद यह अंतर 20.5% और 25.9 तक बढ़ गया है।
- यह गिरावट हर राज्य के सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में बच्चों के लिए देखी जा सकती है। 2018 के स्तर से 10 प्रतिशत अंक से अधिक की गिरावट दिखाने वाले राज्यों में वे राज्य शामिल हैं जिनका 2018 में शिक्षा का स्तर उच्च था, जैसे-केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि सशुल्क ट्यूशन लेने वाले छात्रों का अनुपात 2018 में 26.4% से बढ़कर 2022 में 30.5% हो गया है। बिहार और नागालैंड ने ऐसे बच्चों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है।
- रिपोर्ट ने 15-16 वर्ष के आयु की उन लड़कियों के अनुपात को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है जो स्कूल नहीं जाती हैं जो 2018 में 13.5% से घटकर 2022 में 7.9% हो गया है।

आगे की राह:

वर्तमान समय में भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। एक स्थायी भविष्य और शक्तिशाली मानव संसाधन के निर्माण के लिए, हमें शैक्षिक नामांकन में वृद्धि का लाभ उठाना चाहिए। सीखने के अंतर को कम करने के लिए निपुन भारत जैसी योजनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुसार एक एकीकृत समग्र दृष्टिकोण वाली शिक्षा को अपनाना, समय की मांग है।

1 वर्ष 2022 में चीन की जनसंख्या में आई गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की जनसंख्या में 60 से अधिक वर्षों में पहली बार गिरावट आई है। माओत्से तुंग की विनाशकारी कृषि नीति जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के रूप में जाना जाता है, के उपरांत आए अकाल के बाद से जनसंख्या में यह पहली बार गिरावट है।

चीन की जनसंख्या में गिरावट:

- चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2022 के अंत में मुख्य भूमि चीन की जनसंख्या 1.411 बिलियन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 850,000 कम है। इस दौरान चीन में जन्म लेने वालों की संख्या 9.56 मिलियन थी, जो 2021 से लगभग 10% कम है, वहीं मरने वालों की संख्या 10.41 मिलियन रही।

भारत की जनसंख्या:

- भारत में 2011 के बाद आधिकारिक जनगणना नहीं हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, 2022 में भारत की जनसंख्या 1,417.2 मिलियन थी (जो चीन की तुलना में अधिक है) और 2023 में 1,428.6 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

चीन की जनसंख्या में गिरावट के कारण:

- **एक बच्चे की नीति (1980-2015):** यह नीति कानूनी रूप से सभी परिवारों को एक से अधिक बच्चे पैदा करने से प्रतिबंधित करती है जिसका उद्देश्य चीन की जनसंख्या वृद्धि को सीमित करना और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने में मदद करना था। इसका प्रभाव यह रहा कि चीन का कुल प्रजनन दर (TFR), 2020 की जनगणना के अनुसार, प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रति महिला 1.3 जन्म था।
- **चीन में उच्च सामाजिक स्थिति:** दो बच्चे की नीति की शुरुआत के समय किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 70% उत्तरदाताओं ने वित्तीय कारणों का हवाला दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास की लागत शामिल है। चीन में बदलते सामाजिक मूल्यों के कारण वहां के लोग छोटा परिवार चुनते हैं।

चीन पर प्रभाव:

- **कामकाजी आयु के लोगों की घटती संख्या:** 2022 के अंत तक 16-59 कामकाजी उम्र की आबादी 875.56 मिलियन या 62% थी, जो 2010 में 950 मिलियन से अधिक थी। चीन की कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा 2045 तक 50% से नीचे गिरने का अनुमान है।
- **आश्रितों की उच्च जनसंख्या:** वर्तमान समय में 60 से ऊपर की आबादी 280 मिलियन या 19.8% है, जो 2010 में 249 मिलियन से थी।
- **विषम लिंगानुपात:** पुरुषों की संख्या (722.06 मिलियन), महिलाओं की संख्या (689.7 मिलियन) से अधिक है।

भारत के लिए अवसर:

- भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को समाहित करते हुए प्रजनन दर 2.1 पर पहुँच गयी है जिससे दुनिया की सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में है। भारत श्रम लागत में वृद्धि के कारण चीन से स्थानांतरित होने वाले व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है। भारत युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके तथा सरकार की नीतियों को व्यापार उन्मुखी बनाकर काफी हद तक लाभ उठा हो सकता है।

आगे की राह:

चीन की जनसंख्या में गिरावट भारत के लिए न केवल अवसर देती है बल्कि यह सीख भी देती है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए मजबूर नीतियों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, इसलिए नीतियों को सहमति पर आधारित होना चाहिए।

2 श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन वार्ता संपन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत के साथ ऋण पुनर्गठन वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस वार्ता के दौरान भारत ने संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र के ऋण पुनर्गठन को आधिकारिक रूप से समर्थन देने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF) को वित्तीय आश्वासन भेजा। इसी संदर्भ में विदेशमंत्री एस. जयशंकर दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका गये।

ऋण पुनर्गठन वार्ता:

- श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अति आवश्यक बेलआउट पैकेज हेतु, अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों (चीन, जापान और भारत) से वित्तीय आश्वासन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ताकि आईएमएफ बेलआउट पैकेज देने के लिए आश्वस्त हो सके।
- इसके पहले आईएमएफ ने बेलआउट को रोक दिया गया था क्योंकि श्रीलंका वैश्विक ऋणदाता की शर्त को पूरा करने में असमर्थ था। इसीलिए श्रीलंका ने पिछले साल सितंबर में अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ ऋण पुनर्गठन वार्ता शुरू की थी जो लगभग सफल रहा है।
- श्रीलंका ने जापान और चीन के साथ अपनी ऋण पुनर्गठन वार्ता पूर्ण की। श्रीलंका ने IMF के अतिरिक्त, ADB और विश्व बैंक से ब्रिजिंग फाइनेंस (bridging finance) प्राप्त करने का प्रयास किया है।

श्रीलंका संकट के कारण:

- वर्ष 2019 में ईस्टर हमले से पर्यटक गतिविधियों में गिरावट, कोविड-19 महामारी, निर्यात में गिरावट और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आ गई।

श्रीलंका की मदद के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमः

- भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में कोलंबो को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की। जनवरी 2022 में, भारत ने श्रीलंका को कम हो रहे विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की।
- इसके बाद भारत ने श्रीलंका की ईंधन खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की, जिसे बाद में बढ़ाकर 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी भारत ने काफी मदद की है।

आगे की राहः

श्रीलंका-भारत के अच्छे संबंध प्राचीन काल से ही रहे हैं, चाहे वह हिन्दू धर्म को लेकर हो या फिर बौद्ध धर्म। भारत ने हमेशा श्रीलंका को पड़ोसी प्रथम की भावना के साथ सहायता की है। भारत-श्रीलंका के बेहतर संबंधों से हिन्द महासागर के आसपास शांति, स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

3 सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट: द इन्डिया स्टोरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के वार्षिक मीटिंग के दौरान दावोस (स्विटजरलैंड) में ऑक्सफेम इंटरनेशनल ने आय असमानता पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष 2012 से 2021 के बीच सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि कुल जनसंख्या के 50% सबसे गरीब लोगों के पास कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदुः

- **लैंगिक असमानताः** भारत में लैंगिक असमानता को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुष श्रमिकों द्वारा अर्जित प्रत्येक 1 रुपये की तुलना में महिला श्रमिकों को केवल 63 पैसे मिलते हैं, वहीं अनुसूचित जाति तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए स्थिति और भी खराब है, क्योंकि उन्होंने 2018 एवं 2019 के बीच, लाभ प्राप्त सामाजिक समूहों की कुल आय का क्रमशः 55% और 50% अर्जित किया।
- **सामाजिक असमानताः** रिपोर्ट के अनुसार, देश के हाशिए पर रहने वाले समुदाय (marginalized communities) जैसे दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। भारत में गरीब, अमीरों की तुलना में असमान रूप से उच्च करों का भुगतान कर रहे हैं तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं।

भारत के अरबपतियों पर कर लगाना, असमानता दूर करने में मददगारः

- रिपोर्ट कहती है कि भारत के दस सबसे अमीर लोगों पर 5% कर लगाकर, उससे प्राप्त राजस्व से बच्चों हेतु बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सकती है, वहीं भारत के अरबपतियों को उनकी पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक बार कर लगाया जाये तो इससे अगले तीन वर्षों के लिए देश में कुपोषितों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपये एकत्रित हो सकता है। देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार कर (1.37 लाख करोड़ रुपये) लगाने से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (86,200 करोड़ रुपये) तथा आयुष मंत्रालय (3,050 रुपये) द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कुल अनुमानित धन से 1.5 गुना अधिक एकत्रित हो सकता है।
- ऑक्सफेम इंटरनेशनल 90 से अधिक देशों में भागीदारों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने वाले 21 स्वतंत्र संगठनों का एक संघ है जिसका मिशन गरीबी का कारण बनने वाले अन्याय को समाप्त करना है। यह लोगों को गरीबी से बाहर निकालने हेतु व्यावहारिक, अभिनव तरीके खोजने का काम करता है।

आगे की राहः

2021 में फाइट इनइक्वलिटी एलायंस इंडिया (एफआईए इंडिया) द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए ऑक्सफेम ने पाया कि भारत में 80% से अधिक लोग अमीरों और निगमों पर कर का समर्थन करते हैं जिन्होंने कोविड -19 महामारी के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। अतः निजी क्षेत्रों को सरकार के साथ मिलकर, विकास की दौड़ में पीछे रह गये लोगों की मदद करनी चाहिए तभी हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्राप्त कर सकेंगे और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाया जा सकेगा।

4 भारत-रूस संयुक्त उद्यम ने यूपी में AK-203 असाल्ट राइफल्स का निर्माण किया शुरू

चर्चा में क्यों?

रूस एवं भारत के संयुक्त उद्यम 'इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड' (IRRPL) ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 'कोरवा आयुध कारखाने' में उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत एवं रूस ने दिसंबर 2021 में कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से 5124 करोड़ रुपए की लागत से 601427 AK-203 असाल्ट राइफल के उत्पादन का समझौता किया था। कोरवा ऑर्डिनेंस संयुक्त उद्यम भारत में AK-203 राइफल्स के उत्पादन का 100% स्थानीकरण सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है। पूर्व मे समझौते में देरी के कारण फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत अमेरिका से SIG-716 असाल्ट राइफल्स मंगाई गई थी।

संयुक्त अनुबंध के मुख्य तथ्यः

- IRRPL तीन कंपनियों का एक संयुक्त उपक्रम है।
- IRRPL की स्थापना तत्कालीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) अब एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (AWEIL) और म्युनिशन इंडिया लिमिटेड (MIS) भारत एवं रूस की कलाश्निकोव के बीच संयुक्त रूप से की गई थी।
- संयुक्त उद्यम में OFB की 50.5%, कलाश्निकोव की 42% और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट की 7.5% हिस्सेदारी है।

संयुक्त उद्यम का रोड मैपः

- 5000 AK-203 राइफल्स की प्रथम खेप मार्च तक सेना को सौंप

दी जाएगी।

- 32 महीनों में 70000 राइफल्स सेना को पहुंचाई जाएंगी जिसमें 5% से 70% तक स्वदेशी उपकरण होंगे।
- पूरे अनुबंध को 128 महीने या 10 वर्षों के करीब अवधि में निष्पादित किया जाएगा जिसमें 100% तक स्वदेशी उपकरण का उपयोग होगा।

AK-203 राइफल्स के बारे में:

- AK-203 असाल्ट राइफल को AK-47 राइफल का नवीनतम तथा अद्यतन संस्करण माना जाता है जो कि AK 100 राइफल वर्ग का 7.62×39 mm संस्करण है। यह भारतीय लघु हथियार प्रणाली (INSAS) एवं पुरानी AK-47 का स्थान लेगी। इंसास जो लगभग दो दशकों से सेवा में है तथा INSAS राइफल्स उपयोग में अनेक तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है।

आगे की राह:

रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने कहा है कि रूस और भारत सैन्य तकनीकी सहयोग पर योजनाओं को लागू करना जारी रखेंगे जिसमें लाइसेंस प्राप्त करना उत्पादन वितरण के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास भी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार भारत द्वारा विभिन्न देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत रक्षा आत्मनिर्भरता एवं मुख्य निर्यातक की भूमिका को प्राप्त कर सकेगा।

5 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में संकट की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ और कई अन्य संगठनों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश जलवायु परिवर्तन और सूखा सहित विभिन्न प्रकार की आपदा का सामना कर रहे हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्षेत्रीय स्थिति:

- हॉर्न ऑफ अफ्रीका चार दशकों से अधिक समय में अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। इथियोपिया, केन्या, सोमालिया और इरिट्रिया में लगातार पाँच अपर्याप्त वर्षा ऋतु रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अनुमान है कि इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में क्रमशः लगभग 52 मिलियन, 3.5 मिलियन और 1.8 मिलियन लोगों की भोजन तक पहुंच मुश्किल से हो रही है। यही कारण है कि अफ्रीकी संघ (एयू) द्वारा वर्ष 2022 को पोषण वर्ष घोषित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA) के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 23.75 मिलियन लोगों को पीने, खाना पकाने, सफाई और स्वच्छता के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। हैजा और खसरा जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जिससे नाजुक और अत्यधिक बोझ वाली स्वास्थ्य प्रणालियों की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, बढ़ती खाद्य कीमतों और COVID-19 महामारी के प्रभाव से खाद्य असुरक्षा का संकट अधिक बढ़ गया है।

खाद्य संकट के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया:

इथियोपिया, केन्या और सोमालिया में लगभग 500 मानवीय संगठन, जिनमें से अधिकांश स्थानीय नेतृत्व वाले तथा समुदाय-आधारित हैं, सूखे की प्रतिक्रिया की स्टडी कर रहे हैं। संकट का जवाब देने के लिए संसाधनों को जुटाना प्राथमिक तरीकों में से एक देश स्तर पर समेकित अपील है। इथियोपिया सरकार ने जुलाई 2022 में सूखा प्रतिक्रिया योजना लागू की, जिसमें खाद्य संकट का जवाब देने के लिए 1.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की मांग की गई। केन्या में एक 'फ्लैश अपील' 2011 से चल रही है जिसे संशोधित करने हेतु US$290 मिलियन की आवश्यकता है। पड़ोसी देश सोमालिया में भी स्थिति केन्या जैसी है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया:

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए सक्रियता दिखाई है। अमेरिका ने इथियोपिया, केन्या और सोमालिया की मानवीय प्रतिक्रिया में योगदान दिया है। इनमें से अधिकांश फंडिंग संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के माध्यम से की गई है। यूनाइटेड किंगडम ने महाद्वीप में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने हेतु पूर्वी अफ्रीका में US$156 मिलियन प्रदान किया। भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया। चूंकि बाजरा को कम पानी और कृषि आदानों (Inputs) की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अफ्रीका में लाखों लोगों को भूख से बचा सकता हैं।

आगे की राह:

लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक गंभीर और बार-बार हो रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को 2023 में अकाल से बचाया जाये। इसके लिए पर्याप्त धन, सामाजिक और मानवीय सुरक्षा आदि की आवश्यकता है।

6 दक्षिण कोरिया की हिन्द-प्रशांत रणनीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण कोरिया गणराज्य ने अपनी पहली व्यापक क्षेत्रीय रणनीति 'इंडो-पैसिफिक रणनीति' पेश किया है। इसका उद्देश्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करते हुए राजनयिक साझेदारी में विविधता लाना है, साथ ही एक स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध हिन्द-प्रशांत की वकालत करके देश की स्थिति को एक मजबूत शक्ति के रूप में दोहराना है।

दक्षिण कोरिया की हिन्द-प्रशांत रणनीति:

- इस 'इंडो-पैसिफिक रणनीति' में सक्रिय भाग लिए बिना वैश्विक राजनीति के मूक दर्शक के रूप में दक्षिण कोरिया की आलोचना की गई है। यह रणनीति अपनी पहले की स्थिति से एक नाटकीय बदलाव की परिकल्पना करती है जो वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप है। यह समावेशिता, विश्वास और पारस्परिकता के तीन सहयोग सिद्धांतों के तहत एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिन्द-प्रशांत

क्षेत्र की दृष्टि को पूरा करने के प्रयासों की वकालत करता है। अभी तक सियोल को गठबंधन और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया था, जिसमें अमेरिका उसका सुरक्षा सहयोगी था तथा चीन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार।

यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में क्यों महत्त्वपूर्ण?

- इस रणनीति के लिए बड़े सामरिक वातावरण और क्षेत्र में गतिशील संबंधों के नेटवर्क की आवश्यकता है। इसके लिए दक्षिण कोरिया को समान विचारधारा वाले देशों, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़कर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की जरूरत है। दक्षिण कोरिया को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता और कानून के शासन का प्रचार करने के लिए QUAD के सदस्यों के साथ भी जुड़ना चाहिए। चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए वियतनाम, जापान, भारत आदि के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा, उसे हिन्द-प्रशांत देशों के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी में विविधता लानी चाहिए।
- सियोल इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और CHIP-4 जैसी क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों, हरित विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि के क्षेत्र में अपनी मुख्य ताकत और विशेषज्ञता का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, सियोल अपने व्यापार आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) और क्षेत्र के भीतर सहायता बढ़ा सकता है।
- देश के लिए तत्काल खतरा उत्तर कोरिया की परमाणु आकांक्षाएं हैं। इसका मुकाबला करने के लिए इसे अमेरिका और जापान के साथ लगातार सैन्य अभ्यास करना चाहिए, प्रासंगिक हथियारों को तैनात करना चाहिए और सामरिक संपत्ति विकसित करनी चाहिए। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति को बढ़ावा देने के लिए इसे समान विचारधारा वाले देशों से राजनीतिक समर्थन लेना होगा। सियोल को भी दुनिया में शांति, समृद्धि और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए समर्थन बढ़ाना होगा।

आगे की राह:

इस क्षेत्र में सियोल की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी एक अच्छा कदम माना जा रहा है, लेकिन बदलते भू-राजनीतिक प्रतिमानों के मद्देनजर इस रणनीति में निरंतर संशोधन की आवश्यकता होगी।

7 असुरक्षित ट्रांस फैट से लगभग पांच अरब लोग प्रभावित

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी चौथी वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 'काउंटडाउन टू 2023: WHO रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस-फैट एलिमिनेशन 2022' में चेतावनी दी है कि वैश्विक स्तर पर पांच अरब लोग हानिकारक ट्रांस फैट से असुरक्षित हैं, जिससे हृदय रोग बढ़ने की संभावना है जो मृत्यु के खतरा को बढाता है।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड (टीएफए) के उन्मूलन के लिए 2023 के लक्ष्य की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी करती है। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार 2018 में औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के 2023 तक वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया था। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को सीमित करने के लिए विशिष्ट मानदंड स्थापित किए हैं:
  - सभी खाद्य पदार्थों में प्रति 100 ग्राम कुल वसा के लिए औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा के 2 ग्राम की अनिवार्य राष्ट्रीय सीमा।
  - सभी खाद्य पदार्थों में एक संघटक के रूप में आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेलों के उत्पादन या उपयोग पर अनिवार्य राष्ट्रीय प्रतिबंध।
- ट्रांस वसा या ट्रांस-फैटी एसिड, असंतृप्त वसा का एक रूप है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में होते हैं। प्राकृतिक ट्रांस वसा, मांस और डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से तब बनते हैं, जब जानवरों के पेट में बैक्टीरिया घास को पचाते हैं। सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक ट्रांस वसा संयुग्मित लिनोलिक एसिड (LCA) है जिसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। कृत्रिम ट्रांस वसा या औद्योगिक ट्रांस वसा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इनका उत्पादन वनस्पति तेलों को कमरे के तापमान पर ठोस रहने के लिए रासायनिक रूप से बदलने पर होता है, जो उन्हें लंबे समय तक शैल्फ जीवन (Shelf life) देता है। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा आमतौर पर पैकेज्ड फूड, बैक्ड गुड्स (Baked goods), खाना पकाने के तेल आदि में पाया जाता है।

चिंता (Concern):

- ट्रांस फैट स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है जो स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए भारी लागत का कारण बनता है। इसका सेवन दुनिया भर में हर साल कोरोनरी हृदय रोग से 5 लाख लोगों की समय से पहले होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है।
- वर्तमान समय में 16 में से 9 देशों में ट्रांस फैट के सेवन से कोरोनरी हृदय रोग से होने वाली मौतों के उच्चतम स्थिति होने के बाद भी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।
- जबकि उच्च-आय वाले देशों (उत्तरी अमेरिका और यूरोप) ने ज्यादातर ट्रांस-वसा उन्मूलन नीतियों को लागू किया है। भारत जैसे मध्यम-आय वाले देशों में ऐसी नीतियों को अपनाना अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। इसके अलावा, कम आय वाले देशों के लिए यह बहुत गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

आगे की राह:

हालांकि, अभी भी पर्याप्त प्रगति के बावजूद दुनिया भर में 5 अरब लोगों को ट्रांस फैट के विनाशकारी स्वास्थ्य प्रभावों से खतरा है। देश के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था हेतु सरकारों को सर्वोत्तम राष्ट्रीय नीति का पालन करके इन मौतों को रोकना चाहिए।

पर्यावरणीय मुद्दे

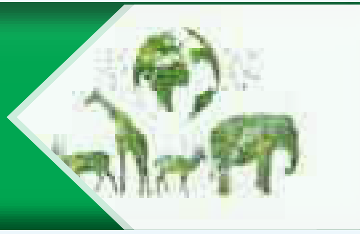

1 नीलकुरिंजी प्लान्ट को WPA, 1972 के अन्तर्गत किया गया सूचीबद्ध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-III के तहत नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंथियाना) को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है।

नीलकुरुंजी प्लान्ट के बारे में:

- नीलकुरिंजी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में शोला वनों में पाया जाता है।
- इसका नाम कुंती नदी के नाम पर रखा गया है जो केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है।
- यह पौधा मंगलादेवी पहाड़ियों से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट के एक छोटे से हिस्से में स्थानिक (Endemic) है।
- यह पूर्वी घाट में शेवरॉय पहाड़ियों, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों और कर्नाटक में सैंडुरु पहाड़ियों में भी पाया जाता है।
- मुन्नार के निकट एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, कुरिंजी के बड़े पैमाने पर खिलने के लिए जाना जाता है, जिसकी पुन: खिलने की उम्मीद 2030 में है।
- इसकी विशेषता है कि यह बारह वर्षों में केवल एक बार खिलता है और आमतौर पर 1300-2400 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ता है।
- ऐसा माना जाता है कि नीलगिरि (शाब्दिक अर्थ नीला पर्वत) नाम स्वयं नीलकुरिंजी के बैंगनी-नीले फूलों से आया है।
- फूल में कोई सुगंध या कोई औषधीय गुण नहीं है। यह दुर्लभ पौधों की प्रजातियों में से एक है, जो दुनिया के अन्य भागों में नहीं पाया जाता है।
- इसे लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:

- यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों तथा पौधों की सुरक्षा, देश की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है।
- इसने विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को छह अनुसूचियों में विभाजित किया है।
- भारत वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) का एक पक्ष है जिसके लिए CITES के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता होती है।

नए आदेश का महत्त्व:

- नीलकुरिंजी को अनुसूची-III के तहत शामिल करने के बाद वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यानों में नीलकुरिंजी को उखाड़ने अथवा नष्ट करने वालों के विरुद्ध विभाग कार्यवाही करेगा जिसमें 25,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की कैद होगी।
- यह क्षेत्र में पर्यटकों के व्यवहार को नियंत्रित करेगा।

आगे की राह:

WPA, 1972 के तहत सूचीबद्धता एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो पौधों की प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण में मदद करेगा। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।

2 स्पॉट-बेल्ड ईगल आउल और मोटल वुड आउल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक वन्यजीव टीम ने शेषचलम वन में पहली बार और आंध्र प्रदेश में तीसरी बार 'स्पॉट बेल्ड ईगल आउल' देखा। यह पहले नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व (NSTR) में पाया गया था।

स्पॉट-बेल्ड ईगल आउल (Spot Bellied Eagle Owl) के बारे में:

- यह एक शिकारी पक्षी है जो पेट पर अपने विशिष्ट धब्बों के लिए जाना जाता है।
- यह चिड़िया इंसानों की तरह अजीब सी चीख निकालती है, इसलिए इसे भारत में 'जंगल का भूत' और श्रीलंका में 'डेविल बर्ड' कहा जाता है।
- यह भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश और वियतनाम में पाई जाती है।
- ये बड़े पक्षियों के साथ सियार, सिवेट और खरगोश जैसे स्तनधारियों का भी शिकार करते हैं।
- घने जंगलों में बड़े पेड़ों पर पाए जाने वाले इस पक्षी का आवास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है।
- आईयूसीएन लाल सूची के तहत, इसे 'लीस्ट कंसर्न' में रखा गया है।
- CITES: Appendix II

मोटल वुड आउल (Mottled Wood Owl):

- इसे तिरुपति-अन्नमय्या अंतर-जिला सीमा पर चामाला जंगल के खेतों में भी देखा गया है।
- मोटल वुड आउल भारत में पाए जाने वाले बड़े उल्लू की एक प्रजाति है।
- वे बगीचों और सूखे कंटीले जंगलों या खेत की भूमि से सटे पतले पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं।
- IUCN रेड लिस्ट के तहत, इसे 'लीस्ट कंसर्न' के रूप में भी लेबल किया गया है।

शेषचलम हिल्स:

- ये पूर्वी घाट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण-पूर्वी भारत की पर्वत शृंखलाएँ हैं।
- ये पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में रायलसीमा के ऊपरी इलाकों और उत्तर-पश्चिम में नंद्याल घाटी से घिरी हुई हैं।
- शेषचलम पहाड़ियों में सात चोटियाँ हैं, जिनके नाम अंजनाद्री,

गरुडाद्री, नारायणदाद्री, नीलाद्रिम शेषाद्री, वेंकटाद्री और वृषभाद्री हैं।

- तिरुपति भी इसी पहाड़ी शृंखला में स्थित है।

नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व:

- 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मान्यता प्राप्त, यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
- रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें ज्यादातर नल्लामाला हिल्स शामिल हैं।
- दो बहुउद्देश्यीय जलाशय रिजर्व स्थित हैं-श्रीशैलम और नागार्जुनसागर।
- कृष्णा नदी इस टाइगर रिजर्व के बेसिन को काटती है।
- 1992 में, इसे राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पुनः नाम दिया गया।

आगे की राह:

वन्यजीवों और उनके आवास का संरक्षण, सरकार का सबसे आवश्यक एजेंडा होना चाहिए। प्रभावी संरक्षण पद्धतियों की योजना बनाने के लिए विद्वानों के विभिन्न अध्ययनों और शोधों का उपयोग किया जा सकता है।

3 राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और इंटरनेशनल वॉटर एसोसिएशन (IWA) द्वारा चेन्नई में 'वॉटर रिक्लेमेशन एंड रियूज' पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय जलभृत (Aquifer) पर भी चर्चा हुई जिसका उद्देश्य एक्वीफर और पानी की उपलब्धता की पहचान करना है।

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में:

- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM) भारत में जलभृतों के मानचित्रण के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- इसको 2012 में तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) के सतत भूजल प्रबंधन पर 12वीं योजना कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर लॉन्च किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य 'अपने जलभृत को जानें, अपने जलभृत का प्रबंधन करें' है जिसका अन्य प्रमुख लक्ष्य सहभागी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
- इसके तीन आयामों में एक्वीफरों का चित्रण और लक्षण वर्णन, मुद्दों की पहचान तथा मात्रा का ठहराव, भूजल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल है।
- इसमें IIT कानपुर, IISC बेंगलुरु, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद जैसे कई शोध संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है।

जलभृत मानचित्रण क्या है?

- एक्वीफर भूमिगत जल धारण करने वाली पारगम्य चट्टानें या शैल संरचनाएँ होती हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक्वीफर सूचना और प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, जलभृतों के भूगर्भिक ढांचे, जलभृतों में जल स्तर, जलभृतों की हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं तथा समय के साथ जल स्तर कैसे बदलते हैं? इसकी हमारी समझ के लिए जलभृत मानचित्रण महत्त्वपूर्ण है।
- जलभृत मानचित्रण हमें मानवजनित और प्राकृतिक प्रदूषकों की घटना का अध्ययन करने में भी मदद करता है जो भूजल की पीने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
- यह विभिन्न भूजल प्रबंधन योजनाओं तथा कार्यक्रमों को तैयार करने और निगरानी करने में नीति निर्माण में भी मदद करेगा जो देश में पेयजल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधाओं और जल संसाधनों के विकास में स्थिरता हासिल करने हेतु आवश्यक है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में:

- यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीनस्थ एक कार्यालय है और राष्ट्रीय सर्वोच्च एजेंसी है जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन, वृद्धि तथा विनियमन के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी स्थापना 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत की गयी थी, बाद में 1972 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग के साथ विलय कर दिया गया था।

आगे की राह:

भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'हर घर जल मिशन' को आत्मसात करने एवं भूगर्भ के जल स्तर को बनाए रखने हेतु ऐसे कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। रिसाइक्लिंग वॉटर के प्रयोग तथा ड्रिप एंड स्प्रिंकुलर इरिगेशन के माध्यम से भी जल बचाव में सफलता मिल सकती है।

4 94 साल बाद दिखी दुर्लभ बत्तख की ग्रेटर स्कूप प्रजाति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के लोकतक झील में बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप, जिसे स्थानीय रूप से सदांगमन के नाम से जाना जाता है, को देखा गया है।

प्रमुख बिंदु:

बत्तख की इस दुर्लभ प्रजाति को पक्षी विज्ञानी कुमम जुगेश्वर और मणिपुर के वन्यजीव खोजकर्ता सदस्यों ने देखा था। पक्षीविज्ञानियों ने कहा कि 94 साल बाद लोकतक झील में इस बत्तख को देखे जाने की यह पहली घटना है।

ग्रेटर स्कूप के बारे में:

- ग्रेटर स्कूप एक मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बत्तख की प्रजाति है जो एनाटिडे परिवार से संबंधित है। यह एकमात्र सर्कम्पोलर डाइविंग डक है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के टुंड्रा क्षेत्रों में प्रजनन करता है। ये सर्दियों के दौरान प्रशांत और अटलांटिक के तट पर हजारों की संख्या में एकत्र होते हैं। वे

उल्लेखनीय रूप से लेसर स्कूप के समान दिखते हैं, सिर के आकार में केवल मामूली अंतर के साथ, ग्रेटर स्कूप का सिर गोल होता है जबकि लेसर स्कूप का सिर नुकीला होता है। ये पानी के नीचे के गोताखोर झीलों और खाड़ियों के तल पर जलीय अकशेरूकीय और पौधों का भक्षण करते हैं।

- IUCN में इनकी संरक्षण की स्थिति लाल सूची के लीस्ट कंसर्न में है। IUCN लाल सूची श्रेणियों और मानदंड का उद्देश्य वैश्विक विलुप्त होने के उच्च जोखिम वाली प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए एक आसानी से और व्यापक रूप से समझी जाने वाली प्रणाली है।

लोकतक झील के बारे में:

- लोकटक झील उत्तर-पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील को दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नाम से जाना जाता है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। लोकतक झील आसपास के क्षेत्र के लिए पीने के पानी, सिंचाई और जलविद्युत का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। यह झील मछली पकड़ने और नौका विहार के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। यह लुप्तप्राय संगाई हिरण सहित विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन का आवास है।

5 दुर्लभ भूगर्भिक तत्वों का ज्ञात सबसे बड़ा भंडार यूरोप में मिला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी, एलकेएबी ने घोषणा किया कि उसने स्वीडन के उत्तरी क्षेत्र के किरुना (Kiruna) में दस लाख टन से अधिक रेयर अर्थ ऑक्साइड की खोज की है जो यूरोप का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है।

इस खोज का क्या महत्त्व है?

आत्मनिर्भरता:

वर्तमान में, यूरोप में दुर्लभ मृदाओं (Rare earths) का खनन नहीं किया जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग की जाने वाली दुर्लभ मृदाओं का 98 प्रतिशत चीन से आयात किया जाता है। हरित ऊर्जा में बदलाव के लिए दुर्लभ पृथ्वी सामग्री महत्त्वपूर्ण है। इस खोज से रूस पर यूरोपीय संघ की निर्भरता कम हो सकती है।

दुर्लभ भूगर्भिक तत्व क्या हैं?

- दुर्लभ पृथ्वी तत्व या दुर्लभ भूगर्भिक धातु आवर्त सारणी में 17 रासायनिक तत्वों का एक सेट है जिसमें 15 लैंथेनाइड्स, प्लस स्कैंडियम और येट्रियम तथा लैंथेनाइड्स के समान अयस्क जमा होते हैं जिनके समान रासायनिक गुण होते हैं।

दुर्लभ भूगर्भिक तत्व किसके लिए उपयोग होता है?

- ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण शमन तथा राष्ट्रीय रक्षा की प्रौद्योगिकियों में महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। स्कैंडियम का उपयोग टेलीविजन और फ्लोरोसेंट लैंप में किया जाता है, जबकि येट्रियम का उपयोग रुमेटी गठिया और कैंसर के इलाज के लिए दवाओं में किया जाता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व सेरियम सबसे प्रचुर दुर्लभ पृथ्वी तत्व है जिसका उपयोग अंतरिक्ष शटल घटकों, जेट इंजन टर्बाइन और ड्रोन में किया जाता है।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा:

- पवन टरबाइन मोटरों में नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है। ईवी की बैटरी बनाने के लिए नियोडिमियम, बोरॉन और आयरन से बने रेयर अर्थ मैग्नेट का उपयोग किया जाता है।

दुर्लभ भूगर्भिक तत्वों पर चीन का एकाधिकार:

- चीन ने समय के साथ रेयर अर्थ पर वैश्विक वर्चस्व हासिल कर लिया है। दुनिया की जरूरत के 60% रेयर अर्थ का उत्पादन चीन करता है। चीन ने अपने भू-राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रेयर अर्थ बाजार में अपने एकाधिकार का बार-बार उपयोग किया है। रेयर अर्थ पर चीन के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और 10 अन्य देशों ने अगस्त 2022 में खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) बनाया था।

भारत में दुर्लभ भूगर्भिक तत्वों की स्थिति:

- भारत के पास दुनिया के रेयर अर्थ भंडार का 6% है। यह वैश्विक उत्पादन का केवल 1% उत्पादन करता है और चीन से ऐसे खनिजों की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है। इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल) प्राथमिक खनिज के खनन और निष्कर्षण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है जिसमें कई तटीय राज्यों में पाए जाने वाले मोनाजाइट समुद्र तट की रेत जैसे रेयर अर्थ तत्व शामिल हैं।

आगे की राह:

हालांकि, चीन का एकाधिकार अगले कुछ वर्षों तक बने रहने की संभावना है, क्योंकि विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्वीडन में किरुना खदान में परिचालन शुरू करने में वर्षों लग सकते हैं, जहां भंडार पाए गए हैं। फिर भी यह विद्युतीकरण, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद करेगा।

6 कृत्रिम आकाशीय चमक (Artificial sky glow)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में की गयी एक स्टडी के अनुसार, प्रकाश प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है जिससे कुछ जगहों पर रात के समय आकाश में नग्न आंखों से दिखाई देने वाले तारों की संख्या 20 वर्षों से कम समय में आधे से भी कम हो रही है। यह कृत्रिम स्काई-ग्लो के कारण हो रहा है।

कृत्रिम आकाश चमक क्या है?

कृत्रिम आकाश चमक एक परिघटना है जब वातावरण में बिखरा हुआ कृत्रिम प्रकाश रात के समय आकाश की चमक को बढ़ा देता है। जैसे-जैसे आकाश कृत्रिम प्रकाश से चमकने लगता है, वैसे-वैसे

धुँधली वस्तुएँ मानव की आँखों से दिखाई न देकर, गायब (Disappear) होने लगती हैं। यह प्रकाश प्रदूषण का सबसे अधिक दिखाई देने वाला नकारात्मक प्रभाव है।

प्रकाश प्रदूषण क्या है?

प्रकाश प्रदूषण प्रकाश के मानवजनित स्रोतों के कारण रात के समय प्राकृतिक प्रकाश स्तर में परिवर्तन है। प्राकृतिक प्रकाश स्तर प्राकृतिक खगोलीय स्रोतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे-चंद्रमा, प्राकृतिक वायुमंडलीय उत्सर्जन (एयरग्लो), तारे और मिल्की वे तथा राशिचक्रीय प्रकाश।

कृत्रिम आकाश चमक का क्या प्रभाव होता है?

- अध्ययन के अनुसार, गैर-प्राकृतिक प्रकाश ने 2011 और 2022 के बीच हर साल कृत्रिम आकाश चमक की चमक को 9.2-10% तक बढ़ा दिया था, विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में।
- इसके कारण तारे तेजी से हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहे हैं जो बड़ी संख्या में कभी हमें दिखाई देते थे। यह भू-आधारित ऑप्टिकल खगोलीय प्रेक्षणों में बाधा डालता है।

भारत में कृत्रिम स्काई ग्लो की स्थिति:

- 2016 के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत की 19.5% आबादी (जी-20 देशों में सबसे कम अंश) आसमानी चमक के स्तर का अनुभव करती है। इस प्रभावों में मानव आंखों में शंकु कोशिकाओं (Cone Cells) को उत्तेजित करना शामिल है। हेनले (Hanle) डार्क स्काई रिजर्व (लद्दाख) भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व है।

वनस्पतियों और जीवों पर इस कृत्रिम चमक के परिणाम:

कई अध्ययनों में पाया गया है कि रात में कृत्रिम प्रकाश लोगों और वन्य जीवन दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है:

- यह जानवरों के प्रवासी पैटर्न को भ्रमित कर सकता है।
- यह उनके जीवन के तरीके को बदलकर, उन्हें शिकारियों के लिए प्रवण (prone) बना सकता है।
- मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव-यह सर्कैडियन रिदम (circadian rhythms) और मेलाटोनिन के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, जिससे नींद संबंधी विकार और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं (स्तन कैंसर का खतरा बढ़ना) हो सकती हैं।
- ऊर्जा की बर्बादी-दुनिया भर में बिजली की कम से कम एक-चौथाई खपत के लिए प्रकाश (Lighting) जिम्मेदार है।

आगे की राह:

प्रकाश का सदुपयोग करके, लाइफ जैसे मिशन को सफल बनाकर तथा अच्छे गुणवत्ता वाले बल्बों का प्रयोग करके आने वाली भविष्य में प्रकाश प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर ही प्रकाश का उपयोग करना जैसे तरीके काफी मददगार हो सकते हैं।

7 अफ्रीकी वन हाथियों के संरक्षण की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार, अगर वन हाथी विलुप्त हो जाते हैं, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन अपनी कार्बन कैप्चर क्षमता का 6-9% खो सकता है। अफ्रीकी वन हाथी (लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस) जंगलों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो अधिक वायुमंडलीय कार्बन जमा करते हैं, और अफ्रीका में वनों की जैव विविधता को बनाए रखते हैं।

वन हाथी कार्बन कैप्चर को बढ़ाता है:

- प्रत्येक जंगल में कम कार्बन घनत्व और उच्च कार्बन घनत्व वाले पेड़ होते हैं। पूर्व में हल्की लकड़ी होती है जबकि बाद वाले में भारी लकड़ी होती है।
- कम कार्बन घनत्व वाले पेड़ सूरज की रोशनी पाने के लिए अन्य पौधों और पेड़ों से ऊपर उठकर तेजी से बढ़ते हैं।
- उच्च कार्बन घनत्व वाले पेड़ धीरे-धीरे बढ़ते हैं, इन्हें कम घनत्व वाले पेड़ो की अपेक्षा 2/5 भाग धूप की आवश्यकता होती है और छाया में बढ़ने में सक्षम होते हैं।
- अफ्रीकी वन हाथी कम कार्बन घनत्व वाले पेड़ों को हटा देता है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च कार्बन घनत्व वाले पेड़ों के प्रतिस्पर्धियों को हटा देता है। यह सूर्य के प्रकाश को अधिक उच्च कार्बन घनत्व वाले पेड़ों तक पहुँचने में भी सक्षम बनाता है।
- शोध में पाया गया कि ये हाथी अप्रत्यक्ष रूप से 'जंगल के माली' के रूप में काम करते हैं। वे उच्च कार्बन घनत्व वाले पेड़ उगाते हैं और खरपतवार, जो कम कार्बन घनत्व वाले पेड़ हैं से छुटकारा दिलवाते हैं।

अफ्रीकी हाथियों के बारे में:

- अफ्रीकी हाथी (एशियाई हाथियों से थोड़े बड़े) पृथ्वी पर सबसे बड़े स्थलीय जानवर हैं। उनकी सूंड के सिरे पर अंगुलियों जैसी दो विशेषताएं होती हैं जबकि एशियाई हाथियों में सिर्फ एक होती है।
- इसकी दो उप-प्रजातियां हैं-सवाना (या झाड़ी) हाथी और वन हाथी।
    1. अफ्रीकी सवाना हाथी (लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना)-आईयूसीएन स्थिति: लुप्तप्राय।
    2. अफ्रीकी वन हाथी (लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस)- आईयूसीएन स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।

कांगो वर्षावन:

- ये वर्षावन छह देशों-कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC), इक्वेटोरियल गिनी और गैबॉन के क्षेत्रों को कवर करते हैं।
- इनमें से DRC में वर्षावन का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है।
- वर्षावन पेड़ और जानवरों की प्रजातियों सहित अपनी उच्च स्तर की जैव विविधता के लिए जाना जाता है।

आगे की राह:

शोध से निष्कर्ष निकलता है कि हाथी सीधे वातावरण में कार्बन के स्तर को प्रभावित करते हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए आवश्यक समर्थन उत्पन्न करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन में वन हाथियों के महत्त्व को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

1 गंभीर कोविड के खिलाफ हाइब्रिड इम्युनिटी सबसे कारगर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में द लैंसेट इंफेक्शियस डिजीज में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि केवल टीकाकरण या संक्रमण के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा की तुलना में हाइब्रिड इम्युनिटी गंभीर कोविड संक्रमणों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। इसने मेटा रिग्रेशन मॉडल को डेटासेट पर लागू किया है जिसमें पिछले संक्रमण की सुरक्षात्मक प्रभावशीलता की रिपोर्ट करने वाले 11 अध्ययन और हाइब्रिड प्रतिरक्षा की सुरक्षात्मक प्रभावशीलता की रिपोर्ट करने वाले 15 अध्ययन शामिल हैं।

हाइब्रिड इम्युनिटी क्या है?

- यह पिछले संक्रमण और टीकाकरण के संयोजन से प्राप्त प्रतिरक्षा है- या तो प्राथमिक खुराक या प्राथमिक और बूस्टर खुराक दोनों। अध्ययन में बताया गया है कि हाइब्रिड इम्युनिटी वाले व्यक्तियों में गंभीर कोविड संक्रमणों और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने के खिलाफ सुरक्षा का उच्च परिमाण तथा स्थायित्व होता है।
- अध्ययन से यह भी पता चला है कि तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिणामस्वरूप वायरस के संपर्क में लोगों की संख्या अधिक होती है जिससे हाइब्रिड प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष:

- अंतिम खुराक या संक्रमण के तीन महीने बाद अकेले एक कोविड संक्रमण से गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से सुरक्षा 82.5% पाई गई। यह सुरक्षा 12 महीनों में 74.6% और 15 महीनों में 71.6% पाई गई। लेकिन पुनः संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा तेजी से कम हो जाती है जो तीन महीनों में 65.2%, 12 महीनों में 24.7% और 15 महीनों में 15.5% तक गिर जाती है।
- इसकी तुलना में, सिर्फ प्राथमिक टीके की खुराक के साथ हाइब्रिड इम्युनिटी तीन महीने में 96% और 12 महीने में 97.4% पाई गई। इसके अलावा, जब पुनः संक्रमण से सुरक्षा की तुलना की गई तो इसने तीन महीनों में 69% सुरक्षा की पेशकश की, जो 12 महीनों में 41.8% कम हो गई। इसके अलावा, प्राथमिक शृंखला टीकाकरण और बूस्टर खुराक दोनों के साथ संक्रमण के साथ अस्पताल में भर्ती होने या गंभीर बीमारी के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता 12 महीने में 97.4% और 6 महीने में 95.3% थी। इससे हाइब्रिड इम्युनिटी की आवश्कता को आसानी से समझा जा सकता है।

आगे की राह:

ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के कारण दुनिया भर में (विशेष रूप से चीन में) वर्तमान कोविड बढ़ोत्तरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के मन में भय पैदा कर रहा है। हाइब्रिड इम्युनिटी पर अनुसंधान टीकाकरण की संख्या और समय विशेष रूप से बूस्टर खुराक पर आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

2 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह के चारों ओर एकाकी तरंगों (Solitary Webs) की खोज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर महत्त्वपूर्ण खोज की है। यह अपनी तरह की पहली खोज है जिसमें भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान (IIG) के भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंगल ग्रह के चारों ओर एकाकी तरंगों (solitary webs) की उपस्थिति के पहले साक्ष्य की सूचना दी है।

मुख्य बिंदु:

- एकाकी तरंगें (Solitary Webs) मुख्य रूप से मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में विशिष्ट विद्युत क्षेत्र में उतार-चढ़ाव हैं जो तरंग-कण परस्पर क्रिया के माध्यम से ऊर्जा, प्लाज्मा हानि और परिवहन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- आईआईजी के वैज्ञानिक, नासा के मंगल ग्रह के वायुमंडल और वाष्पशील विकास (एमएवीईएन) अंतरिक्ष यान पर लैंगमुइर प्रोब और वेव्स उपकरण का उपयोग करके रिकॉर्ड किए गए उच्च-रिजॉल्यूशन वाले विद्युत क्षेत्र डेटा की मदद से खोज कर सकते हैं। मैग्नेटोस्फीयर कमजोर होता है लेकिन यह बेहद गतिशील और मंगल ग्रह के वातावरण के साथ सौर हवाओं के सीधे संपर्क के कारण बनता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इन पल्सेस की परिमाण और अवधि क्रमशः 1-25 मिलीवोल्ट/मीटर और 0.2-1.7 मिलीसेकंड पाई जाती है। मंगल ग्रह के चारों ओर 1000-3500 किमी की ऊंचाई पर सुबह और दोपहर के समय इसको प्रमुखता से देखा जाता है। ये एकाकी तरंगें सुबह और शाम इन क्षेत्रों में प्रभावशाली होती हैं। इन क्षेत्रों में अभी भी यह तरंगें वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। यह निष्कर्ष 'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल' में प्रकाशित हुए हैं, जो 450 एकाकी तरंग पल्सेस के विश्लेषण की रिपोर्ट पेश करता है।

आगे की राह:

एकाकी तरंगों (solitary webs) की इस खोज से शोधकर्ता और वैज्ञानिक मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के व्यवहार में नई जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और यह उनके लिए अन्य ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाओं का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

3 आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार-ओएस (BharOS) किया विकसित

चर्चा में क्यों?

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए, आईआईटी

मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भार-ओएस' या 'भारत ऑपरेटिंग सिस्टम' विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ सेलफोन उपयोगकर्ता को लाभान्वित कर सकता है। इसे जे एंड के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था जो आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अंत:विषय साइबर-भौतिक प्रणालियों पर अपने राष्ट्रीय मिशन के तहत वित्त पोषित किया जाता है।

इस सिस्टम की विशेषताएं:

- भार-ओएस को कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ हैंडसेट (Commercial Off-The-Shelf Handsets) पर इंस्टॉल किया जा सकता है। यह वर्तमान में कठोर गोपनीयता तथा सुरक्षा आवश्यकताओं वाले संगठनों के लिए उपलब्ध है जो संवेदनशील जानकारी को संभालते हैं जिसके लिए गोपनीय संचार की आवश्यकता होती है।
- एंड्रॉइड और आईओएस के विपरीत, यह सॉफ्टवेयर नो डिफॉल्ट ऐप्स (एनडीए) के साथ उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है या वे उन ऐप्स पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है।
- यह विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं (PASS) से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है। यह संगठनों की सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा करने वाले ऐप्स की चयनित सूची तक पहुंच प्रदान करता है। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं और कोई संभावित सुरक्षा भेद्यता या गोपनीयता की चिंताएं नहीं हैं। यह नेटिव ओवर द एयर (NOTA) अपडेट प्रदान करता है जो स्वचालित रूप से डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर सुरक्षा और बग फिक्स के साथ अद्यतित (अपडेटेड) है। यह भी सुनिश्चित करता है कि डिवाइस हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण चला रही है।

इसका महत्त्व:

- एनडीए, पास और नोटा जैसी सुविधाओं के साथ, भार-ओएस सुनिश्चित करता है कि भारतीय मोबाइल फोन भरोसेमंद हैं। भार-ओएस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसे की बुनियाद पर बनाया गया है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को केवल उन्हीं ऐप्स को चुनने और उपयोग करने की स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

आगे की राह:

इस अभिनव प्रणाली से भारत उन कुछ देशों की सूची में शामिल होगा जिनके पास वर्तमान में ऐसी क्षमताएं हैं। यह Google के Android और Apple के iOS के विकल्प के रूप में उभर सकता है। यह अपने मोबाइल उपकरणों पर सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में उपयोगकर्ताओं के सोचने के तरीके में क्रांति लाने का वादा करता है। निजी उद्योग, सरकारी एजेंसियों, सामरिक एजेंसियों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय सहयोग से भारत में भार-ओएस के उपयोग में वृद्धि होगी। यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए एक अच्छा संकेत है।

4 बच्चों को दूषित दवाओं से बचाने के लिए डब्ल्यूएचओ की चेतावनी

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में निम्न गुणवत्ता और नकली चिकित्सा उत्पादों को लेकर चेतावनी दी है, जिसके कारण कम से कम 300 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से अधिकांश बच्चे हैं। इसने बच्चों की सुरक्षा के लिए दवाओं के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान किया है।

डब्ल्यूएचओ-वैश्विक चिकित्सा अलर्ट:

- पिछले चार महीनों में कई देशों ने उच्च स्तर के डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) वाले बच्चों के लिए कफ सिरप की कई घटनाओं की सूचना दी है।
- ये संदूषक औद्योगिक सॉल्वेंट्स और एंटीफ्रीज एजेंटों के रूप में उपयोग किए जाने वाले जहरीले रसायन हैं जो कम मात्रा में भी घातक हो सकते हैं और इन्हें कभी भी दवाओं में नहीं पाया जाना चाहिए।
- WHO ने इन घटनाओं को संबोधित करते हुए तीन वैश्विक चिकित्सा अलर्ट जारी किए हैं। इन चेतावनियों ने सभी 194 सदस्य राज्यों से अनुरोध किया है कि-
  - बाजारों में संचलन से दूषित दवाओं का पता लगाना और हटाना।
  - प्रभावित होने वाले देशों तथा क्षेत्रों की आपूर्ति शृंखलाओं के भीतर निगरानी और परिश्रम में वृद्धि।
  - देश में इन निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों की खोज होने पर डब्ल्यूएचओ को तत्काल सूचना देना।

भारत निर्मित दवाओं के लिए WHO की वैश्विक चेतावनी:

डब्ल्यूएचओ ने पाया कि हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चार कफ सिरप गाम्बिया में तीव्र गुर्दे की बीमारी (acute kidney injuries) के मामले से संभावित रूप से जुड़े हुए हैं। उसमें चार कफ सिरप थे:

1. प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन।
2. कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप।
3. मैकॉफ बेबी कफ सिरप।
4. मैग्रीप एन कोल्ड सिरप।

- डब्ल्यूएचओ ने कहा कि नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित एम्ब्रोनोल और डॉक1 मैक्स में दूषित पदार्थों के रूप में डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा है।

प्रदूषकों का प्रभाव:

- डीईजी और ईजी से पेट में दर्द, दस्त, सिरदर्द, उल्टी, आक्षेप हो सकते हैं, संचार प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं और तीव्र गुर्दे की विफलता (acute renal failure) का कारण बन सकते हैं।

- ➢ ये औषधीय उत्पाद उपयोग करने के लिए असुरक्षित हैं, विशेष रूप से बच्चों में, और WHO के अनुसार गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकते हैं।

डब्ल्यूएचओ बारे में:

- ➢ यह 1948 में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मुख्यालयः जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
- ➢ 194 सदस्य राज्य, 50 देशीय कार्यालय, छह क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- ➢ WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देता है, मानदंड और मानक निर्धारित करता है।

आगे की राहः

दूषित दवाएं मृत्यु और बीमारियों का संभावित कारण हो सकती हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी चिकित्सा उत्पाद सक्षम अधिकारियों द्वारा बिक्री के लिए अनुमोदित हैं और लाइसेंस प्राप्त

5 रैट साइबोर्ग (RAT CYBORG)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व विज्ञान कांग्रेस के सत्र में, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रीमियम आरएंडडी सुविधा (Facility) ने रैट साइबोर्ग्स प्रस्तुत किया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट्स लेबोरेटरी (डीवाईएसएल) रिमोट नियंत्रित कृंतक सह रोबोट अर्थात रैट साइबोर्ग फॉर इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकवरी ऑपरेशंस (आईएसआर ऑप्स) का उन्नत संस्करण विकसित कर रही है।

रैट साइबोर्ग्स के बारे में:

- ➢ यह जीवित जीवों और मशीन के संयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे यांत्रिक तत्वों को सामान्य जीवित प्राणियों की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए जोड़ा गया था। रैट साइबोर्ग्स को खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और रिकवरी ऑपरेशन के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एक साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अब दूसरे चरण में है।
- ➢ DYSL ने मानक प्रयोगशाला कृन्तकों का पहला बैच विकसित किया। परीक्षण के पहले चरण में रक्षा वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड (एक विद्युत कंडक्टर जो विद्युत प्रवाह को गैर-धातु ठोस में ले जाता है) स्थापित किया है जो बाहर से संकेत प्राप्त कर सकता है।
- ➢ रैट साइबोर्ग के सिर पर कैमरे लगे होंगे जो कम आक्रामक मस्तिष्क इलेक्ट्रोड के माध्यम से इलेक्ट्रिक कमांड का उपयोग करके निर्देशित किया जाएगा।
- ➢ परीक्षण के दूसरे चरण में रैट साइबोर्ग्स को नॉन-इनवेसिव तरीके से यंत्रीकृत किया जाएगा ताकि रिकवरी ऑपरेशंस में सटीक मदद मिल सके। इसमें लापता व्यक्ति को खोजने के लिए उनके माउंटेड कैमरों में छवियों को फीड करना शामिल होगा। जैसा कि 26/11 के आतंकी हमले की स्थिति में हुआ था, जहां 200 से अधिक व्यक्तियों की तलाशी ली गई थी।

इस तकनीक के उपयोग का तरीका:

- ➢ यह तकनीक मस्तिष्क को कुछ संकेत देती है जो जानवर को मुड़ने, चलने और रुकने के लिए प्रेरित करती है। ये मूल रूप से तंत्रिका तंत्र में प्लीजर प्वाइंट्स (pleasure points) हैं, जिन्हें अगर छुआ जाए तो जानवर को रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है।
- ➢ रैट साइबोर्ग की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में दीवार पर चढ़ने और छलावरण की अपनी प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके दुश्मन से छिपने जैसी क्षमताएं शामिल होंगी। इसके साथ ही इसे जारी किए गए स्थान की छवियों और अन्य डेटा को कैप्चर करने के लिए कैमरों के साथ भी लगाया जाएगा।
- ➢ इस उन्नत प्रौद्योगिकी मिशन का मूल उद्देश्य उन अधिक विशिष्ट रोबोटों के लिए एक विकल्प विकसित करना है जिनकी गतिशीलता के मामले में सीमाएं हैं। कृंतक अधिक लचीलापन प्रदान करेंगे। यह एनिमल साइबोर्ग टेक्नोलॉजी पहले से ही चीन में मौजूद है, जहां दूर-दूर तक बीटल्स (beetles) ने भी क्रिएट किया है।

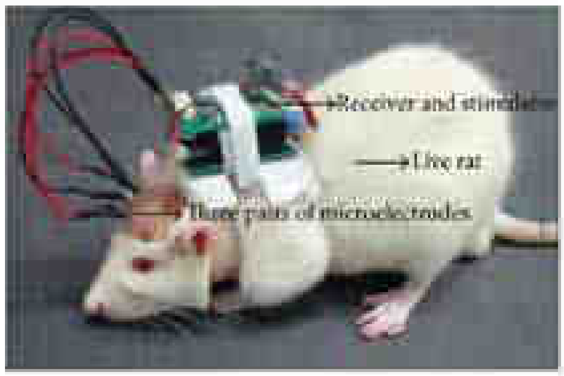

इस तकनीक से जुड़े लाभ:

- ➢ यह रिमोट-नियंत्रित रोबोट का एक लचीला और सटीक विकल्प है।
- ➢ प्राकृतिक छलावरण वाला यह जानवर, मानव जासूस की तुलना में सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है।
- ➢ यह पश्चिमी, पूर्वी क्षेत्र और नक्सली क्षेत्रों में भी गैर-राज्य अभिकर्ताओं, आतंकवादियों और विद्रोहियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण रूप से सहायक होगा।
- ➢ कानून-व्यवस्था एजेंसियों जैसे पुलिस और अर्ध-सैन्य बलों को तलाशी अभियान चलाने में मददगार हो सकता है।
- ➢ इन लाभों के अलावा, साइबोर्ग प्रौद्योगिकी एक खर्चीला उपकरण है जिसके संचालन और रखरखाव के लिए कुशल जनशक्ति भी शामिल होगी।

आगे की राह:

यदि भविष्य में आने वाली चुनौतियों को संबोधित किया जाए तो रैट साइबोर्ग प्रौद्योगिकी भारतीय सशस्त्र बलों की आईएसआर क्षमताओं को मजबूत कर सकती है जिससे भारतीय रक्षा व्यवस्था की क्षमता निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

6 प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं में भिन्नता से जुड़ा शोध जारी

चर्चा में क्यों?

एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार हाइड्रोजन एपोच ऑफ रिआयनाइजेशन ऐरे (एचईआरए) टेलीस्कोप अब कॉस्मिक डाउन से रेडियो संकेतों की खोज कर रहा है। कॉस्मिक डाउन बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन वर्ष के बाद का समय है जब तारे प्रज्वलित हुए थे।

टेलीस्कोप ने अभी तक क्या पाया है?

- अभी तक हेरा (HERA) ने विकिरण का पता नहीं लगाया है, 21 सेंटीमीटर लाइन का रेडशिफ्ट रिआयनाइजेशन का युग के दौरान आकाशगंगाओं की मौलिक संरचना में परिवर्तन को दर्शाता हैं। हालाँकि अभी तक वास्तव में कॉस्मिक डार्क युग के अंत से रेडियो उत्सर्जन का पता नहीं लगा पाए हैं, उनके परिणाम प्रारंभिक ब्रह्मांड में सितारों और आकाशगंगाओं की संरचना के लिए कुछ क्लू प्रदान करते हैं।
- कॉस्मिक डार्क युग एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड तटस्थ हाइड्रोजन के कोहरे से घिरा हुआ था जिसने पहले सितारों और आकाशगंगाओं के प्रकाश को फँसा लिया था।
- आंकड़े बताते हैं कि बिग बैंग के लगभग 200 मिलियन वर्ष बाद बनने वाले शुरुआती सितारों में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ अन्य तत्व शामिल थे। यह आज के सितारों की संरचना से अलग है, जिसमें विभिन्न प्रकार की तथाकथित धातुएं हैं, तत्वों के लिए खगोलीय शब्द, लिथियम से लेकर यूरेनियम तक, जो हीलियम से भारी हैं। यह खोज वर्तमान मॉडल के अनुरूप है कि कैसे सितारों और तारकीय विस्फोटों ने अधिकांश अन्य तत्वों का उत्पादन किया।

हेरा और अन्य टेलीस्कोप के बीच अंतर:

अन्य टेलिस्कोप भी प्रारंभिक ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने अब एक आकाशगंगा की तस्वीर ली है जो बिग बैंग में ब्रह्मांड के जन्म के लगभग 325 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थी। लेकिन JWST केवल सबसे चमकीली आकाशगंगाओं को देख सकता है जो कि रिआयनीकरण के युग के दौरान बनी थीं इसके विपरीत हेरा अन्य आकाशगंगाओं को भी देख सकता है जो कि कम चमकीली है।

हेरा के बारे में:

हाइड्रोजन एपोच रीआयनाइजेशन ऐरे (हेरा) एक रेडियो टेलीस्कोप है जो रीआयनाइजेशन के युग के दौरान और उससे पहले बड़े पैमाने पर संरचना को देखने के लिए समर्पित है। हेरा का उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड का निरीक्षण करना है।

आगे की राह:

हेरा तटस्थ हाइड्रोजन से विकिरण का पता लगाने का प्रयास करता है जो उन शुरुआती सितारों और आकाशगंगाओं के बीच की जगह को भरता है और विशेष रूप से यह निर्धारित करता है कि हाइड्रोजन ने रेडियो तरंगों को उत्सर्जित या अवशोषित करना बंद कर दिया क्योंकि

7 पृथ्वी का आंतरिक कोर ऊपरी सतह की तुलना में धीमी गति से घूम रहा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर अपनी ऊपरी सतह की तुलना में धीमी गति से घूम रहा है।

शोध के निष्कर्ष:

- अध्ययन ने पिछले छह दशकों में भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया है। अध्ययन के लेखकों ने कहा है कि आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक स्विंग की तरह आगे और पीछे घूमता रहता है। एक स्विंग चक्र सात दशकों का होता है जो दिन की लंबाई के अनुरूप होता है।
- 1970 के दशक की शुरुआत में, आंतरिक कोर सतह की तुलना में थोड़ा तेज घूम रहा था। 2009 के आसपास यह पृथ्वी के घूर्णन के साथ तालमेल में आने से पहले घूर्णन गति में 'डाउनट्रेंड' देखा गया था और तब से एक 'रिवर्स ट्रेंड' रहा है जिसमें आंतरिक कोर सतह की तुलना में धीमी गति से चलता है। शोध ने भविष्यवाणी की कि अगला परिवर्तन 2040 के दशक के मध्य में होगा।
- यह अध्ययन वैज्ञानिकों के बीच अत्यधिक विमर्श का विषय है क्योंकि आंतरिक कोर के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, मुख्य रूप से भूकंप या कभी-कभी परमाणु विस्फोटों के कारण भूकंपीय तरंगों में छोटी भिन्नताओं को मापने के आधार पर। पिछले साल प्रकाशित एक अन्य शोध के अनुसार, आंतरिक कोर लगभग 6 साल तक चलने वाले एक स्विंग चक्र के साथ अधिक तेजी से घूम रहा है। एक अन्य शोध ने इस चक्र को 20 से 30 साल होने का तर्क दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गणितीय मॉडल देखे गए डेटा की व्याख्या करते हैं लेकिन डेटा द्वारा आवश्यक स्पष्टता नहीं बताते हैं।

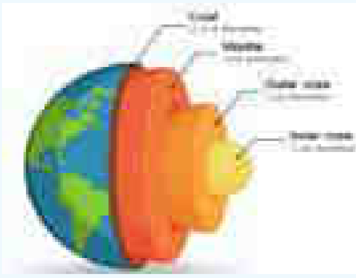

पृथ्वी की आंतरिक संरचना:

पृथ्वी की संरचना को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। प्रत्येक परत की एक अद्वितीय रासायनिक संरचना और भौतिक स्थिति होती है, जो पृथ्वी की सतह पर जीवन को प्रभावित कर सकती है। आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह से लगभग 5,000 किलोमीटर नीचे स्थित है जो मुख्य रूप से ठोस अवस्था में लोहे और निकल से बना है। यह 5,500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ पृथ्वी की सबसे गर्म परत है। बाहरी तरल कोर पर तैरने के कारण, यह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है।

आगे की राह:

यद्यपि निष्कर्षों पर भूभौतिकीय समुदाय में एक सूक्ष्म मतभेद है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आंतरिक कोर में कोई भी परिवर्तन सतह पर जीवन को प्रभावित कर सकता है।

आर्थिक मुद्दे

1 सीआईआई बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए नवीनतम CII बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 67.6 के मूल्य के साथ लगभग दो वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

CII बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की मुख्य विशेषताएं:

- सूचकांक देश के सभी उद्योग क्षेत्रों में अलग-अलग आकार की 120 से अधिक फर्मों के सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है।
- पिछली तिमाही में इसमें 62.2 की वृद्धि देखी गई, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की स्थिति के प्रति आशावाद को दर्शाता है।
- सीआईआई का कहना है कि सूचकांक के मूल्य में तेज सुधार आसन्न मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में कम होती चिंताओं के कारण था।
- चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम पहले अग्रिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद का प्रिंट 7% रखा गया है।
- लगभग 52% उत्तरदाताओं ने वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान सुधार की उम्मीद की, जबकि उनमें से लगभग 37% ने वर्ष की दूसरी छमाही में निवेश में तेजी की उम्मीद की।

व्यापार विश्वास सूचकांक (बीसीआई) के बारे में:

- यह उद्योग क्षेत्र में उत्पादन, ऑर्डर और तैयार माल के स्टॉक में विकास पर राय सर्वेक्षण के आधार पर भविष्य के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- सूचकांक का उपयोग उत्पादन वृद्धि की निगरानी करने और आर्थिक गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण मोड़ों का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।
- 100 से ऊपर की संख्या निकट भविष्य के व्यावसायिक प्रदर्शन में बढ़े हुए विश्वास का संकेत देती है और 100 से नीचे भविष्य के प्रदर्शन के प्रति निराशावाद का संकेत देती है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के बारे में:

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित और उद्योग -प्रबंधित संगठन है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।
- **उद्देश्य:** सलाहकार और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग, सरकार तथा नागरिक समाज की भागीदारी के साथ भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
- ब्रांड इंडिया अभियान के माध्यम से CII भारत को 'विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी तथा मजबूत निवेश गंतव्य और व्यापार करने के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।'

आगे की राह:

व्यावसायिक गतिविधियों की बहाली के साथ, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही की उम्मीदों में सुधार हुआ है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ती वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के सुरक्षित स्थान पर होने के प्रति आशावाद को दर्शाता है।

2 बॉम्बे हाईकोर्ट ने यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने पर रोक लगाई

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंकिंग नियामक और यस बैंक के प्रशासक द्वारा निजी ऋणदाता के लिए बेलआउट के हिस्से के रूप में बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के 8415 करोड़ रुपये को राइट-ऑफ करने के मार्च 2020 के फैसले को रद्द कर दिया।

एटी1 बॉन्ड क्या हैं?

- एटी1 बॉन्ड, जिसे पर्पेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है, एक प्रकार का ऋण साधन है जिसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है।
- जारीकर्ता के पास कॉल विकल्प होता है जो उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद इन बांडों को भुनाने की अनुमति देता है, खासकर जब ब्याज दरें गिर रही हों।
- वे बैंकों और कॉर्पोरेट द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य बॉन्ड की तरह हैं, लेकिन अन्य बॉन्ड की तुलना में थोड़ा अधिक ब्याज दर का भुगतान करते हैं।
- बेसल-III मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंक अपनी मूल पूंजी या टियर-1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए इन बांडों को जारी करते हैं।
- AT1 बॉन्ड अन्य सभी ऋणों के अधीनस्थ हैं और केवल सामान्य इक्विटी से वरिष्ठ हैं।
- इन AT1 बॉन्ड को जारी करने वाले बैंक किसी विशेष वर्ष के लिए ब्याज भुगतान को छोड़ सकते हैं, यहां तक कि बॉन्ड के अंकित मूल्य को भी कम कर सकते हैं।
- ये बांड भी सूचीबद्ध हैं और एक्सचेंज पर कारोबार करते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित।

यस बैंक राइट-ऑफ मुद्दा:

- AT1 बॉन्ड को उच्च जोखिम माना जाता है, क्योंकि संस्थागत विफलता के मामले में बैंकों को ब्याज का भुगतान बंद करने की अनुमति है और यदि आवश्यक हो, तो इन बॉन्ड को राइट-ऑफ कर सकते हैं।
- महत्त्वपूर्ण रूप से जब जारीकर्ता गैर-व्यवहार्यता के बिंदु को पार कर जाता है, तो AT1 बांड ऋण का पहला भाग होता है जिसे राइट-ऑफ में डाला जाएगा, जैसा कि यस बैंक के मामले में हुआ था।
- यस बैंक, जो पतन के कगार पर था, को बैंक को बचाने के लिए पुनर्गठन योजना के एक हिस्से के रूप में आरबीआई द्वारा AT1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के लिए कहा गया था।

- राइट-ऑफ तब होता है जब ऋण को संपत्ति के रूप में नहीं गिनता है और बैंक में निवेश किए गए धन को अब बैंक की देनदारी के रूप में नहीं माना जाता है।

आगे की राह:

आम तौर पर बाजार में निवेशक AT1 बॉन्ड के जरिए ऊंचे रिटर्न की ओर आकर्षित होते हैं। यस बैंक प्रकरण के बाद विशेषज्ञ इन बांडों को सावधानी से देखने लगे हैं। हालाँकि, बांडों के राइट-ऑफ के निर्णय को रद्द करना एक सही कदम है, जिससे सभी बांडधारकों को लाभ होगा और सभी निवेशकों को राहत मिलेगी।

3 सेबी ने म्युनिसिपल बॉन्ड्स पर सूचना डेटाबेस किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बांड-बाजारों को विकसित करने के लिए नगरपालिका बांड पर एक सूचना डेटाबेस शुरू किया है।

सूचना डेटाबेस के बारे में:

इसमें विस्तृत शृंखला है:

1. सांख्यिकी और विनियम
2. सर्कुलर
3. मार्गदर्शन नोट
4. नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)।

- रिपॉजिटरी में प्री-लिस्टिंग आवश्यकताओं के लिए विभिन्न चेकलिस्ट हैं तथा एक जारीकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न मध्यस्थों से नमूना पत्र और प्रमाण पत्र हैं जो नगरपालिका बांड बाजार से लाभ प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं।

नगरपालिका बांड के बारे में:

- नगरपालिका बॉन्ड (Munis Bond) भारत में नगर निगमों या संबद्ध निकायों द्वारा जारी किया गया एक ऋण का साधन है।
- इसमें पुलों, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण, घरों में उचित सुविधाएं प्रदान करने, आदि, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाया जाता है।
- ये बांड तीन साल की परिपक्वता अवधि के साथ आते हैं, जिसके तहत नगर निगमों द्वारा उत्पन्न राजस्व से रिटर्न प्रदान किया जाता है।
- सेबी के नियमों (2015) के अनुसार, ऐसे बांड जारी करने के लिए, नगरपालिकाओं को-
  1. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में से किसी में भी नकारात्मक निवल संपत्ति नहीं हो।
  2. पिछले एक साल में किसी भी ऋण चुकौती में चूक नहीं हुई हो।
- इन उपायों के बाद, विभिन्न शहरों ने कायाकल्प और शहरीकरण के लिए अटल मिशन (AMRUT) और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी पहलों के लिए नए दिशानिर्देशों का लाभ उठाया है।
- बेंगलुरू नगर निगम ने 1997 में भारत में पहली बार म्युनिसिपल बांड जारी किए, इसके बाद 1998 में अहमदाबाद में।

म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रकार:

ये बांड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

- **सामान्य दायित्व बांड-** सामान्य परियोजनाओं में वित्त जुटाने के लिए जैसे किसी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- **रेवेन्यू बॉन्ड-** विशिष्ट परियोजनाओं जैसे किसी विशेष भवन के निर्माण के लिए वित्त जुटाने के लिए।

आगे की राह:

सेबी की यह पहल लोगों में जागरूकता बढ़ाने और भारत में बांड बाजार विकसित करने का एक प्रयास है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत के बड़े शहरों और कस्बों के लिए नगरपालिका बांड बाजार का विकास महत्त्वपूर्ण है। इससे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को बजटीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी।

4 पाकिस्तान में आर्थिक संकट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान की बिगडती आर्थिक स्थिति के कारण, विश्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान सिर्फ 2% लगाया है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, कोविड-19 से उपजी वैश्विक मंदी ने इसकी स्थिति को पहले से भी बदतर कर दिया है।

इस गंभीर आर्थिक स्थिति हेतु जिम्मेदार कारक:

- पाकिस्तान की रेंगती (Crawling) अर्थव्यवस्था के पीछे मुख्य कारण उसका बढ़ता कर्ज और घटता विदेशी मुद्रा भंडार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अनिवार्य हिस्सा होने के कारण, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था चीन की ऋण जाल (Debt trap) में फंस गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान का बाहरी ऋण 90.12 बिलियन डॉलर था जिसमें लगभग 30 बिलियन डॉलर चीन का है।
- हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके पास $4.34 बिलियन का रिजर्व है जो केवल दो सप्ताह तक चल सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी पहले के ऋणों की चुकौती और पाकिस्तान को कम प्रेषण (Remittance) के कारण है। यह 2022 में देश में आई विनाशकारी बाढ़ से अधिक बढ़ गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसने निर्यात को कम करते हुए तेल के अलावा अन्य आयातित सामानों पर पाकिस्तान की निर्भरता बढ़ा दी है।
- इसके अलावा आसमान छूती महंगाई तथा कमजोर मुद्रा से स्थिति और भी बदतर हो गयी है। इस वित्त वर्ष में 23% तक की मुद्रास्फीति दर के साथ अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022 में पाकिस्तानी रुपया लगभग 30% गिरा है। यह सब एक अक्षम नेतृत्व और शासन में सेना का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण हुआ है।

भारत पर प्रभाव:

- यद्यपि भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा प्रत्यक्ष व्यापार नहीं है, लेकिन सऊदी अरब, सिंगापुर और मॉरीशस जैसे देशों के माध्यम से काफी अप्रत्यक्ष व्यापार होता है। इसके अलावा, दोनों देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में मंच साझा करते हैं, लेकिन यहां मुख्य चिंता भारत की रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता शरणार्थी संकट को ट्रिगर कर सकती है। अत: भारत को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हेतु, हमेशा सावधान रहना चाहिए।

आगे की राह:

पाकिस्तानी सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। देश को आईएमएफ का बेलआउट पैकेज और अन्य मित्र देशों से कर्ज लेने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि यह सभी वित्तीय सहायता ऋण के रूप में है जो इसके बढ़ते कर्ज तथा वार्षिक ऋण चुकौती आवश्यकताओं को और बढ़ा देगा। पाकिस्तान को आर्थिक सुधार करने और भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक दीर्घकालिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

5 स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण का जोखिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल एनवायर्नमेंटल चेंज जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत का वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के जोखिमों से अत्यधिक प्रभावित है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है।

जोखिम में क्यों?

जीवाश्म ईंधन से संबंधित क्षेत्रों के लिए उच्च जोखिम-भारत का वित्तीय क्षेत्र जीवाश्म ईंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए अत्यधिक जोखिम में है और जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा में किसी भी संक्रमण (Transition) का इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे :

- खनन क्षेत्र को दिया जाने वाला 60% ऋण तेल और गैस निष्कर्षण के लिए।
- विनिर्माण क्षेत्र का 20% ऋण पेट्रोलियम शोधन और संबंधित उद्योगों के लिए।

यद्यपि बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है जो बकाया ऋण (outstanding credit) का 5.2% है।

विशेषज्ञों की कमी:

- भारत के वित्तीय संस्थानों में ऐसे विशेषज्ञों की कमी है जिनके पास संस्थानों को जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण पर उचित सलाह देने की विशेषज्ञता है।

नियोजन की कमी:

- इस रिपोर्ट में सर्वेक्षण किए गए दस प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से केवल चार ही स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण के दौरान पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ESG) जोखिमों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। इसके अलावा ये फर्म अपनी वित्तीय योजना में जोखिमों से संबंधित डेटा को व्यवस्थित रूप से शामिल नहीं करती हैं।
- जीवाश्म ईंधन उद्योग भारी ऋण में हैं, इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति का जवाब देने की वित्तीय क्षमता कम हो जाती है। उच्च-कार्बन उद्योग जैसे-बिजली उत्पादन, रसायन, लोहा और इस्पात तथा विमानन, भारतीय वित्तीय संस्थानों के कुल बकाया ऋण का 10% हिस्सा है।

जीवाश्म ईंधन से संबंधित वित्तीय संस्थानों का उच्च जोखिम प्रभाव क्या है?

- भारतीय वित्तीय संस्थान के वित्तीय निर्णय देश को अधिक प्रदूषणकारी और अधिक महंगी ऊर्जा आपूर्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसे-विद्युत क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण का केवल 17.5% शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा को देना।
- विश्व औसत की तुलना में भारत में कार्बन-स्रोतों से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होना। जैसे-कोयले का प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में 44% और इसके बिजली उत्पादन में 70% योगदान होना। भारत में 91,000 मेगावाट की नई प्रस्तावित कोयला क्षमता पर काम चल रहा है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

आगे की राह:

भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022 के मसौदे के अनुसार, 2030 तक बिजली उत्पादन मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी घटकर 50% हो जाएगी जो भारत को 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी आधी बिजली जरूरतों (50%) को पूरा करने में मदद करेगी जिसके लिए एक ट्रिलियन डॉलर के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। भारत 40 अरब डॉलर जुटाने हेतु, पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की योजना बना रहा है। जी-20 की अध्यक्षता में भी भारत स्वच्छ और नवीकरणीय उर्जा को बढ़ावा दे रहा है।

6 बांग्लादेश आर्थिक संकट के विभिन्न पहलू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश बैंक ने अपनी 'वित्तीय स्थिरता आकलन रिपोर्ट' में कहा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में वृद्धि, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के बीच निर्यात में

गिरावट के कारण दबाव का सामना कर रही है। इसीलिए बांग्लादेश ने दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 4.5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता की मांग की थी। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ने वाली अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है।

आर्थिक संकट के विभिन्न पहलू:

आयात की बढ़ती लागत: रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई जिससे स्थिति नाजुक हो गई।

घटता निर्यात:

- बांग्लादेश की आय निर्यात पर अत्यधिक निर्भर रहा है, लेकिन पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में आयी मंदी से, निर्यात में कमी आ रही है।
- इसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा बढ़ा है।
- दुनिया भर में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रेषण में गिरावट।
- अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि से बांग्लादेश की मुद्रा (टका) में गिरावट। दिसंबर 2021 में, एक अमेरिकी डॉलर 86 टका के बराबर था जो जनवरी 2023 में 106 टका हो गया।
- मुद्रा में आयी इस गिरावट ने मुद्रास्फीति को और बढ़ाया जिससे आयात महंगा हो गया। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई।
- दिसंबर 2021 में, विदेशी मुद्रा भंडार का $46,154 मिलियन था जो वर्तमान में घटकर $33,790 मिलियन हो गया।
- दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर 8.71% थी, जो दिसंबर 2021 में यह 6.05% थी।
- इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की उच्च लागत, जिन्हें अक्सर 'मेगा प्रोजेक्ट' के रूप में वर्णित किया जाता है।
- ऋणों के डिफॉल्ट होने से बैंकिंग क्षेत्र में संकट।
- अपर्याप्त ऊर्जा उत्पादन।
- कैपिटल फ्लाइट का होना।

ऊर्जा संकट:

- ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण बांग्लादेश के विभिन्न शहरों को कई ब्लैकआउट और नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा।
- मानव विकास में लाभ का उत्क्रमण: 2020 में एक औसत बांग्लादेशी नागरिक की प्रति व्यक्ति आय, एक औसत भारतीय नागरिक की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी। वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में दबाव बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

कट्टरपंथी इस्लाम का उदय:

- बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरवाद तथा हिंसा बढ़ रही है जैसे-फ्रांस विरोधी आन्दोलन, भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हिंसक विरोध और कोमिला में सांप्रदायिक हिंसा।
- आर्थिक संकट और विरोध के कारण, इन समूहों का विशेष रूप से हिफाजत-ए-इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा है जो भारत के लिए हानिकारक हो सकता है।
- भारत समर्थक रवैया रखने वाली शेख हसीना सरकार की लोकप्रियता में गिरावट।

आगे की राह:

बांग्लादेश में किसी भी व्यापक संकट का भारत में प्रवासन संकट, कट्टरता जैसे प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए भारत आईएमएफ और एडीबी, जेआईसीए आदि जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से ऋण सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश की सहायता कर सकता है।

7 टैक्स-पेड ग्रीन बॉन्ड के लिए नया प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल की जाने वाली अपनी मांगों में कुछ बिजली वित्तपोषक कंपनियों द्वारा कर-प्रदत्त ग्रीन बांड जारी करने का प्रस्ताव किया है। विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से तीन गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को तरलता कोष तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के समान उपलब्ध छूट की सुविधा देने को आरबीआई से कहा है।

टैक्स-पेड ग्रीन बॉन्ड के बारे में:

- भारतीय विद्युत मंत्रालय ने कुछ विद्युत कंपनियों के स्वच्छ परियोजनाओं (clean projects) को ऋण देने के लिए सस्ता वित्त में कर-प्रदत्त ग्रीन बांड जारी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), आरईसी लिमिटेड और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) जारीकर्ता के अधिकार के लिए प्रस्तावित की गई हैं।
- ग्रीन बांड नए और मौजूदा पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने का ऋण साधन हैं जो पर्यावरणीय लाभ और अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था प्रदान करते हैं। ये बॉन्ड निवेशकों के लिए आकर्षक होते हैं, जबकि जारीकर्ता के लिए धन की लागत को मामूली रूप से कम करते हैं क्योंकि जारीकर्ता की कर दर और निवेशकों के टैक्स ब्रैकेट के बीच अंतर होता है।

प्रस्ताव का उद्देश्य:

- यह कदम स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा पहलों के लिए पूंजी उपलब्धता (सस्ता वित्त) बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि भारत 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा प्राप्त कर सके तथा 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक राष्ट्र बन सके।
- विद्युत मंत्रालय ने बहुपक्षीय एजेंसियों से सस्ता फंड जुटाने में पीएफसी को जलवायु वित्तपोषण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में प्रस्तावित किया है। जैसे वाणिज्यिक बैंकों का उधार ग्रीन बॉन्ड के जुटाए गए फंड की तुलना में अपेक्षाकृत विस्तृत है।
- पीएफसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो विद्युत क्षेत्र की रीढ़ है। यह कदम अधिक विकल्प प्रदान करेगा और जलवायु वित्तपोषण को सुगम गति से सक्षम करेगा। निवारण के लिए ग्रीन बांड आय के दुरुपयोग और बांड की अल्पावधि के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य हेतु तैयार करने के लिए जलवायु वित्तपोषण विकल्पों को और अधिक विस्तृत तथा सुलभ बनाया जाना चाहिए।

विविध मुद्दे

1 आहार की खुराक पर एफएसएसएआई सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि भारत में बेचे जाने वाले प्रोटीन पाउडर, आहार पूरक सहित लगभग 15% खाद्य पदार्थ जो एथलीटों और बॉडीबिल्डर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं, खाने के लिए असुरक्षित या निम्न गुणवत्ता वाले पाए गए हैं।

एफएसएसएआई सर्वेक्षण के बारे में:

- यह सर्वेक्षण 2021 और 2022 के बीच घटिया आहार पूरकों की बिक्री और वितरण को कम करने के प्रयास में किया गया था, जो फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है।
- यह पाया गया कि एकत्र किए गए 144,345 नमूनों में से 4,890 नमूने निम्न गुणवत्ता के थे और 11,482 से अधिक नमूनों में लेबलिंग दोष तथा भ्रामक जानकारी थी।
- इस तरह के खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का अनियंत्रित सेवन हृदय स्वास्थ्य और गुर्दे को प्रभावित कर सकता है।

एफएसएसएआई के बारे में:

- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बनाई गई एक स्वायत्त संस्था है।
- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है।
- यह उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करते हुए भोजन के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण को नियंत्रित और मॉनिटर करता है।
- मुख्यालय- दिल्ली

एफएसएसएआई के कार्य:

- खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्माण।
- खाद्य व्यवसायों के लिए FSSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना।
- नीतियां बनाने में सरकार को सुझाव देना।
- खाद्य उत्पादों में प्रदूषकों के बारे में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और त्वरित चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करना।
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना।
- FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं जिनमें से एक तिहाई महिलाएँ होती हैं।
- केंद्र सरकार, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।

आगे की राह:

एफएसएसएआई के सर्वेक्षण के नतीजे बाजार में प्रोटीन पाउडर के उत्पादन और बिक्री के सख्त नियमों तथा निगरानी की आवश्यकता को प्रकट करते हैं। खाद्य नियामक ने आपराधिक और दीवानी मामले शुरू किए हैं जो उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाता है।

2 ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की जर्जर स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट को वर्ष 1992 से प्रकाशित किया जा रहा है जो हर साल 31 मार्च तक चिकित्सकों की संख्या सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर डेटा प्रदान करता है।

रिपोर्ट के बारे में:

- यह रिपोर्ट देश के ग्रामीण, शहरी और जनजातीय क्षेत्रों की तुलना में मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे तथा मानव संसाधनों में अंतराल की पहचान करने में एक दृष्टि दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। यह नागरिकों और नीति निर्माताओं को बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आवश्यक विशेषज्ञों के 80% की कमी के साथ, भारत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा है, वहीं पिछली रिपोर्ट में यह आंकड़ा लगभग 76% था।

मुख्य निष्कर्ष:

1. स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति:

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा तीन स्तरीय प्रणाली है-

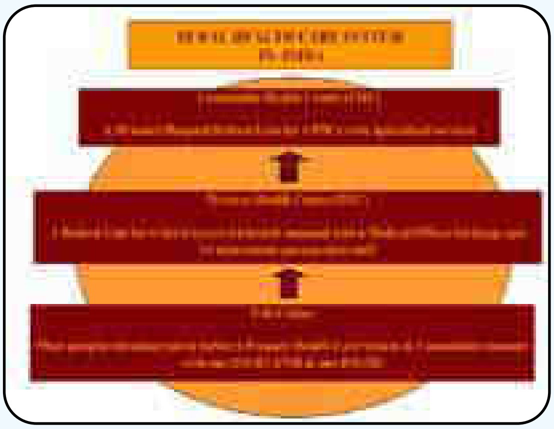

- रिपोर्ट के अनुसार सब सेंटर के लिए 3,000-5,000 की जनसंख्या, पीएचसी के लिए 20,000-30,000 की जनसंख्या और सीएचसी के लिए 80,000-1, 20,000 की जनसंख्या स्वीकृत है परन्तु वर्तमान समय में सब सेंटर में औसतन 5691 जनसंख्या, प्रत्येक पीएचसी में 36049 जनसंख्या और प्रत्येक सीएचसी में 164027 जनसंख्या शामिल है।

2. शहरी स्वास्थ्य सांख्यिकी:

- एक शहरी पीएचसी के अंतर्गत 50,000-75,000 जनसंख्या की आती है और प्रत्येक 4-5 शहरी पीएचसी के लिए एक रेफरल सुविधा के रूप में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHCs) स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार, यू-सीएचसी 2,50,000 से 5 लाख की जनसंख्या को शामिल करता है, लेकिन शहरी पीएचसी में 18.8% डॉक्टर, 16.8% फार्मासिस्ट, 16.8% लैब टेक्नीशियन और 19.1% स्टाफ नर्स के पद खाली हैं।

3. एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या में वृद्धिः

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के बाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।

4. विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमीः

- स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6,064 सीएचसी हैं लेकिन इन सीएचसी में विशेषज्ञों के 67.8 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली हैं। ये रिक्तियां सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, चिकित्सकों तथा बाल रोग विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों से हैं। हालांकि सीएचसी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन सीएचसी को क्रियाशील बनाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति उस गति से नहीं हुई है।
- इसके अलावा, पीएचसी और सब सेंटर में लगभग 14.4% पद खाली होने के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक नर्सिंग दाईयों की कमी है।

आगे की राहः

निरंतर वित्त पोषण और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ग्रामीण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना समय की मांग है। प्रत्येक केंद्र को उनकी जरूरतों के अनुसार सहायता सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में सर्जरी के लिए आवश्यक सहायक प्रक्रियाओं में सहायक नर्सिंग सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

3 अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान बना पहला राज्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान 'दृष्टि के अधिकार' को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने हेतु नई नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

नई नीति के बारे में:

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अंधेपन की रोकथाम के लिए नीति दस्तावेज जारी किया जिसका उद्देश्य राज्य में दृष्टिबाधित तीन लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाना है।
- इस नीति के तहत, राजस्थान सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी (Keratoplasty) सेंटर और आई बैंक की व्यवस्था करेगी।
- इस नीति से क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, न्यासों, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं तथा निजी संस्थाओ के सहयोग से दृष्टिबाधिता को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे।
- इस नीति के अंतर्गत नेत्र विशेषज्ञों, नेत्र शल्य चिकित्सकों, स्नातकोत्तर छात्रों, नेत्रदान के लिए कार्यरत परामर्शदाताओं एवं नेत्र सहायकों आदि को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- दृष्टिहीनता और दृष्टि हानि के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 1976 ई. में शुरू किया गया था।

दृष्टिहीनता और दृष्टि हानि के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में:

- यह एक 100% केन्द्रीय सेक्टर योजना थी जो अब केंद्र प्रायोजित (60:40 राज्यों के लिए तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) है।
- वर्ष 2020 में देश में अंधेपन की व्यापकता दर 1.1 प्रतिशत थी, जबकि इस नीति के माध्यम से घटाकर 0.3 प्रतिशत करने का लक्ष्य था।
- सभी के लिए नेत्र स्वास्थ्य और दृश्य हानि की रोकथाम के लिए एनपीसीबी की रणनीति को विकसित तथा मजबूत करना।
- व्यापक सार्वभौमिक नेत्र-देखभाल सेवाओं और गुणवत्ता सेवा वितरण के प्रावधान के माध्यम से।
- अंधापन और दृश्य हानि की रोकथाम के लिए अनुसंधान को बढ़ाना और उसका विस्तार करना।

आगे की राहः

आज के वैज्ञानिक युग में इतना अनुसंधान करने की क्षमता है जिससे व्यक्ति के जीवन में क्रांति लायी जा सके। दिव्यांग जन भी ईश्वर की रचना है जिनमें कुछ कर गुजरने की अपार शक्ति होती है। अब तो खेलों में भी दिव्यांगों के लिए कई प्रतियोगितायें आयोजित हो रही हैं। भविष्य में समाज को विशेषकर युवाओं को इनके बेहतरी हेतु, बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

4 असम के अहोम टीले

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए UNESCO विश्व धरोहर स्थल के लिए असम के चराइदेव मोईदाम/मैदाम को प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के समकक्ष अहोम को नामित करने का निर्णय लिया है।

नामांकन का विवरणः

- मैदाम, सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में नामित किया जाएगा।
- अभी तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में कोई विश्व विरासत स्थल नहीं है।
- असम में मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल हैं।
- यह नामांकन ऐसे समय में महत्त्वपूर्ण हो गया है जब भारत 1671 में मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध अहोम जनरल लचित भोरफुकन की 400वीं जयंती मना रहा है।

चराइदेव मैदाम के बारे में:

- गुवाहाटी से 400 किमी पूर्व में स्थित चराइदेव, 1523 में चाओ लुंग सिउ-का-फा द्वारा स्थापित अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी।
- चराइदेव मैदाम में अहोम राजघराने के सदस्यों के नश्वर अवशेष

रखे गए हैं, जिन्हें उनकी साज-सामान के साथ दफनाया जाता था।

- मैदाम, असम में ताई अहोम समुदाय की अंतिम मध्यकालीन (13वीं-19वीं शताब्दी सीई) टीले पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- अहोमों की इस प्रणाली की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फिरौन (प्राचीन मिस्र के राजाओं) के पिरामिडों से की जा सकती है।
- 18वीं सदी के बाद, अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया और चराईदेव के मैदाम में दाह संस्कार की हड्डियों तथा राख को दफनाना शुरू किया।
- मैदाम को उत्तरी वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण चीन और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता है जो मिलकर ताई अहोम संस्कृति का निर्माण करते हैं।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल:

विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत 1972 के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन सांस्कृतिक खजाने तथा प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साइटों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है-

- सांस्कृतिक विरासत स्थल।
- प्राकृतिक विरासत स्थल।
- मिश्रित विरासत स्थल।

भारत में कुल 40 साइटें हैं-

- 32 सांस्कृतिक स्थल।
- 7 प्राकृतिक स्थल।
- मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत 1 साइट।

आगे की राह:

यूनेस्को टैग के लिए साइट का नामांकन सदियों पुराने स्मारक को संरक्षित करने में मदद करेगा। यह ताई-समुदाय के इतिहास और संस्कृति को महत्त्व देगा।

5 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारत की मांग पर विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) अपनी आगामी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को भी देशों की रैंकिंग में शामिल करेगा।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में:

- यह सूचकांक 2006 से प्रकाशित किया जा रहा है जो चार प्रमुख आयामों जैसे-आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तीकरण के आधार पर रैंकिंग देता है।
  1. आर्थिक भागीदारी और अवसर (श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना, समान कार्य के लिए वेतन समानता, अर्जित आय) देना।
  2. शैक्षिक उपलब्धि (साक्षरता दर और प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन दर) बढ़ाना।
  3. स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा) की स्थिति।
  4. राजनीतिक सशक्तीकरण (संसद और मंत्रिस्तरीय पदों पर महिलाओं का प्रतिशत) को शामिल करना।
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह दर्शाया जाता है कि विभिन्न देश पिछले वर्ष में अपनी स्थिति की तुलना में लैंगिक समानता कितना सुधार किये हैं। रिपोर्ट इस बात की जांच करती है कि लैंगिक समानता के मामले में देशों ने प्रगति की है या गिरावट आई है।
- GGGR देशों को उनकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है, और लैंगिक समानता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। सभी देश एक-दूसरे को उदाहरण के रूप में मान सकते हैं और एक-दूसरे के अनुभवों, नीतियों तथा कार्यक्रमों से सीख सकते हैं। यह भी देख सकते हैं कि लैंगिक अंतर को प्रभावी ढंग से कम करने के प्रयास में क्या काम करता है और क्या नहीं।

2022 की रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 के लिए अपने ग्लोबल जेंडर गैप (GGG) इंडेक्स में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा। 2021 में, भारत 156 देशों में से 140वें स्थान पर था।
- भारत का समग्र स्कोर 0.625 (2021 में) से सुधर कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में इसका सातवां उच्चतम स्कोर है।
- आइसलैंड ने सूचकांक पर 146 देशों के बीच दुनिया के सबसे अच्छे लैंगिक-समान देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।
- फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन क्रमशः सूची में शीर्ष देश हैं।
- रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है।

WEF रिपोर्ट के संबंध में भारत की चिंता:

- पंचायत स्तर पर राजनीतिक भागीदारी की उपेक्षा करना, महिला सशक्तीकरण पर दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण लाना भारत की प्रमुख चिंता थी।
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए, WEF केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या और संसद के दोनों सदनों में सदस्यों को देखता था। भारतीय पंचायत प्रणाली में 1.4 मिलियन महिलाएं हैं, इसे रैंकिंग में शामिल करने का WEF का निर्णय भारत के लिए अच्छा संकेत है।

विश्व आर्थिक मंच:

- विश्व आर्थिक मंच जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। इसे स्विस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी।
- इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करना है।

आगे की राह:

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) अपनी भविष्य की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देशों को रैंक करने के लिए पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बेहतर होगी जो वैश्विक क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद को प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

6 एएसआई ने पुराना किला में पुनः खुदाई शुरू करने की बनाई योजना

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) ने दिल्ली के 16वीं शताब्दी के पुराना किला में फिर से खुदाई शुरू करने की योजना बनाई है। वर्ष 2013-14 और 2017-18 में हुई खुदाई के बाद पुराना किला में खुदाई का यह तीसरा अवसर है। इस उत्खनन दल का नेतृत्व वसंत कुमार स्वर्णकर करेंगे।

इस खुदाई का उद्देश्य:

- नवीनतम उत्खनन का उद्देश्य उन खाइयों (trenches) का अनावरण और संरक्षण है जो पिछले सर्वेक्षणों में खोदी गई थीं। स्ट्रैटिग्राफिकल संदर्भ में पेंटेड ग्रे वेयर (पीजीडब्ल्यू) के निष्कर्षों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना।

पुरातत्व का महत्त्व:

- ऐसा माना जाता है कि पुराना किला महान महाकाव्य महाभारत के पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के स्थल पर स्थित है। 1950 के दशक में, पुरातत्वविद् बी.बी. लाल ने महाभारत में उल्लिखित सभी स्थलों की खुदाई की थी। हालांकि, उस समय पुराना किला में चित्रित धूसर मटमैले परत का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला था। इसके बाद की खुदाई के दौरान, पीजीडब्ल्यू मिट्टी के बर्तनों के केवल टुकड़े मिले। पुराना किला में पीजीडब्ल्यू संस्कृति के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए नए सिरे से खुदाई की जरूरत है। इतिहासकार महाभारत काल (1500-1000 ईसा पूर्व) के पीजीडब्ल्यू किस्म से संबंधित मिट्टी के बर्तनों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

> **अन्य तथ्य:**
>
> भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (मुख्यालय- नई दिल्ली), संस्कृति मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संगठन है, जो देश में पुरातात्विक अनुसंधान और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अलेक्जेंडर कनिंघम (पहले महानिदेशक) द्वारा 1861 में स्थापित

ऐतिहासिक महत्त्व:

- पुराना किला मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा 1533-34 ई. के दौरान अपने नए शहर दीनपनाह के हिस्से के रूप में बनवाया गया था। 1540 ई. में शेरशाह ने दीनपनाह के पुराने शहर का नाम शेरगढ़ रखा और मौजूदा संरचना का निर्माण किया जिसमें 1542 ई. में शेरशाह द्वारा निर्मित किला-ए-कुहना मस्जिद शामिल है। यह लाल और पीले बलुआ पत्थर के साथ ग्रे क्वार्टजाइट में निर्मित एक आयताकार गुंबददार संरचना है।

आगे की राह:

पुराना किला में धूसर मृद्भांड संस्कृति का कोई भी साक्ष्य महाकाव्य महाभारत की ऐतिहासिकता में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह इस तथ्य को और स्थापित कर सकता है कि महाभारत के समय दिल्ली और इंद्रप्रस्थ के आसपास का वर्तमान क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़ा हुआ था।

7 पद्म पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण तथा 91 पद्म श्री शामिल है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म भूषण' तथा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।

पद्म पुरस्कार के बारे में:

- पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह उन नागरिकों को दिया जाता है जो सामाजिक सेवा व गतिविधियों तथा उपलब्धियों में सार्वजनिक रूप से शामिल होते है।

पद्म पुरस्कारों का इतिहास:

- भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार को पहली बार 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में स्थापित किया गया था। पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां हैं:
  - प्रथम श्रेणी
  - द्वितीय श्रेणी
  - तृतीय श्रेणी
- वर्ष 1955 में इन्हें क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में नामित किया गया।
- वर्ष 1978, 1979,1993 तथा 1997 में को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्राप्तकर्ताओं के नामों की घोषणा की जाती है।
- 1954 में पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वालों में वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, कलाकार नंदलाल बोस, शिक्षाविद् और राजनीतिज्ञ जाकिर हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ बालासाहेब

गंगाधर खेर तथा राजनयिक और अकादमिक वी.के. कृष्णा मेनन इत्यादि शामिल थे।

- पहले गैर-भारतीय पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता भूटानी राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक थे, जिन्होंने 1954 में यह पुरस्कार प्राप्त किया था।
- सामान्यत: यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है।
- इसमें पुरस्कार विजेताओं को कोई नकद राशि नहीं दी जाती है।
- विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ पदक भी मिलता है जिसे वे सार्वजनिक व सरकारी समारोहों में धारण कर सकते हैं।
- ये पुरस्कार उपाधि के रूप में प्रदान नहीं किए जाते है और पुरस्कार विजेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे अपने नाम के साथ नहीं लगाएंगे।
- पद्म पुरस्कार विजेता को उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है अर्थात पद्म श्री पुरस्कार विजेता को पद्म भूषण या विभूषण प्राप्त हो सकता है।
- यह केवल पिछले पुरस्कार प्रदान किए जाने के पांच वर्षों के बाद ही हो सकता है।

पद्म पुरस्कारों के लिए पात्रता:

- जाति, व्यवसाय, पद या लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
- डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सरकारी कर्मचारी (पीएसयू के साथ काम करने वालों सहित) इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

चयन प्रक्रिया:

- इन पुरस्कारों के लिए सभी नामांकन ऑनलाइन किए जाते हैं।
- पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन, पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं।
- पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है जिसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव के साथ सदस्य के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित अन्य व्यक्ति भी शामिल होते हैं।
- समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाता है।

ध्येयIAS most trusted since 2003
DHYEYA IAS most trusted since 2003
NEW BATCH - FACE TO FACE
GENERAL STUDIES
English Medium
हिंदी माध्यम
13 FEBRUARY 11:30 AM
15 FEBRUARY 11:30 AM
SP MARG, CIVIL LINES, PRAYAGRAJ
8853467068, 7459911157

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. यूएनडीपी इंडिया ने एक समावेशी चक्रीय अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अभियान शुरू किया

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी चक्रीय अर्थव्यवस्था चलाने हेतु एक अभियान शुरू किया।

अभियान की मुख्य विशेषताएं:

- यह परियोजना भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करने तथा यूएनडीपी के प्रमुख प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मौजूदा साझेदारी का विस्तार है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित को बढ़ावा देकर प्लास्टिक कचरे का शुरू से अंत तक प्रबंधन किया जाएगा:
  1. स्रोत पर कचरे का पृथक्करण।
  2. अलग किए गए कचरे का संग्रह।
  3. सभी प्रकार के प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित करना।
- निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी पर जोर।
- यह परियोजना नगर निगमों, कॉरपोरेट्स, सफाई साथियों व लोगों के बीच स्वच्छ और हरित शहरों के लिए मिलकर काम करने का एक सहयोग है।

2. विश्व आर्थिक स्थिति और प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट

UNDESA ने UNCTAD और पाँच क्षेत्रीय UN आयोगों के साथ मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- 2022 में COVID-19 और यूक्रेन में युद्ध से विश्व अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई थी।
- 2023 में विश्व उत्पादन वृद्धि घटकर 1.9% हो जाएगी जो 2022 में 3% थी।
- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वित्त वर्ष 2023 में 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह 2022 में अनुमानित 6.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है।
- भारत में आर्थिक विकास 2023 में मध्यम होने का अनुमान है। उच्च ब्याज दरों के साथ निवेश और धीमी वैश्विक वृद्धि से भारत का निर्यात कमजोर हो रहा है।
- यह सार्वजनिक व्यय के पुन: प्राथमिकता की सिफारिश करता है, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व डिजिटल बुनियादी ढांचे में अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके।

3. 74वें गणतंत्र दिवस परेड के प्रमुख बिंदु

- मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तेह अल-सिसी इस साल की परेड में मुख्य अतिथि थे।
- भारत की सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भरता के लिए अभियान और सशस्त्र बलों (नारी शक्ति) में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर था।
- सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भरता के प्रदर्शन में भारतीय सेना ने मेड-इन-इंडिया मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल प्रणाली, के-9 वज्र-टी बंदूक प्रणाली, आकाश वायु रक्षा प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया। साथ ही, यह पहली बार था जब कोई रूसी हथियार प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- महिला सशक्तीकरण के प्रदर्शन में भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्तों का नेतृत्व पहली बार महिला अधिकारियों ने किया।
- असम राइफल्स- भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, लैंगिक समानता के संदेश पर प्रकाश डाला।
- नौसेना की टुकड़ी में अग्निपथ योजना से तीन महिलाएं और छह पुरुष अग्निवीर भी शामिल थे।

4. मेथनॉल मिश्रित डीजल (MD15)

- सरकार ने औपचारिक रूप से मेथनॉल मिश्रित डीजल (15% मेथनॉल मिश्रित एचएसडी) द्वारा संचालित अंतर्देशीय जल पोत के डेमो रन का उद्घाटन किया।
- गैसोलीन में 15% मेथनॉल सम्मिश्रण करने से गैसोलीन/कच्चे तेल के आयात में कम से कम 15% की कमी हो सकती है। इसके अलावा, यह पार्टिकुलेट मैटर, NOx और SOx के संदर्भ में GHG उत्सर्जन में 20% की कमी लाएगा, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। यह मेथनॉल अर्थव्यवस्था में लगभग 5 मिलियन नए रोजगार भी सृजित करेगा।
- नीति आयोग का 'मेथनॉल इकोनॉमी' कार्यक्रम (2018 में लॉन्च) का उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना और कोयले के भंडार व नगरपालिका के ठोस कचरे को मेथनॉल में परिवर्तित करना है।

5. स्मारक मित्र योजना

- सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत लगभग 1,000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया में है।

स्मारक मित्र योजना के बारे में:

- यह योजना कुछ साल पहले पर्यटन मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी।
- यह अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एएसआई के तहत स्मारकों के संबंध में संस्कृति मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।
- सभी केंद्रीय संरक्षित विरासत संपत्तियों पर लागू होता है।
- इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विरासत, प्राकृतिक व पर्यटन स्थलों में सुविधाओं तथा सुविधाओं की गुणवत्ता और समावेशी प्रावधान सुनिश्चित करना है।
- इन संगठनों को उनकी सहयोग पहल के लिए 'स्मारक मित्र' के रूप में जाना जाएगा।

6. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम

इंडियन जर्नल ऑफ बायोकैमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स (आईजेबीबी) में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) और इसकी जटिलताओं के विषय के साथ विशेष अंक का प्रकाशन हुआ।

सिंड्रोम के बारे में:

- पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) एक मल्टीफैक्टोरियल एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो क्रोनिक एनोव्यूलेशन, अनियमित पीरियड्स, हिर्सुटिज्म, वजन बढ़ना पीसीओएस के सामान्य लक्षण हैं। यह सबसे प्रचलित महिला अंतःस्रावी विकार है और बांझपन का प्रमुख कारण है, जिसकी विश्वव्यापी सीमा 6-26% है। भारत में यह 3.7-22.5% है।
- पीसीओएस के विकास में योगदान देने वाले जोखिम कारकों में आनुवांशिकी, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, गतिहीन जीवन शैली, आहार और मोटापा शामिल हैं। यद्यपि उपचार के लिए सिंथेटिक दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन और मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, लेकिन उनके दुष्प्रभाव चिंता का कारण बनते हैं।

7. आईएनएस वगीर

भारतीय नौसेना ने पांचवीं डीजल-इलेक्ट्रिक कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को कमीशन किया। यह मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई द्वारा प्रोजेक्ट-75 के तहत फ्रेंच मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाई जा रही छह पनडुब्बियों में से एक है।

वागीर के बारे में:

- नवीनतम पनडुब्बी का नाम तत्कालीन वागीर से लिया गया है, जो एक पनडुब्बी थी जिसने 1973 और 2001 के बीच नौसेना में सेवा की थी।
- नए वागीर का निर्माण 2009 में शुरू हुआ इसे सैंड शार्क के नाम से भी जाना जाता है।
- वैगीर स्टील्थ और निडरता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह एक उन्नत ध्वनिक अवशोषण तकनीक जैसी सुविधाओं के साथ लैस है।

8. नोरोवायरस

हाल ही में, केरल स्वास्थ्य विभाग ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण नोरोवायरस के दो मामलों की पुष्टि की है।

नोरोवायरस के बारे में:

- नोरोवायरस में पेट और आंतों में सूजन जिससे मतली, उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
- नोरोवायरस अत्यधिक संक्रामक, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, दूषित भोजन या पानी का सेवन करना, या दूषित सतहों को छूना और फिर संक्रमित व्यक्ति के उल्टी करने पर छोटी बूंदों द्वारा हवा के माध्यम से फैलता है।
- नोरोवायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम, सर्दियों के दौरान और ठंडे देशों में आम है, इसलिए इसे शीतकालीन उल्टी रोग कहा जाता है।
- हर साल इससे वैश्विक स्तर पर 200,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है, जिनमें से अधिकांश मौतें पांच साल से कम उम्र के लोगों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में होती हैं।
- अभी तक इसका टीका उपलब्ध नहीं है।

9. चराइदेव मोईदाम

केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में असम के चराइदेव मोईदाम को नामित करने का फैसला किया है। यदि चुना जाता है तो यह प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करने के लिए उत्तर-पूर्व में एकमात्र सांस्कृतिक विरासत स्थल होगा।

चराइदेव मोईदाम के बारे में:

- इसे 'असम के पिरामिड' के रूप में भी जाना जाता है और यह अहोम राजाओं की मूल राजधानी थी। इसमें अहोम राजाओं और रानियों के पवित्र कब्रिस्तान हैं और यह अहोमों के पूर्वजों के देवताओं का स्थान भी है।
- इसका निर्माण चाओलुंग सुखापा (लगभग 1253 सीई में अहोम राजवंश के संस्थापक) द्वारा किया गया था
- इसमें एक या एक से अधिक कक्षों के साथ एक विशाल भूमिगत तिजोरी शामिल है जिसमें गुंबददार अधिरचना है और मिट्टी के टीले के ढेर से ढका हुआ है। यह बाहरी रूप से एक अर्धगोल टीला प्रतीत होता है।

10. चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है

- हाल ही में, सौरव दास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-74 और 76 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। इसलिए, इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने की अनुमति देने से सीआरपीसी का उल्लंघन होगा जो अभियुक्तों, पीड़ित और जांच एजेंसियों के अधिकारों से समझौता होगा।
- यह सीआरपीसी की धारा-173(2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट है जो अभियोजन पक्ष के मामले और तय किए जाने वाले आरोपों का आधार बनती है।
- इसमें पार्टियों के नाम, जानकारी की प्रकृति और अपराधों के विवरण शामिल हैं। इसमें स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या आरोपी गिरफ्तार है, हिरासत में है, या रिहा कर दिया गया है और क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई थी?
- यह गिरफ्तारी के 60-90 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए अन्यथा गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी।
- इससे पहले यूथ बार एसोसिएशन बनाम यूओआई मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों को पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर एफआईआर की प्रतियां ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, SC ने कहा कि ये निर्देश चार्जशीट तक नहीं बढ़ा सकते।

11. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

- शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-2021 जारी किया है।
- शिक्षा मंत्रालय 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) आयोजित कर रहा है, जिसमें भारतीय क्षेत्र में स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है।
- सर्वेक्षण विभिन्न मापदंडों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करता है जैसे-छात्र नामांकन, शिक्षक का डेटा, अवसंरचना संबंधी जानकारी, वित्तीय जानकारी आदि।
- एआईएसएचई 2020-21 में पहली बार, एचईआई ने वेब डेटा कैप्चर प्रारूप के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डेटा एकत्रित किया है।
- डीसीएफ को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- उच्च शिक्षा में नामांकन 2019-20 के 3.85 करोड़ से बढ़कर, 2020-21 में 4.14 करोड़ हुआ। वर्ष 2014-15 से नामांकन में लगभग 72 लाख (21 प्रतिशत) की निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जारी रही है।
- कॉलेजों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात शीर्ष आठ राज्य हैं।

12. ट्रॉपेक्स - 23

- भारतीय नौसेना थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (TROPEX) के 2023 संस्करण का आयोजन कर रही है।
- थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (TROPEX) हिंद महासागर क्षेत्र में द्विवार्षिक अंतर-सेवा सैन्य अभ्यास है।
- TROPEX-23 भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तट रक्षक की भागीदारी के साथ 3 महीने की अवधि में आयोजित किया जा रहा है।
- ट्रॉपेक्स का उद्देश्य नौसेना की संचालन की अवधारणा को 'मान्य और परिष्कृत' करने के साथ-साथ समग्र लड़ाकू क्षमताओं का परीक्षण करना है।
- यह क्षेत्र में युद्ध तैयारी की जांच करने के लिए युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों जैसी लगभग सभी परिचालन संपत्तियों को शामिल करता है।
- यह अभ्यास भारतीय नौसेना के संयुक्त बेड़े की लड़ाकू तैयारी का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है।

13. राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति

- 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित होने वाली राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति 3 प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी समितियों में सबसे बड़ी होगी।
- सहकारी समितियों की स्थापना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (MSCS) अधिनियम 2002 के तहत की जाएगी।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 3 राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी। ये निम्नलिखित हैं-
  - राष्ट्रीय निर्यात सोसायटी।
  - जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय सहकारी समिति।
  - राष्ट्रीय स्तर कीबीज सहकारी समिति।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. IMF के अनुसार, भारत में मुद्रास्फीति 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में 6.8% से अगले वित्त वर्ष में 5% तक कम होने की उम्मीद है। यह वर्ष 2024 में 4% तक गिर सकती है।
2. सरकार के सार्वजनिक खरीद ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस GeM ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कैलेंडर वर्ष 2022 में एमएसएमई विक्रेताओं से वस्तु और सेवाओं की शीर्ष खरीद वाला मंत्रालय था।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
4. अटल पेंशन योजना, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना ने हाल ही में 5 करोड़ नामांकन को पार कर लिया है। सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 9 मई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने कैलेंडर वर्ष 2022 में 1.25 करोड़ से अधिक नए नामांकन करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2021 में 92 लाख नए ग्राहक का नामांकन कराया गया था।
5. एयर इंडिया ने कहा कि वह सुरक्षा प्रबंधन बढ़ाने और इन-फ्लाइट घटनाओं की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए यूके-स्थित आइडियाजेन के उद्यम, क्लाउड सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन 'कोरुसन' का उपयोग करेगी।
6. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च शिक्षा में नामांकन 2019-20 से 2020-21 में 7.5% बढ़ गया। इस अवधि में महिला प्रवेश 18.8 मिलियन से बढ़कर 20.1 मिलियन हो गया।
7. विशेषज्ञों की एक टीम ने कोझिकोड जिले में कोयिलैंडी के पास कप्पड़ समुद्र तट पर थुव्वाप्पारा से लेकर कोइलैंडी के पास वलियामंगड तक 3.5 किलोमीटर के समुद्र तट की रक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया है। कप्पड़ केरल का एकमात्र समुद्र तट है जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंटल एजुकेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।
8. अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में 'बेहद दुर्लभ' नोबल हेलेन (पैपिलियो नोबेली) पायी गई है। यह तितली म्यांमार, दक्षिणी चीन और वियतनाम की अपनी पूर्व ज्ञात स्थानों से गायब हो रही है जो भारत में पहली बार देखी गई है।
9. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 09.11.2022 को भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022 जारी किए हैं। इस दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, निजी प्रसारकों को हर दिन 30 मिनट के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता होगी।
10. वैज्ञानिक समुदाय ने सोलिगा के नाम पर ततैया की एक नई प्रजाति का नाम रखा है, जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बिलीगिरी रंगन हिल्स के स्थानीय प्रजाति हैं।
11. भारत ने गुरुवार, 26 जनवरी को iNCOVACC नाम से अपना पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन को भारत में प्राथमिक और साथ ही हेटेरोलॉगस (मिक्स-एंड-मैच) बूस्टर खुराक के रूप में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।
12. अमेरिका व यूरोपीय संघ ने कृषि, स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, जलवायु पूर्वानुमान तथा इलेक्ट्रिक ग्रिड में सुधार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को तेज करने और बढ़ाने के लिए एक समझौते की घोषणा की।
13. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी मार्च 2023 से पहले पूरी तरह से वर्चुअल मोड में कंपनी कानून के उल्लंघन के ई-निर्णयन की सुविधा शुरू करेगा।
14. भारत की अध्यक्षता में जी-20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 से 7 फरवरी तक बेंगलुरु में हुई।
15. नोवाक जोकोविच ने अपना 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता, राफेल नडाल के रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम की बराबरी की।
16. भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'वीर गार्जियन 2023' का पहला संस्करण जापान में संपन्न हुआ।
17. आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डेन को 'अमृत उद्यान' के रूप में नामित किया है।

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो

1. चर्चा में क्यों?

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों के पदों के लिए नामों की सिफारिश की है।

2. एफएसआईबी के बारे में

- वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो का गठन किया गया।
- बोर्ड को केंद्र संचालित वित्तीय सेवा संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों के चयन के लिए दिशानिर्देश भी जारी करेगा।
- इसका मुख्य कार्य सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए प्रमुखों की भर्ती करना है, बोर्ड राज्य द्वारा संचालित बैंकों के लिए व्यावसायिक रणनीति तैयार करने और विकसित करने में भी शामिल होगा और उनकी धन जुटाने की योजनाओं में उनकी मदद करेगा।

3. बोर्ड के सदस्य

- एफएसआईबी का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेगा ,जो केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होगा।
- बोर्ड में डीएफएस के सचिव, आईआरडीएआई के अध्यक्ष और आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर शामिल होंगे।
- इसके अतिरिक्त, इसमें तीन अंशकालिक सदस्य हैं जो बैंकिंग में विशेषज्ञ हैं और तीन अन्य बीमा क्षेत्र से हैं।

4. विजन

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्ड के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को खोजना और उनका चयन करना और इन संस्थानों में कॉर्पोरेट शासन में सुधार के उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

5. मिशन

सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

6. एफएसआईबी द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो को प्रतिस्थापित करने के कारण

- बीबीबी को पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अक्षम प्राधिकरण घोषित किया गया था, जब केंद्र के स्वामित्व वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के एक महाप्रबंधक ने बीबीबी द्वारा निदेशक पद के लिए अपने से कनिष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती दी थी।
- इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए बीबीबी को समाप्त करना पड़ा और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के माध्यम से एफएसआईबी नामक एक नया निकाय स्थापित किया गया है।

7. एफएसआईबी की भूमिका

- एफएसआईबी की प्राथमिक भूमिका जनशक्ति क्षमताओं की पहचान करना और सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ पदों के लिए प्रतिभा का उचित चयन सुनिश्चित करना है।
- एफएसआईबी की भूमिका मैन (man)-मैनेजर की भूमिका से परे जाकर इन संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए एक आचार संहिता और नैतिकता तैयार करने में सरकार की सहायता करना है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी और आकलन भी करेगा।

8. FSIB का महत्व

- जब बीबीबी को अमल में लाया गया था, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भीतर एकीकरण हुआ था।
- फिर, बैंकों और बीमा कंपनियों दोनों के बैंक विलय और निजीकरण का एक और दौर हो सकता है।
- मुख्य मुद्दा यह है कि क्या पीएसयू संस्थाएं परिचालन और प्रबंधन के दृष्टिकोण से निजीकरण की कसौटी का सामना करने के लिए तैयार हैं।
- इसका सभी स्तरों पर मानवशक्ति की क्षमता के साथ गहरा संबंध है।
- इसलिए, एफएसआईबी का मौन महत्ता निजीकरण प्रक्रिया के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों को तैयार करना और आवश्यक मानव संसाधन उत्थान प्रथाओं को शुरू करना होगा।

1. चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की पांच दिवसीय वार्षिक बैठक 16 जनवरी, 2023 और 20 जनवरी, 2023 के बीच यूरोप के दावोस में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, इस वर्ष की चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए फोरम ने सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को एक साझा मंच प्रदान किया।

वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम

2. प्रमुख बिंदु

- विश्व आर्थिक मंच की इस वर्ष की थीम है 'एक खंडित विश्व में सहयोग'।
- मंच ने दुनिया भर के नेताओं से उभरते आर्थिक संकट, ऊर्जा और खाद्य संकट, बढ़ती जनसंख्या, और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक अधिक सतत और लोच्य विश्व के लिए जमीनी कार्य करने का आह्वान किया।
- यह आयोजन विश्व के नेताओं और विभिन्न उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों, थिंक टैंकों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों को ज्ञान साझा करने, सहयोग करने और वैश्विक समस्याओं के अभिनव समाधान बनाने के लिए एक साथ लाया।

3. दावोस मेनिफेस्टो

- दावोस मेनिफेस्टो नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में कंपनियों का मार्गदर्शन करने की परिकल्पना करता है।
- यह 1973 में बनाया गया था तथा 2020 में नवीनीकृत किया गया था और यह हितधारक पूंजीवाद के सिद्धांतों या व्यवसायों के लिए साझा लक्ष्यों की एक प्रणाली को निर्धारित करता है।
- नए मेनिफेस्टो 2020 के अनुसार, WEF औपचारिक रूप से हितधारक पूंजीवाद द्वारा निर्देशित हो, जो मानता है कि एक निगम को न केवल शेयरधारकों को बल्कि उन सभी को मूल्य प्रदान करना चाहिए जिनकी कंपनी की नियति में हिस्सेदारी है जैसे कर्मचारी, समाज और पृथ्वी आदि।
- इसके लक्ष्यों में 'दुनिया की स्थिति में सुधार' की प्रतिबद्धता शामिल है।

4. डब्ल्यूईएफ मिशन

- विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक दुनिया की सबसे अधिक दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान और सार्वजनिक-निजी सहयोग पर केंद्रित है।
- यह वैश्विक नेताओं को परस्पर जुड़े मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे:
  - ऊर्जा, जलवायु और पर्यावरण।
  - निवेश, व्यापार और बुनियादी ढांचा।
  - प्रौद्योगिकियां और नवाचार।
  - नौकरियां, कौशल, सामाजिक गतिशीलता और स्वास्थ्य।
  - बहुध्रुवीय विश्व में भू-राजनीतिक सहयोग।

5. दावोस 2023 में भारत

- वर्ष 2023 इस रूप में भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि यह भारत और WEF के बीच सहयोग का 36वां वर्ष है।
- भारत सरकार के अनुसार, इस वर्ष की WEF वार्षिक बैठक का विषय, 'एक खंडित विश्व में सहयोग', भारत के G-20 विषय 'वसुधैव कुटुम्बकम' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के अनुरूप थी।
- भारत, जो 'ग्लोबल साउथ' के प्रतिनिधि के रूप में उभरा है, का उद्देश्य सभी की भलाई के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान खोजने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना है जिसमें इस बैठक का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
- भारत के मुख्य एजेंडा भारत के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र, महिला नेतृत्व, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, लाइफ मिशन, ग्रीन इंडिया आदि को बढ़ाने के इर्द-गिर्द थे।

1. चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में कार्यक्रमों के साथ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) मनाया, जिसे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया साथ ही इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट, 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं' का भी शुभारंभ किया गया।

प्रवासी भारतीय दिवस

2. दिवस के बारे में

- एलएम सिंघवी समिति ने प्रवासी भारतीयों के अपने मूल स्थान और एक-दूसरे के साथ संबंधों को नवीनीकृत और मजबूत करने का विचार सरकार के सामने रखा।
- समिति ने भारत और इसके प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच नेटवर्किंग के लिए केंद्र बिंदु के रूप में प्रवासी भारतीय भवन की स्थापना की सिफारिश की।
- यह इस सिफारिश से है कि समुदाय को पहचानने के लिए सरकार को इस दिन को मनाने का विचार प्रवाहित हुआ।
- यह दिन 2003 में लागू हुआ था, लेकिन 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर दो साल में मनाया जाने का फैसला किया गया।
- 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वह तारीख थी जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
- इस वर्ष की थीम है 'प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार'।

3. दिवस के प्रमुख योगदान

- इस दिन ने विदेशी निवेश को आकर्षित करके और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान दिया है
- इसने नौकरियां पैदा करने में मदद की है और कुशल भारतीय श्रमिकों और उद्यमियों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया है
- यह दिन उन अवसरों पर प्रकाश डालता है जो विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के लिए अपने देश में निवेश, काम और अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं।

4. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार

- यह एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ), संगठन या एनआरआई या पीआईओ द्वारा स्थापित और संचालित संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- यह उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने विदेशों में भारत की गहरी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सक्रिय रूप से भारत के हितों और चिंताओं का समर्थन करता है।

5. भारत द्वारा प्रमुख पहल

- भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का ब्रांड एंबेसडर कहा और कहा कि देश की आगामी यात्रा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- भारत द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
  - **वज्र (विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी) योजना:** यह योजना एक रोटेशन कार्यक्रम को औपचारिक रूप देती है जिसमें शीर्ष एनआरआई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को संक्षिप्त अवधि के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।
  - **Know India कार्यक्रम (केआईपी):** कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय जड़ों और समकालीन भारत से परिचित कराना है।
  - **प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई):** यह योजना प्रवासी भारतीय कामगारों के कौशल विकास की प्रक्रिया को संस्थागत बनाना चाहती है।
  - **ई-माइग्रेट सिस्टम:** यह एक विदेशी नियोक्ता डेटाबेस है। यह प्रवासियों पर होने वाले शोषण पर रोक लगाता है तथा उनके हित के लिए कार्य करता है।

राज्य वित्तः 2022-23 के बजटों का अध्ययन

1. चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका नाम है, राज्य वित्तः 2022-23 के बजटों का अध्ययन। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों के वित्त के बारे में विश्लेषण, आकलन तथा जानकारी प्रदान करती है। इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय 'भारत में पूंजी निर्माण - राज्यों की भूमिका' है।

2. रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बिंदु

- आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापक आर्थिक सुधार और उच्च राजस्व संग्रह की सहायता से सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2020-21 के 4.1 प्रतिशत से घटकर जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होने जा रहा है।
- वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 31.1 प्रतिशत के मुकाबले राज्य का ऋण 29.5 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है।
- हालांकि, यह संख्या अभी भी थ्ठत्व समीक्षा समिति 2018 द्वारा अनुशंसित 20 प्रतिशत से अधिक है।
- राज्यों की बकाया देनदारियां उनके महामारी के चरम समय से कम हो गई हैं, अलग-अलग राज्य स्तर पर ऋण समेकन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जुर्माने, रॉयल्टी और अन्य शुल्कों के माध्यम से प्राप्त होने वाले गैर-राज्य राजस्व में उद्योग और सामान्य सेवाओं द्वारा संचालित वृद्धि की उम्मीद है।
- आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य जीएसटी, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर आदि जैसे स्रोतों के माध्यम से अपने राजस्व में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

3. जीएफडी क्या है?

- जीएफडी राज्य सरकार के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का एक माप है और इसे कुल व्यय से कुल राजस्व घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- जीएफडी में गिरावट को आम तौर पर अनुकूल रूप से देखा जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने राजस्व और व्यय का बेहतर प्रबंधन करने में सक्षम है।

4. रिपोर्ट द्वारा की गई अनुशंसा

- राज्य सरकारों को ऋण समेकन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य के झटकों से निपटने के लिए राजकोषीय स्थान के पुनर्निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक पथ निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने और उत्पादक क्षमताओं का विस्तार करने के लिए राज्य को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा संक्रमण आदि जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि करनी चाहिए।
- इसके अलावा, एक कैपेक्स बफर फंड को अच्छे समय के दौरान बनाना चाहिए जब राजस्व प्रवाह मजबूत होता है ताकि आर्थिक चक्र में व्यय की गुणवत्ता तथा प्रवाह को सुचारू बनाया जा सके।
- राज्यों को देश भर में राज्य कैपेक्स के स्पिल-ओवर प्रभावों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च अंतर-राज्यीय व्यापार और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

5. आगे की राह

- राजस्व संग्रह में वृद्धि और कुशल बजट प्रबंधन के साथ, राज्यों की राजकोषीय स्थिति पूर्व-महामारी के स्तर से काफी सुधर गई है।
- राज्य स्तर पर जिम्मेदार और प्रभावी जलवायु परिवर्तन नीतियों के लिए बढ़ती मान्यता के साथ, केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य शुद्ध-शून्य उत्सर्जन 2070 के प्रतिबद्ध राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो।
- इसके अलावा, राज्यों को अधिक सार्वजनिक भलाई के लिए स्थानीय सरकारों को कर राजस्व आदि का निर्धारण करने के लिए नियमित और समयबद्ध तरीके से राज्य वित्त आयोग स्थापित करने की आवश्यकता है।

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए गुजरात की निविदा की प्रारंभिक तैयारियों की जांच करने के लिए अहमदाबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और खेल मंत्री हर्ष सांघवी ने भी भाग लिया।

ओलम्पिक खेल-अहमदाबाद

2. समाचार के अन्य पहलू

- अहमदाबाद का ओलंपिक की मेजबानी का विचार कोई नया नहीं है, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों ने भी ओलंपिक की मेजबानी करने का विचार पहले रखा है।
- अगले तीन ओलंपिक के मेजबान पहले ही तय किए जा चुके हैं और इनमें 2024 में पेरिस (फ्रांस), 2028 में लॉस एंजिल्स (यूएसए) और 2032 में ब्रिसबेन (ऑस्ट्रेलिया) शामिल हैं।

3. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

- IOC एक गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1894 में ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- यह संगठन दुनिया भर में आयोजित ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर के चयन तथा प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- इसके 99 सदस्य देश हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना IOC प्रतिनिधि है, जो अक्सर एक पूर्व-ओलंपियन या एथलीट होता है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी भारत से प्रतिनिधि हैं।

4. ओलंपिक मेजबान शहरों के लिए चयन प्रक्रिया

1. परिपेक्ष्यः

- पहले, मेजबान शहरों को मतदान के आधार पर चुना जाता था, इस प्रक्रिया पर बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निविदा बोली भी लगाई जाती थी।
- नई प्रक्रिया में इच्छुक शहरों के साथ सीधे परामर्श में आईओसी शामिल है। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया को इस प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था।

2. प्रक्रियाः

- इस प्रक्रिया की देखरेख दो स्थायी 'फ्यूचर होस्ट कमीशन' द्वारा की जाती हैः एक गर्मियों के लिए और एक शीतकालीन खेलों के लिए।
- इन आयोगों में एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय संघ (IFs), राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ (NOCs), और अंतर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति (IPC) सहित कई हितधारक शामिल हैं।
- यह आयोग आईओसी के कार्यकारी बोर्ड को सिफारिशें करते हैं, जिसमें आईओसी अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्य शामिल हैं।
- फ्यूचर होस्ट कमिशन देशों के प्रस्तावों और उन देशों के साथ अतिरिक्त बातचीत के अपने अवलोकनों के आधार पर एक संभावित मेजबान का सुझाव देता है।
- कार्यकारी बोर्ड बाद में सिफारिशों पर निर्णय लेता है और इसके बाद आईओसी मतदान होता है।

5. ओलंपिक की मेजबानी के पहलू

- एक ओलंपिक की मेजबानी करना, एक शहर एक देश की क्षमता को दिखाता है कि वह एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है जिसपर पूरी दुनिया की नजर है।
- यह शहर के पर्यटन को बढ़ावा देता है और प्रायोजन के माध्यम से शहर की आय में वृद्धि करता है।
- चूँकि ओलम्पिक की मेजबानी करने वाले अधिकतर देश पश्चिमी देश हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय संस्कृति और गौरव को मुखरित करने और प्रदर्शित करने का एक मंच बन जाता है।
- हालांकि, उच्च लागत कई शहरों को ओलंपिक की मेजबानी करने में बाधा डालती है। इसके अलावा, खेल-संबंधी बुनियादी ढाँचे पर खर्च करने के खिलाफ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संदेहवाद भी देखा गया है जो बाद में सम्भवतः किसी काम के नहीं रहते है।

1. चर्चा में क्यों?

पर्यवेक्षकों को हाल ही में उत्तरी गोलार्ध में 50,000 वर्षों के बाद एक हरा धूमकेतु दिखाई दिया। नासा के अनुसार यह धूमकेतु दक्षिणी गोलार्ध में फरवरी की शुरुआत में दिखाई देगा।

हरा धूमकेतु

2. अन्य जानकारी

- धूमकेतु को उन खगोलविदों के सम्मान में C/2022 E3 (ZTF) नाम दिया गया था, जिन्होंने मार्च 2022 में इसकी प्रारंभिक खोज की थी।
- खगोलविदों ने अमेरिका में ज़्विकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी (ZTF) में वाइड-फील्ड सर्वे कैमरा का उपयोग करके इस धूमकेतु की खोज की।
- धूमकेतु के 2 फरवरी के आसपास पृथ्वी के सबसे करीब आने का अनुमान है।

3. हरे धूमकेतु के बारे में

- माना जाता है कि इस धूमकेतु में हरे रंग की चमक डायटोमिक कार्बन की उपस्थिति से उत्पन्न होती है, यह कार्बन परमाणुओं के जोड़े होते हैं जो धूमकेतु के सिर में एक साथ बंधे होते हैं।
- जनवरी के मध्य में सूर्य के निकट आने के बाद अब यह अपनी ही ऑर्बिट में सूर्य से दूर जा रहा है।
- इस धूमकेतु की ऑर्बिट इंगित करती है कि यह हमारे सौर मंडल के किनारे से आया है, धूमकेतुओं का एक दूरस्थ जलाशय जिसे ऊर्ट क्लाउड (Oort cloud) कहा जाता है।
- अत्यधिक अण्डाकार ऑर्बिट के साथ, धूमकेतु ऊर्ट क्लाउड पर वापस जाएगा और लगभग 50,000 साल बाद पुनः वापस आएगा।

4. धूमकेतु के बारे में

- धूमकेतु बर्फीली चट्टान या गैस से भरी पिंड हैं जो सौर मंडल के गठन के अवशेष हैं।
- धूमकेतु चार दृश्य भागों से बना होता है: नाभिक, कोमा, आयन पूंछ और धूल पूंछ।
- अन्य खगोलीय पिंडों की तरह धूमकेतुओं की ऑर्बिट भी होती हैं। कभी-कभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण उन पर कार्य करती हैं यह सूर्य के करीब खींच जाता है।
- जब यह सूर्य की ऑर्बिट के करीब खिंचे जाते है, तो यह गर्म हो जाते हैं और गैसों और धूल को एक चमकदार कर देते हैं। इस जलने के बाद धूल के अवशेष, दूर से, पृथ्वी पर मनुष्यों को प्रकाश-पुंज की तरह दिखते हैं।

5. धूमकेतु की अन्य विशेषताएं

- अपनी संरचना, विशेषताओं और जिस पथ पर वे चलते हैं, उसके कारण धूमकेतु 'अपने पीछे' एक प्रकाश छोड़ते हैं।
- उन्हें अक्सर नीला या सफेद प्रकाश, या यहाँ तक कि हरा प्रकाश उत्सर्जित करते देखा गया है।
- कुइपर बेल्ट और इससे भी अधिक दूर ऊर्ट क्लाउड में हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले अरबों धूमकेतु होने की संभावना है।
- धूमकेतुओं को व्यापक रूप से सबसे आदिम सौर प्रणाली सामग्री के रूप में वर्णित किया गया है, जो सूर्य के निर्माण के बाद से क्रायोजेनिक तापमान और कम दबाव पर संरक्षित हैं।

6. ऊर्ट क्लाउड

- अक्सर 'हमारे सौर मंडल का सबसे दूरस्थ क्षेत्र' और 'धूमकेतुओं का घर' कहे जाने वाले ऊर्ट क्लाउड बर्फीले पिंडों का अनुमानित संग्रह है जो सौर मंडल में बाकी सभी चीजों की तुलना में काफी दूर है।
- यह उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक ऊर्ट क्लाउड का निरीक्षण नहीं किया है, इसकी उपस्थिति का केवल अनुमान लगाया गया है क्योंकि यह सौर मंडल के ग्रहीय क्षेत्र में धूमकेतुओं की टिप्पणियों के साथ उपयुक्त बैठता है।
- ऊर्ट क्लाउड को बाहरी अंतरिक्ष का एक बड़ा, गोलाकार क्षेत्र माना जाता है जो हमारे सूर्य को घेरे हुए है, जिसमें धूमकेतु और क्षुद्रग्रह जैसे असंख्य छोटे पिंड शामिल हैं।

1. चर्चा में क्यों?

25 जनवरी को पाकिस्तान को एक नोटिस में, भारत ने कहा कि भारत की तरफ जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर पाकिस्तान की लगातार आपत्तियों के कारण 63 साल पुरानी सिंधु जल संधि के 'संशोधन' के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सिंधु जल संधि

4. संधि के तहत उठाई गई आपत्तियां

- संधि, असंतोष का कारण बन गई क्योंकि-
  - पानी की मांग बढ़ रही है।
  - दस्तावेज की व्यापक तकनीकी प्रकृति
  - पश्चिमी नदियाँ जम्मू और कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर बहती हैं।
- पाकिस्तान ने किशनगंगा जल विद्युत परियोजना(केएचईपी) पर भारतीय परियोजना पर आपत्ति जताई।
- केएचईपी का काम 2007 में शुरू किया गया था और इसे 2016 तक पूरा किया जाना था।
- पाकिस्तान की आपत्ति के कारण भारत बांध की ऊंचाई 97 मीटर से घटाकर 37 मीटर करने पर सहमत हुआ।
- 2010 में, पाकिस्तान इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय पंचाट न्यायालय में ले गया। कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दिसंबर 2013 में दिया, जिसमें भारत को इस परियोजना के लिए शर्तों के अधीन हरी झंडी दी गई।
- पाकिस्तान के लगातार विरोध के बावजूद 2018 में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया।
- डिजाइन संबंधी चिंताओं को लेकर पाकिस्तान ने वर्ष 1970 में सलल बांध परियोजना पर आपत्ति जताई थी, जिसके लिए बातचीत 1978 में समाप्त हुई।
- 2000 के दशक में पाकिस्तान ने फिर से बगलिहार जलविद्युत परियोजना पर आपत्ति जताई।

2. सिंधु जल संधि के बारे में

- सिंधु नदी बेसिन में छह नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं, ये तिब्बत से निकलती है और हिमालय पर्वतमाला से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कराची के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है।
- 1947 में विभाजन ने सिंधु नदी प्रणाली को भी दो भागों में बाँट दिया।
- दोनों पक्ष अपनी सिंचाई के लिए सिंधु नदी के बेसिन के पानी पर निर्भर थे।
- इसलिए बुनियादी ढांचे और समान वितरण की जरूरत थी।
- प्रारंभ में, मई, 1948 के अंतर्राज्यीय समझौते को अपनाया गया था, जिसके तहत भारत वार्षिक भुगतान के बदले पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति कर रहा था।
- हालांकि, यह समझौता जल्द ही विघटित हो गया क्योंकि दोनों देश आम व्याख्याओं पर सहमत नहीं हो सके।
- 1951 में, दोनों देशों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अपनी-अपनी सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक में आवेदन किया, जब बैंक ने विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की।
- अंततः 1960 में, लगभग एक दशक की बातचीत के बाद, दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिससे जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान और डब्ल्यूएबी इलिफ द्वारा सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर हस्ताक्षर किए गए।

3. संधि का सार

- संधि ने भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर, तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, चिनाब और झेलम- को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया।
- तीन पूर्वी नदियाँ- रावी, ब्यास और सतलुज - भारत में अप्रतिबंधित उपयोग के लिए।
- पानी का 80% हिस्सा या लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पाकिस्तान में चला गया, शेष 33 MAF या 20% पानी भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया।
- इसके अलावा, भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर की भी अनुमति है, जो संरक्षण और बाढ़ भंडारण उद्देश्यों के लिए 3.75 एमएएफ तक स्टोर कर सकता है।
- इसके लिए दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा गठित एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी।
- भारत को झेलम, चिनाब और सिंधु पर 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण का अधिकार है।
- यह संधि पाकिस्तान को भारत द्वारा बनाई जा रही ऐसी परियोजनाओं पर आपत्तियां उठाने की भी अनुमति देती है, यदि वह उन्हें विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाती है।
- आईडब्ल्यूटी तीन चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत मुद्दों को पहले आयोग या अंतर-सरकारी स्तर पर हल किया जा सकता है।
- यदि यह विफल रहता है, तो कोई भी पक्ष तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

BEST SELLERS FOR CIVIL SERVICES

ISBN : 978-93-93412-56-0
Coming Soon

ISBN : 978-93-93412-88-1
MRP: 250/-

ISBN : 978-93-93412-72-0
Coming Soon

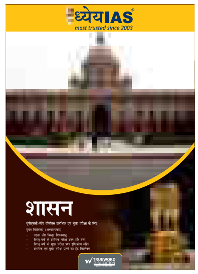

ISBN : 978-93-93412-89-8
Coming Soon

ISBN : 978-93-93412-73-7
Coming Soon

ISBN : 978-93-93412-70-6
MRP: 450/-

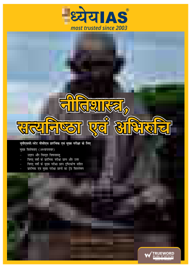

ISBN : 978-93-93412-64-5
MRP: 450/-

ISBN : 978-93-93412-86-7
MRP: 210/-

ISBN : 978-93-93412-65-2
Coming Soon

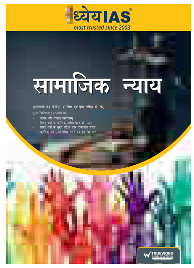

ISBN : 978-93-93412-87-4
Coming Soon

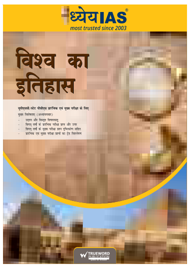

ISBN : 978-93-93412-94-2
MRP: 195/-

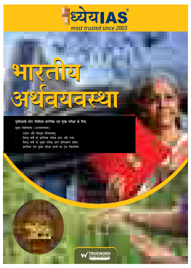

ISBN : 978-93-93412-57-7
MRP: 400/-

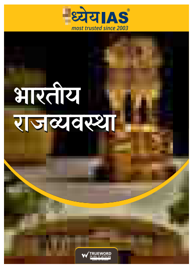

ISBN : 978-93-93412-47-8
MRP: 799/-

ISBN : 978-93-93412-78-2
MRP: 295/-

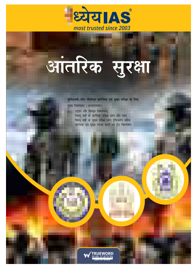

ISBN : 978-93-93412-71-3
MRP: 165/-

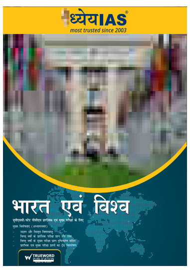

ISBN : 978-93-93412-55-3
MRP: 240/-

ISBN : 978-93-93412-62-1
MRP: 250/-

ISBN : 978-93-93412-20-1
Coming Soon

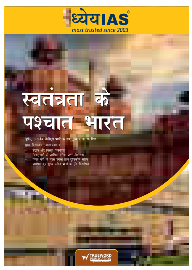

ISBN : 978-93-93412-54-6
MRP: 125/-

ISBN : 978-93-93412-49-2
MRP: 570/-

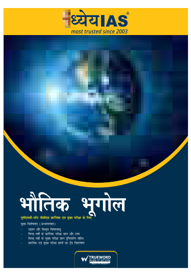

ISBN : 978-93-93412-97-3
MRP: 510/-

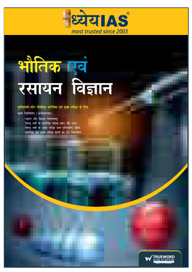

ISBN : 978-93-93412-79-9
Coming Soon

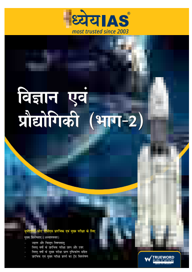

ISBN : 978-93-93412-63-8
Coming Soon

TRUEWORD PUBLICATION
Quest for Wisdom

नगर वन योजना

चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने देश भर में शहरी वनों को विकसित करने के लिए 'नगर वन' योजना के अन्तर्गत 400 शहरी वन बनाने की घोषणा की।

योजना के बारे में:

- इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2020 में लॉन्च किया गया।
- वनों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- **फंडिंग:** CAMPA (प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016) के तहत फंड।
- पुणे (महाराष्ट्र) में वारजे शहरी वन को योजना के लिए एक रोल मॉडल माना जाएगा।

उद्देश्य:

- अगले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) में शहरी क्षेत्रों में मौजूदा वन भूमि या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किसी अन्य खाली भूमि पर 400 शहरी वन और 200 शहरी उद्यान बनाना।

इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल

चर्चा में क्यों- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था।

पोर्टल के बारे में:

- 1 जुलाई को, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के सबसे बड़े ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस, 'इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम' वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल में मेटाडेटा के साथ हर्बेरियम नमूनों की लगभग एक लाख छवियां हैं, जिसमें वालिच नमूनों, आर्किड नमूनों और अन्य नमूनों की सभी डिजीटल छवियां शामिल हैं।
- पोर्टल का उद्देश्य ऑनलाइन एक्सेस के माध्यम से हर्बेरियम भवन में संग्रहीत भारत और अन्य देशों की पुष्प विविधता के बारे में हर्बेरियम नमूनों पर पूरी जानकारी प्रदान करना है। वर्तमान में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के डिजिटल हर्बेरियम में चार श्रेणियां हैं-क्रिप्टोगैम प्रकार के नमूने, क्रिप्टोगैम सामान्य नमूने, फेनरोगम प्रकार के नमूने और फेनरोगैम्स सामान्य नमूने। यह अनुसंधान अध्ययनों में भी सहायता करेगा जो वैश्विक संयंत्र अनुसंधान के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई को एक हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया

चर्चा में क्यों- केंद्र सरकार ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व (कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली, तमिलनाडु) को भारत के 32वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। यह राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है। इस रिर्जव को घोषित करने के बाद इस क्षेत्र के हाथियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन व संरक्षण हो सकेगा।

अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व (एबीआर) के बारे में:

- ABR पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह दो दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है जो 2001 में स्थापित किया गया था।
- मार्च 2016 में, इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था।
- इसमें पेप्पारा और शेंडुर्नी वन्यजीव अभयारण्य, केरल में नैय्यार अभयारण्य के कुछ हिस्से और तमिलनाडु का कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं।
- यह बाघ, एशियाई हाथी और नीलगिरि ताहर सहित दुर्लभ स्थानिक जानवरों का भी घर है।
- यह कनिकरण (Kannikar) जनजाति का घर है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित जनजातियों में से एक है।

कंपोस्टेबल प्लास्टिक

चर्चा में क्यों- S&T मंत्रालय एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) कार्यक्रम के उपयोग को कम करने के लिए कंपोस्टेबल प्लास्टिक के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप्स (ऋण के माध्यम से) को प्रोत्साहित करेगा, जो NIDHI-PRAYAS योजना, Niti Aayog और UNIDO द्वारा समर्थित है।

कंपोस्टेबल प्लास्टिक के बारे में:

- पेट्रोकेमिकल्स और जीवाश्म ईंधन से बने प्लास्टिक का उपयोग करने के बजाय, मकई, आलू, ट्रैपिओका स्टार्च, सेलूलोज, सोया प्रोटीन और लैक्टिक एसिड जैसे नवीकरणीय सामग्रियों से कम्पोस्टेबल प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है।

सीडीआरआई

चर्चा में क्यों- अगस्त 2022 में सीडीआरआई (कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट) को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गयी है, जिसके तहत भारत ने सीडीआरआई के साथ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए।

सीडीआरआई के बारे में:

- सीडीआरआई को भारतीय पीएम द्वारा 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क (यूएस) में लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच एक साझेदारी है।

सीडीआरआई का उद्देश्य:

- यह जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देता है। इसके सदस्यों में 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र शामिल हैं। यह डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030) के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों पर काम करता है।

अनंग ताल झील

चर्चा में क्यों- अनंग ताल झील को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया गया है। झील, जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा

होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है।

अनंग ताल झील के बारे में:

- अनंग ताल जोग माया मंदिर के उत्तर में और कुतुब परिसर के उत्तर-पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसे 11वीं सदी के तोमर राजा अनंग पाल तोमर ने बनवाया था।
- झील को प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित किया गया है।
- केंद्र सरकार अधिनियम के तहत स्मारकों को बनाए रखने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अधिकृत है।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

चर्चा में क्यों- पर्यावरण मंत्रालय ने बेकार बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 प्रकाशित किया है। नए नियमों ने बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 का स्थान लिया है।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के मुख्य बिंदु:

- इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, औद्योगिक बैटरी नए नियमों के अंतर्गत कवर हैं।
- बैटरी का उत्पादन करने वाले उत्पादकों का दायित्व होगा कि वे बाजार में पेश की जा रही बैटरी के उपयोग के बाद, बैटरी को पूरी तरह से रीसायकल या रीफर्बिश करे। इसमें जलाना या लैंडफिल में निपटान प्रतिबंधित किया गया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए, 30 जून तक कितनी बेकार बैटरियों का पुनर्चक्रण या नवीनीकरण किया गया है? इसका वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।
- निर्माता पुष्टि करेंगे कि सभी बैटरियों को सही लेबलिंग के साथ ठीक से पैक किया गया है। लेबल स्पष्ट रूप से और इस तरह से मुद्रित होना चाहिए कि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। लेबल को इस तरह से प्रिंट किया जाना चाहिए कि उसे हटाया न जा सके।
- सभी बैटरियों को क्रॉस आउट व्हील्ड बिन सिंबल मार्क के साथ पैक किया जाना चाहिए।
- मरकरी, कैडमियम या लेड वाली बैटरियों पर Hg, Cd या Pb अंकित होना चाहिए।
- यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वे बेकार बैटरी को अन्य कचरे से अलग करें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि बेकार बैटरी का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाए।
- प्रत्येक उत्पादक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत पंजीकृत होगा जो 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और विनियमों में निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत पर पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा।
- पर्यावरणीय मुआवजे के तहत एकत्रित धन का उपयोग गैर-संग्रहणीय और गैर-पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह तथा नवीकरण या पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा।

भारत का पंचामृत संकल्प

चर्चा में क्यों- कॉप 27 में भारत ने अपने पंचामृत संकल्प को फिर से दोहराया।

पंचामृत संकल्प के बारे में:

1. 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना।
2. 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।
3. अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना।
4. 2005 के स्तर से 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी करना।
5. 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।

क्लाइमेट-टिपिंग प्वॉइंट

चर्चा में क्यों- हाल ही में क्लाइमेट-टिपिंग प्वॉइंट संख्या बढ़ने से वैज्ञानिक चिंतित हैं।

क्लाइमेट-टिपिंग प्वॉइंट के बारे में: क्लाइमेट-टिपिंग प्वॉइंट पारिस्थितिक परिवर्तन के स्तर होते हैं, यदि सीमा पार कर जाये तो पृथ्वी की प्रणालियों के संचालन के तरीके में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है, जिससे महासागरों, मौसम और रासायनिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जो अपरिवर्तनीय और स्व-निरंतर हो सकता है, भले ही आगे कोई वार्मिंग न हो। छह टिपिंग प्वॉइंट जो अपनी सीमा रेखा को पार कर सकते हैं:

- ग्रीनलैंड बर्फ की चादर का पिघलना।
- पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की चादर का ढहना।
- उत्तरी अटलांटिक के ध्रुवीय क्षेत्र में महासागर परिसंचरण का पतन।
- निम्न अक्षांशों में प्रवाल भित्तियों का पतन।
- उत्तरी क्षेत्रों में पर्माफ्रॉस्ट का अचानक विगलन।
- बेरेंट सागर में समुद्री बर्फ का अचानक नुकसान।

उद्योग डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक गठबंधन (GAID)

चर्चा में क्यों- हाल ही में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) की सह-संस्थापक पार्टनर सीमेंस एनर्जी, भारत से टाटा स्टील और जिंदल स्टील वर्क्स सहित 13 कंपनियों ने इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन के लिए ग्लोबल एलायंस लॉन्च किया।

उद्योग डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक गठबंधन के बारे में:

- इसका गठन बाली (इंडोनेशिया) में आयोजित ऊर्जा संक्रमण पर IRENA के निवेश फोरम के दौरान अपनाई गई बाली घोषणा के तहत किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उद्योग को देशों के शुद्ध शून्य लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में योगदान करने के लिए आदान-प्रदान और सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
- यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के औद्योगिक हितधारकों द्वारा संवाद को मजबूत करेगा तथा कार्यवाही का समन्वय करेगा।

ग्रीन फिन्स हब

चर्चा में क्यों- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), ने यूके स्थित चैरिटी रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया।

ग्रीन फिन्स हब के बारे में:

- यह एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देगा।
- यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में गोताखोरी तथा स्नॉर्केलिंग ऑपरेटरों को कोशिश और परीक्षण किए गए समाधानों का उपयोग करके अपने दैनिक प्रथाओं में सरल, लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा। यह उन्हें अपने वार्षिक सुधारों पर नजर रखने और अपने समुदायों तथा ग्राहकों के साथ संवाद करने में भी मदद करेगा।

यूपी ने अपने चौथे टाइगर रिजर्व की घोषणा की

चर्चा में क्यों- हाल ही में, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में अपना चौथा बाघ अभयारण्य स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह चित्रकूट जिले में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव शामिल हैं। यहाँ रहने वाले कुछ प्रमुख वन्यजीवों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, काला हिरण, मोर, जंगली पक्षी, चित्रित तीतर और चिंकारा शामिल हैं।

रानीपुर टाइगर रिजर्व:

- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-38 (v) के तहत इस बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। यह खंड राज्य सरकार को किसी भी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह लगभग 530 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला होगा, जहां 230 वर्ग किमी रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र है, जबकि अतिरिक्त 300 वर्ग किमी को बफर जोन के रूप में जोड़ा गया है।
- दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व (बिजनौर) के बाद यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा।

प्रोजेक्ट टाइगर:

- प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में 9 टाइगर रिजर्व के साथ लॉन्च किया गया था। यह पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बाघ संरक्षण में राज्यों की सहायता करती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में प्रदान किए गए पर्यवेक्षी/समन्वय भूमिकाओं और प्रदर्शन कार्यों के लिए इस मंत्रालय का वैधानिक निकाय है।

भारत में बाघ:

- जीनस पैंथेरा से संबंधित, यह दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली की नस्ल है।
- बाघों की आठ मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ हैं, जिनमें से तीन विलुप्त हैं।
- दुनिया में कुल बाघों की संख्या 5578 है जिनमें से 70% या 3725 भारत में रहते हैं।

सुरक्षा की स्थिति:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1
- आईयूसीएन लाल सूची: लुप्तप्राय
- सीआईटीईएस: परिशिष्ट-1

रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुए

चर्चा में क्यों- हाल ही में विशेषज्ञों ने आक्रामक और विदेशी रेड-ईयर स्लाइडर कछुओं की उपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है तथा उनकी उपस्थिति भारतीय मूल प्रजातियों के कछुओं की विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण बन सकती है।

रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुओं के बारे में:

- **वैज्ञानिक नाम:** ट्रेकेमिस स्क्रिप्ट एलिगेंस। रेड-ईयर स्लाइडर कछुए दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मूल निवासी हैं।

सुरक्षा की स्थिति:

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) रेड लिस्ट: लीस्ट कंसर्न
- यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) में शामिल नहीं है।
- यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में शामिल नहीं है।

तमिलनाडु ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया

चर्चा में क्यों- हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने तिरुप्पुर जिले के नंजरायण टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा-26ए, अभयारण्य की घोषणा को परिभाषित करती है। इसमें विदित है कि राज्य सरकार वन्य जीवन के संरक्षण के उद्देश्य से एक ऐसे क्षेत्र का गठन करने की घोषणा कर सकती है जिसे राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त पारिस्थितिक जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणि महत्त्व का माना जाता हो।

नंजरायण टैंक के बारे में:

- नंजरायण टैंक, जिसे स्थानीय रूप से सरकार पेरियापलायम टैंक कहा जाता है, तिरुप्पुर उत्तर और उथुकुली तालुक के जंक्शन पर स्थित है, जिसमें 125.86 हेक्टेयर शामिल है।
- नंजरायण टैंक को प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों का आवास माना जाता है। बार-हेडेड गूज (Bar-headed Geese), रडी शेल्डक (Ruddy shelducks), नॉर्दर्न शोवेलर और मध्य एशिया की कई अन्य प्रजातियां यहाँ आती है।

चीता पुनर्वास परियोजना

चर्चा में क्यों: 17 सितम्बर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नामीबिया

से लाये गये 8 चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।

प्रमुख बिंदु:

- चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है, जिसके पूर्वजों के प्रमाण मियोसीन युग में पाए जाते हैं।
- यह दुनिया का सबसे तेज भूमि स्तनपायी है जो अफ्रीका और एशिया में रहता है।

अफ्रीकी चीता:

- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील
- सीआईटीईएस स्थिति: सूची का परिशिष्ट-I
- अफ्रीकी चीतों की संख्या करीब 6,500-7,000 है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
- भौतिक विशेषताएं- एशियाई चीतों से भी बड़ी।

एशियाई चीता:

- आईयूसीएन स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- सीआईटीईएस स्थिति: सूची का परिशिष्ट-I
- ईरान के जंगलों में इनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच है।
- वे अफ्रीकी चीतों की तुलना में आकार में छोटे और पीले रंग के होते हैं।

हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन

चर्चा में क्यों: वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, दुबई के दौरान ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी लॉन्च किया गया।

इस गठबंधन के उद्देश्य:

- इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ऐसे देशों का गठबंधन बनाना है जो हरित अर्थव्यवस्थाओं के विकास को प्राथमिकता दे सकें, जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ जलवायु कार्यवाही कर सकें और जो सतत विकास से समझौता न करें। इस गठबंधन के माध्यम से विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोग और समर्थन प्रदान किया जाएगा ताकि ये देश हरित अर्थव्यवस्था परियोजनाओं पर काम करते हुए अपना अनुभव साझा कर सकें।

ग्रीन स्टील

चर्चा में क्यों: अंतर-सरकारी संगठन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्टील और सीमेंट उत्पादन के लिए अधिकांश शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (एनजेडई) मार्ग अभी तक ग्रीन स्टील सहित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रीन स्टील के बारे में:

- ग्रीन स्टील का तात्पर्य ऐसे स्टील से है जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना निर्मित होता है।
- ग्रीन स्टील के निर्माण में कोयले के स्थान पर निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों जैसे हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली का उपयोग किया जाता है।
- निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, जिससे लागत कम होती है और स्टील की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भी इस्पात उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों: हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट-2022' प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की वन्यजीव आबादी में 69 प्रतिशत की कमी आई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- लैटिन अमेरिका में औसत जनसंख्या (94%) में सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट दर्ज की गई है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने जैव विविधता के लिए छह प्रमुख खतरों के रूप में कृषि (कृषि सबसे नकारात्मक रूप से प्रभावित भूमि उपयोग), शिकार, लॉगिंग, प्रदूषण, आक्रामक विदेशी प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन की पहचान की है।
- भौगोलिक दृष्टि से, दक्षिण पूर्व एशिया वह क्षेत्र है जहां प्रजातियों को खतरों का सामना करने की सबसे अधिक संभावना है।
- वैश्विक स्तर पर मीठे पानी की प्रजातियों की आबादी में 83 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे यह साबित होता है कि पृथ्वी ग्रह जैव विविधता और जलवायु संकट का सामना कर रहा है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में:

- वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर (WWF) की स्थापना 1961 में ग्लैंड (स्विट्जरलैंड) में की गई थी। यह 100 से अधिक देशों में पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए काम करने वाली संस्था है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के साथ-साथ पृथ्वी की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की पहचान करना है।

भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैले देश के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-26(ए)(1)(बी) के तहत इसको अधि सूचित किया।

स्लेंडर लोरिस के बारे में:

- स्लेंडर लोरिस छोटे रात्रिचर स्तनधारी और वृक्षवासी हैं, जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। IUCN ने उन्हें लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, जबकि भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उन्हें अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध किया है, जो उन्हें उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। स्लेंडर लोरिस कृषि फसलों के कीटों के लिए एक जैविक शिकारी के रूप में कार्य करते हैं और किसानों को लाभान्वित करते हैं। प्रजातियों का अस्तित्व इसके निवास स्थान में सुधार, संरक्षण के प्रयासों और खतरों के शमन पर निर्भर करता है।

तराई हाथी अभयारण्य

चर्चा में क्यों: हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी दी, जो उ0प्र0 में स्थित है।

तराई हाथी रिजर्व के बारे में:

- यह यूपी में दूसरा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा। टीईआर को दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा, जिसमें चार जंगली प्रजातियों के संरक्षण को शामिल किया जाएगा, जिसमें पूरे अभयारण में बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हिरण और एक सींग वाले गैंडे शामिल हैं। यह अभयारण किशनपुर और कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्यों को भी कवर करता है।

प्रोजेक्ट हाथी के बारे में:

- प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त-सीमा वाली आबादी के लिए राज्यों को वन्यजीव प्रबंधन के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों: हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को तमिलनाडु के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-26ए(1)(बी) के तहत की गई है।

कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा।
- यह अभयारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्रों में आता है। इसमें स्तनधारियों की 35 प्रजातियां, पक्षियों की 238 प्रजातियां, कछुए, ऊदबिलाव, दलदली मगरमच्छ और चार सींग वाले मृग रहते हैं और इसे वन्यजीवों का स्वर्ग कहा जाता है।

CITES-COP19

चर्चा में क्यों: हाल ही में, पनामा सिटी (पनामा) में 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मानवता से प्रजातियों की रक्षा के लिए समय पर कार्यवाही और उपाय करने तथा प्रकृति में संतुलन बहाल करने का आह्वान किया गया। COP-19 में 184 देशों, क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो जानवरों और पौधों की प्रजातियों में वैश्विक व्यापार से संबंधित हैं।

वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):

- CITES, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें वर्तमान में 184 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पशुओं और पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये खतरे में न डाला जाए।
- इसका पहला सम्मेलन वर्ष 1975 में हुआ और भारत वर्ष 1976 में 25वाँ भागीदार देश बन गया।
- वे देश जो CITES में शामिल होने के लिये सहमत हुए हैं, उन्हें पार्टियों के रूप में जाना जाता है।
- यद्यपि CITES पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिये कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता।

CITES के तहत आने वाली प्रजातियों के सभी आयात-निर्यात और पुन: निर्यात को परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सम्मेलन ने दक्षिण अमेरिकी ताजे पानी के कछुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, जिन्हें मटामाटा के नाम से जाना जाता है। उनकी नुकीली, पूर्व-ऐतिहासिक उपस्थिति ने उन्हें संग्राहकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है।
- सम्मेलन ने शार्क और पारभासी त्वचा वाले छोटे मेंढकों पर व्यापार नियमों को कड़ा करने पर सहमति व्यक्त की।
- संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव सम्मेलन ने हाथी दांत के व्यापार को फिर से खोलने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। 1989 में हाथीदांत प्रतिबंध लागू किया गया था।
- सम्मलेन में सीआईटीईएस सचिवालय ने पहली बार विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट प्रकाशित की है जो इस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत विनियमित जानवरों और पौधों में वैश्विक व्यापार में अंतर्दृष्टि तथा विश्लेषण देती है।

IUCN रेड लिस्ट में हिमालयी औषधीय पौधे

चर्चा में क्यों: हिमालय में पाई जाने वाली तीन औषधीय पौधों की प्रजातियों मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डैक्टाइलोरिजा हैटागिरिया ने हाल के एक आकलन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में जगह बनाई है। मूल्यांकन से पता चलता है कि वनों की कटाई, निवास स्थान का नुकसान, जंगल की आग, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए एक गंभीर खतरा हैं।

मीजोट्रोपिस पेलिटा:

- आमतौर पर 'पटवा' कहा जाता है, यह एक बारहमासी झाड़ी है, जो उत्तराखंड के लिए एक सीमित क्षेत्र (10 वर्ग किमी से कम) के साथ स्थानिक है।
- IUCN स्थिति- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- औषधीय मूल्य: पत्तियों से निकाले गए आवश्यक तेल में मजबूत एंटी-ऑक्सीडेंट होता है और यह दवा उद्योग में सिंथेटिक एंटीऑक्सिडेंट के लिए एक आशाजनक प्राकृतिक विकल्प है।

फ्रिटिलोरिया सिरोसा (हिमालयन फ्रिटिलरी):

- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील (vulnerable)
- यह एक बारहमासी बल्बनुमा जड़ी-बूटी है जिसने मूल्यांकन अवधि (22 से 26 वर्ष) के दौरान अपनी आबादी का कम से कम 30% घटा दिया है।
- **औषधीय मूल्य:** प्रजातियों का उपयोग ब्रोन्कियल विकारों और निमोनिया के उपचार के लिए किया जाता है। यह एक मजबूत खांसी दमनकारी है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कफ

निस्सारक दवाओं का एक स्रोत है।

डैक्टाइलोरिजा हतागिरिया (सलामपंजा):

- यह अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान के हिंदू कुश और हिमालय पर्वतमाला के लिए एक बारहमासी कंद प्रजाति है।
- **आईयूसीएन स्थिति:** संकटग्रस्त
- **औषधीय मूल्य:** पेचिश, जठरशोथ, पुराने बुखार, खांसी और पेट में दर्द को ठीक करने के लिए आयुर्वेद, सिद्धि, यूनानी तथा चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में प्रजातियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत सरकार ने लगभग 19744 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 2030 तक कम से कम पांच मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और लगभग 125 गीगावाट (GW) की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
- इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जबकि कुल निवेश लगभग 8 लाख करोड़ रुपये होगा।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य:

- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात अवसरों का सृजन।
- औद्योगिक, गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन।
- आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर कम निर्भरता।
- स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास।
- रोजगार के अवसरों का सृजन।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास।
- हरित हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात को सुगम बनाना।

साइलेंट वैली बर्ड सर्वे

चर्चा में क्यों: हाल ही में केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया जिसमें कुल 175 प्रजातियों की पहचान की गई। इनमें से 17 नई प्रजातियां दर्ज की गई। यह सर्वेक्षण साइलेंट वैली में पहले पक्षी सर्वेक्षण की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।

सर्वे के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- इस अवधि के दौरान पहचानी गई 17 नई प्रजातियों में ब्राउन वुड आउल, बैंडेड बे कुक्कू, मालाबार वुडश्रीके, व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर, इंडियन नाइटजर, जंगल नाइटजर और लार्ज कुक्कूश्रीक शामिल हैं।
- देखे गए पक्षियों में नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरि फ्लावरपेकर, ब्राउन चीक्ड फुलवेट्टा, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाईकैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाईकैचर, ग्रीनिश वार्बलर, कॉमन शिफचौफ, टाइटलर लीफ वार्बलर, शाहीन फाल्कन, नीलगिरी वुड पिजन और मालाबार व्हिसलिंग थ्रश शामिल हैं।

साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में:

- केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 89.52 वर्ग किमी (34.56 वर्ग मील) का एक संरक्षित क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। इसे 1984 के वर्ष में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।

वानिकी रिपोर्ट में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना

चर्चा में क्यों- एफएओ ने यह रिपोर्ट प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, रणनीतियों और प्रथाओं में जैव विविधता के विचारों को शामिल करने के उद्देश्य से जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशः

- स्वदेशी लोगों के योगदान को पहचानना और लाभों के समान बंटवारे को बढ़ाना।
- प्राकृतिक वनों को वन वृक्षारोपण में बदलना।
- पौधों और वन्य जीवों की अत्यधिक कटाई को नियंत्रित करना।
- जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना।
- खेती के प्राकृतिक तरीकों को अपनाने के कारण घटे हुए उत्पादन के लिए मुआवजा प्रदान करना, उदा-जैविक खेती।
- जैव विविधता संरक्षण के लिए सीएसआर प्रतिबद्धताओं का उपयोग करना।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट

चर्चा में क्यों- गृहमंत्री अमित शाह ने तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया, जो दिल्ली नगर निगम के कचरे से बिजली पैदा करता है।

प्लांट के बारे में:

- राजधानी को 'कचरा मुक्त' बनाने के प्रयास में यह संयंत्र प्रति दिन 2000 मीट्रिक टन से अधिक कचरा निपटाने में मदद करेगा जिससे 25 मेगावाट तक हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगा।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्री को रीसायकल करने तथा मूल्य के संसाधनों को निकालने के लिए कचरे के उपचार के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।

महासागरीय अम्लता

चर्चा में क्यों- शोधकर्ताओं की एक टीम ने आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अम्लता के स्तर में अन्य जगहों की तुलना में तीन से चार गुना तेजी से अम्लता के स्तर की खोज के बाद बदलते रसायन विज्ञान को चिह्नित किया है। टीम ने बर्फ के पिघलने की त्वरित दर और समुद्र के अम्लीकरण की दर के बीच एक मजबूत संबंध की भी पहचान की। समुद्री जल सामान्य रूप से क्षारीय होता है, जिसका पीएच

मान लगभग 8.1 होता है।

एसिडिटी का कारण:

- सबसे पहले, समुद्री बर्फ के नीचे का पानी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी, अब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में है जिसे मुक्त रूप से ग्रहण कर सकता है, इस प्रकार अम्लीय हो जाता है।
- दूसरा, पिघले पानी के साथ मिश्रित समुद्री जल हल्का होता है और गहरे पानी में आसानी से नहीं मिल सकता है, जिसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड सतह पर केंद्रित है।
- पिघला हुआ पानी समुद्री जल में कार्बोनेट आयन सांद्रता को पतला करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में बेअसर करने की क्षमता को कमजोर करता है और समुद्र के पीएच को तेजी से कम करता है।

एमिशन गैप रिपोर्ट-2022

चर्चा में क्यों- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की। इसने 2022 में इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण जारी किया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों द्वारा किए गए वर्तमान वादे सदी के अंत तक दुनिया को 2.4-2.6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे।
- 2020 में शीर्ष सात उत्सर्जकों (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का वैश्विक GHG उत्सर्जन में 55 प्रतिशत योगदान रहा।
- सामूहिक रूप से, G-20 सदस्य वैश्विक GHG उत्सर्जन के 75 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।
- **प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन का वैश्विक औसत:** अमेरिका के बाद रूस, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ का स्थान है। भारत विश्व औसत से काफी नीचे है।

कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी)

चर्चा में क्यों- पंजाब के संगरूर जिले में एक निजी कंपनी का पहला जैव-ऊर्जा संयंत्र धान के भूसे से कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) का उद्घाटन किया गया जो कृषि अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करेगा।

कंप्रेस्ड बायो गैस के बारे में:

- कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) प्राकृतिक रूप से बायोमास स्रोतों जैसे फसल अवशेष, मवेशियों के गोबर, गन्ने की मिट्टी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपशिष्ट आदि के अवायवीय अपघटन (ऑक्सीजन के बिना) की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह भविष्य में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का स्थान ले सकती है।

ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र

चर्चा में क्यों-लक्षद्वीप में दो और भारतीय समुद्र तटों (मिनिकॉय थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट) को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र के बारे में:

- ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा 33 कड़े मानदंडों के आधार पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल है।
- एफईई के अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) के सदस्यों वाले एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रमाणन प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी।

स्लाथ बियर

चर्चा में क्यों- 12 अक्टूबर को पहला विश्व स्लाथ बियर दिवस मनाया गया।

स्लाथ बियर के बारे में:

यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। इनकी लगभग 90% आबादी श्रीलंका और नेपाल में छोटी संख्या के साथ भारत (लगभग पूरे भारत) में केंद्रित है। वे सर्वाहारी हैं।

- आईयूसीएन स्थिति - संवेदनशील
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूची-I
- साइट्स - परिशिष्ट-I

अन्य स्लाथ बियर के बारे में:

- **एशियाई काला भालू-** ये हिमालय क्षेत्र में जाते हैं। वे आईयूसीएन में संवेदनशील हैं।
- **हिमालयी भूरा भालू-** वे IUCN में संकटग्रस्त हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि में पाया जाता है।
- **सन बियर-** सन बियर एक बहुत ही दुर्लभ और मायावी जानवर है जो केवल उत्तर-पूर्व भारत में पाए जाते हैं। वे आईयूसीएन में संवेदनशील हैं।

भारत में गिद्ध

चर्चा में क्यों- तमिलनाडु ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को बचाने के लिए मिशन शुरू किया। गिद्धों के लिए केंद्र की राष्ट्रीय संरक्षण योजना 2020-25 पर कार्यवाही करते हुए तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के प्रभावी संरक्षण के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया।

गिद्धों के बारे में:

- वर्तमान में, भारत में नौ गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी) हैं, जिनमें से तीन सीधे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) द्वारा प्रशासित हैं।
- भारत में, गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से चार IUCN की गंभीर रूप से संकटग्रस्त (सफेद पीठ वाली, पतली चोंच वाली, लंबी चोंच वाली, और लाल सिर वाली गिद्ध) सूची में हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

चर्चा में क्यों- हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पकिस्तान में प्रवासन शुरू हुआ है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में:

- यह भारत के आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में पाया जाता है।
- यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है।

संरक्षण:

- CITES परिशिष्ट-I
- अनुसूची-1 (वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2002)

बस्टर्ड के लिए संरक्षित क्षेत्र:

- डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य - राजस्थान
- रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य - आंध्र प्रदेश
- करेरा वन्यजीव अभयारण्य- मध्य प्रदेश

गंगा डॉल्फिन

चर्चा में क्यों- नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से पानी की गुणवत्ता में सुधार के साथ डॉल्फिन, गंगा नदी में वापस आने लगी हैं।

गंगा डॉल्फिन के बारे में:

- डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है, लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के परिशिष्ट-I में, CMS में परिशिष्ट II में व IUCN में विलुप्त प्रजाति के रूप में है
- गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं। ये नेत्रहीन हैं जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपने शिकार को एक अनोखे तरीके से पकड़ती हैं।
- वे केंद्र प्रायोजित योजना, वन्यजीव आवास के विकास के तहत पहचानी गई 22 प्रजातियों में से एक हैं।

वितरण:

- असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।

प्राकृतिक वास:

- वे नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना तथा कर्णफुली-सांगु नदी प्रणालियों में रहती हैं।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022

चर्चा में क्यों- सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022 को अधिसूचित किया है। अप्रैल 2023 से लागू होंगे। ये नियम ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए एक नया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू करेंगे।

नए नियमों की विशेषताएं:

- नियम प्रत्येक निर्माता, नवीनीकरणकर्ता, भंजक और पुनर्चक्रणकर्ता पर लागू होंगे।
- सभी निर्माता, रिफर्बिशर और रिसाइकलर को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- अनुसूची-I का विस्तार किया गया जो अब 106 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) को ईपीआर व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है।
- नए नियमों में जोड़े गए सौर पीवी मॉड्यूल/पैनल/सेल का प्रबंधन भी ईपीआर के तहत किया गया है।
- ईपीआर प्रमाणपत्र के सृजन और लेन-देन का प्रावधान शुरू किया गया है।
- पर्यावरण मुआवजा, सत्यापन और लेखापरीक्षा के प्रावधान शुरू किए गए हैं।

कॉप-27

चर्चा में क्यों- लॉस एंड डैमेज फंड और शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना को शर्म अल-शेख, मिस्र में UNFCCC COP-27 समापन समारोह के दौरान अपनाया गया था।

COP-27 का निष्कर्ष:

- **शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना:** इसने इस बात पर जोर दिया कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था को वैश्विक परिवर्तन के लिए वार्षिक खर्च में कम से कम $4-6 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी।
- **शमन कार्य कार्यक्रम:** यह 2022 से 2030 तक चलेगा। सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे 2023 के अंत तक अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में 2030 के लक्ष्यों को फिर से देखें और मजबूत करें। कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से कम करने करने और अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध करने के प्रयासों में तेजी लाने व नवीकरणीय तथा कम उत्सर्जन ऊर्जा में वृद्धि का आवाहन किया गया है।
- **लॉस एंड डैमेज फंड:** COP-27 ने विशेष रूप से कमजोर विकासशील देशों के लिए आवश्यक सहायता को स्वीकार करने के लिए एक फंड की मूल मांग को अपनाया। हालाँकि, अभी तक इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि वित्त कैसे प्रदान किया जाना चाहिए और यह कहाँ से आना चाहिए?
- **पेरिस समझौता पर सहमत:** CMA (वे देश जिन्होंने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि की है) ने भी पेरिस समझौते के अनुच्छेद-6 को अपनाया है, जो देशों को अपने NDCs में निर्धारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है।

हरित आयकर पहल

चर्चा में क्यों- आयकर विभाग ने हरित आयकर (आयकर द्वारा हरियाली उपलब्धि संकल्प) पहल शुरू की है।

पहल के बार में:

इस पहल के तहत, आयकर विभाग की इमारतों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में, उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित क्षेत्र को बढ़ाने का संकल्प लेता है।

सेना स्पेक्टेबिलिस

चर्चा में क्यों- सेना स्पेक्टाबेलिस, एक विदेशी पेड़ जिसने पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है जिससे नीलगिरी क्षेत्र में मुदमुलाई टाइगर रिजर्व में स्थानीय जैव विविधता प्रभावित हुई है।

सेना स्पेक्टेबिलिस के बारे में:

- दक्षिण और मध्य अमेरिका में इसकी मूल प्रजातियाँ हैं।
- इसे एक सजावटी प्रजाति के रूप में दक्षिण और मध्य अमेरिका से जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग के लिए लाया गया था।
- अब, यह भारत में एक आक्रामक प्रजाति बन गई है।
- एक आक्रामक प्रजाति एक ऐसा जीव है जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए स्वदेशी या मूल निवासी नहीं है। आक्रामक प्रजातियां नए क्षेत्र को भारी आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा सकती हैं।

बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों- 3 नवंबर 2022 को पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया।

बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में:

- बायोस्फीयर रिजर्व (बीआर) स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिक तंत्र या उसके संयोजन के बड़े क्षेत्र में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है।
- बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व नेटवर्क (डब्लूएनबीआर) 1971 में जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के रूप में बनाया गया था।
- तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे यूनेस्को ने 2000 में नामित किया था।
- भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं जिनमें से 12 को यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है।
    1. कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश
    2. नंदा देवी, उत्तराखंड
    3. कंचनजंगा, सिक्किम
    4. देहंग-देबांग, अरुणाचल प्रदेश
    5. मानस, असम
    6. डिब्रू-सैखोवा, असम
    7. नोकरेक, मेघालय
    8. पन्ना, मध्य प्रदेश
    9. पचमढ़ी, मध्य प्रदेश
    10. अचानकमार-अमरकंटक, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़
    11. कच्छ, गुजरात
    12. सिमिलिपाल, ओडिशा
    13. सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
    14. शेषचलम, आंध्र प्रदेश
    15. अगस्त्यमाला, तमिलनाडु-केरल
    16. नीलगिरी, कर्नाटक-तमिलनाडु-केरल
    17. मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु
    18. ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप

पनामाराम हेरोनरी

चर्चा में क्यों- पनामाराम हेरोनरी को पुनरविकसित किया जा रहा है।

पनामाराम हेरोनरी के बारे में:

- हेरोनरी बगुले का प्रजनन स्थल होता है।
- पनामाराम हेरोनरी जल पक्षियों की 9 प्रजातियों के प्रजनन के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थल है-ब्लैक हेडेड-आइबिस, पर्पल हेरोन, लार्ज एग्रेट, मीडियन एग्रेट, लिटिल एग्रेट, पॉन्ड हेरॉन, नाइट हेरॉन और लिटिल कॉर्मोरेंट।
- पनामारम नदी (वायनाड जिला, केरल) पर एक रेत के किनारे पर बनी हेरोनरी वनस्पति, मुख्य रूप से बांस के पेड़ों से ढकी हुई है। पनामारम नदी काबानी नदी की एक सहायक नदी है।

एडॉप्शन गैप रिपोर्ट- 2022

चर्चा में क्यों- यूएनईपी ने एडॉप्शन गैप रिपोर्ट- 2022 प्रकाशित की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक अनुकूलन योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के प्रयास दुनिया को जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के लिए तैयार करने के लिए अपर्याप्त हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के 197 दलों में से एक तिहाई ने अनुकूलन के लिए निर्धारित और समयबद्ध लक्ष्यों को शामिल किया है।

भारत का नेट जीरो प्लान

चर्चा में क्यों- भारत ने शर्म अलशेख, मिस्र में चल रहे सीओपी27 में कम उत्सर्जन मार्ग में संक्रमण के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति की घोषणा की। एलटी-एलईडीएस (लॉन्ग टर्म-लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी) 2015 के पेरिस समझौते की एक आवश्यकता है, जिसके तहत देशों को यह बताना होगा कि वे निकट-अवधि के एनडीसी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे जो 2050 के आसपास शुद्ध शून्य प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा।

भारत की एलटी-एलईडी:

- उम्मीद है कि भारत अगले दशक में अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तीन गुना कर देगा, साथ ही हरित हाइड्रोजन बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन जाएगा।
- भारत बेहतर प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, विद्युतीकरण में वृद्धि, भौतिक दक्षता और पुनर्चक्रण को बढ़ाने तथा उत्सर्जन को कम करने के तरीकों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- ये कदम 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य या कार्बन तटस्थ होने के अनुरूप हैं जो पिछले साल COP-26 के साथ (ग्लासगो) में भारत के पीएम द्वारा की गई प्रतिबद्धता।

जल अनुकूलन और लचीलापन कार्य योजना

चर्चा में क्यों- 27वें COP के समय जल अनुकूलन और लचीलापन कार्य योजना शुरू की गई, जिसे पहले जल अनुकूलन या लचीलापन (AWARe) पर कार्यवाही के रूप में जाना जाता था।

जल अनुकूलन और लचीलापन कार्य योजना के बारे में:

- इसमे वैश्विक जल सूचना सेवाएं हैं जैसे सटीक हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो प्रति क्षेत्र पानी की कमी और उपलब्धता को समझने में

मदद करता है, पानी और जलवायु स्टॉक टेक और क्रायोस्फीयर सूचना तंत्र आदि।

- यह अफ्रीकी संघ (AU), जल और जलवायु गठबंधन के नेताओं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और अफ्रीकी मंत्रियों की जल परिषद (AMCOW) के बीच सहयोग का परिणाम है।
- इसमें पहली प्राथमिकता वाला क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका है।

ईडीएनए

चर्चा में क्यों- ईडीएनए के माध्यम से कैटफिश की उपस्थिति का पता लगाया जाएगा।

ईडीएनए के बारे में:

ईडीएनए को जैविक स्रोत सामग्री के किसी भी स्पष्ट संकेत के बिना पर्यावरणीय नमूनों (मिट्टी, तलछट, पानी, आदि) से सीधे प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है।

सीआईटीईएस का परिशिष्ट-I

चर्चा में क्यों- संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए, दो भारतीय कछुओं की प्रजातियों रेड-क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल और लीथ सॉफ्ट-शेल टर्टल ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की सूची 1 में जगह बनाई है।

- यह निर्णय पनामा सिटी में चल रहे 19वें कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP-19) में लिया गया।
- प्रजातियों को परिशिष्ट-II से परिशिष्ट-I में स्थानांतरित किया गया, जिसका अर्थ है कि प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।
- इन कछुओं और अन्य प्रजातियों के लिए प्रमुख खतरे प्रदूषण, अनियंत्रित शहरीकरण, जल निकासी और सिंचाई आदि के कारण आवास के नुकसान में वृद्धि है।

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (मैक)

चर्चा में क्यों- इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नेतृत्व में, कॉप-27 शिखर सम्मेलन में मैंग्रोव वनों के संरक्षण और बहाली में मैक को तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया था।

मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट के बारे में:

- मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) एक अंतर-सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं।
- गठबंधन जलवायु परिवर्तन के प्रकृति-आधारित समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। यह दुनिया भर में मैंग्रोव वनों के पुनर्वास की गारंटी देता है।
- मैंग्रोव वन, जिन्हें मैंग्रोव दलदल, मैंग्रोव झाड़ियों या मंगल भी कहा जाता है, उत्पादक आर्द्रभूमि हैं जो तटीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में उगते हैं क्योंकि मैंग्रोव पेड़ ठंड के तापमान का सामना नहीं कर सकते।
- भारत में मैंग्रोव कवर कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग 0.15% है।
- (पश्चिम बंगाल>गुजरात>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) भारत के सबसे बड़ा मैंग्रोव राज्य है।

- भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) है जिसके बाद भितरकनिका (ओडिशा) है।

अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन (आईडीआरए)

चर्चा में क्यों- अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन (आईडीआरए) को यूएनएफसीसी के 27वें सम्मेलन (सीओपी27) के दौरान लॉन्च किया गया था।

आईडीआरए के बारे में:

- स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए IDRA लॉन्च किया। एलायंस में 30 देश और 20 संगठन हैं। यह सूखे से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाना चाहता है।
- आईडीआरए की घोषणा सबसे पहले स्पेन ने सितंबर, 2022 में यूएनजीए के 77वें सत्र में की थी। यह समूहन सूखे के लचीलेपन को राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकता देगा। यह सूखे से संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करेगा। यह अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और क्षेत्रीय पहलों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ सहयोग करेगा।
- IRDA की स्थापना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि UNCCD के अलावा अन्य भूमि के लिए कोई सम्मेलन नहीं है, जो मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण पर केंद्रित है। यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र को सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट समाधान प्रदान करता है।

मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम

चर्चा में क्यों- मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम (MARS) को COP-27 में शर्म अल-शेख, मिस्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में लॉन्च किया गया था।

मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम के बारे में:

- मार्स, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा है।
- यह डेटा-टू-एक्शन प्लेटफॉर्म है जिसे यूएनईपी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी (आईएमईओ) रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है ताकि उत्सर्जन कम करने के लिए नीति-प्रासंगिक डेटा सही हाथों में प्राप्त किया जा सके।
- मीथेन उत्सर्जन को कम करने हेतु कार्यवाही को उत्प्रेरित करने के लिए वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा शुरू की गई थी। इसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किया था। हालांकि, भारत इसका हिस्सा नहीं है।
- मीथेन CO_2 की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली जीएचजी है और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए मीथेन की कमी जरूरी है।

वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन (GOWA)

चर्चा में क्यों- जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए नौ नए देश ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस (जीओडब्ल्यूए) में शामिल हो गए हैं, जो अपतटीय पवन के तेजी से रैंप-अप का संकल्प लेते हैं।

वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) डेनमार्क और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा शुरू किया गया गठबंधन है जो अपतटीय पवन ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाएगा।

विश्व मृदा दिवस

चर्चा में क्यों- 5 दिसम्बर 2022 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसमें अधिक लचीली कृषि भूमि प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पर्यावरण अनुकूलित कृषि प्रणालियां:

- **पुनर्योजी कृषि:** यह खाद्य और कृषि प्रणालियों के लिए एक संरक्षण और पुनर्वास दृष्टिकोण है। यह टॉपसॉइल पुनर्जनन, जैव विविधता में वृद्धि और जल चक्र में सुधार पर केंद्रित है।
- **प्रतिवर्ती कृषि (जैविक या प्राकृतिक खेती):** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक कम लागत वाला दृष्टिकोण। जैविक खेती रसायनों का उपयोग नहीं करती है, लेकिन यह कार्बनिक पदार्थ सामग्री, सूक्ष्मजीव आबादी और मैक्रो-पोषक तत्वों दोनों की पौधों की उपलब्धता में वृद्धि करती है।

रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट-2022

चर्चा में क्यों- हाल ही में रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट को IUCN द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट में रेस्टोरेशन बैरोमीटर उपकरणों के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।

रेस्टोरेशन बैरोमीटर उपकरणों के बारे में:

- यह वर्तमान में सरकारों द्वारा बहाली लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र उपकरण है। इसको पहली बार 2016 में बॉन चैलेंज बैरोमीटर के रूप में लॉन्च किया गया था।
- पारिस्थितिक बहाली का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को पुरानी स्थित में बहाल करना है।
- बॉन चैलेंज 2020 तक दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि की अवक्रमित और वनों की कटाई को बहाल करने का एक वैश्विक प्रयास है।
- रिस्टोरेशन बैरोमीटर को ब्राजील, रवांडा, अल सल्वाडोर, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित-वन परिदृश्य में प्रायोगिक तौर पर चलाया गया था।

नमामि गंगे कार्यक्रम

चर्चा में क्यों- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (कॉप-15) में जारी एक रिपोर्ट में नमामि गंगे कार्यक्रम को उन 10 'बड़ी महत्त्वपूर्ण' पहलों में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना है।

'नमामि गंगे' परियोजना के बारे में:

- भारत सरकार द्वारा 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

विश्व बहाली फ्लैगशिप के बारे में:

- विश्व बहाली फ्लैगशिप का उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करना है। प्रविष्टियों का चयन यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन (यूएनईपी और एफएओ द्वारा समन्वित) के तहत किया जाता है।

ओरण भूमि

चर्चा में क्यों- राजस्थान के जैसलमेर के लगभग 40 गाँवों के निवासी 225 किलोमीटर पैदल चलकर ओरण नामक समुदाय-संरक्षित पवित्र स्थानों की रक्षा कर रहे हैं।

ओरण भूमि के बारे में:

- ओरान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतिम प्राकृतिक आवासों में से हैं।
- यह भूमि का खुला खंड, जो लंबे समय तक धूप और तेज हवाएँ प्राप्त करता है, हरित ऊर्जा का एक केंद्र बन गया है।

माइक्रो प्लास्टिक

चर्चा में क्यों- नए अध्ययन के अनुसार, हर सांस के साथ मनुष्य पर्याप्त मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स को अंदर ले रहे हैं जो अंततः रक्त में प्रवाहित होते हैं और अंगों में जमा हो जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम होती है।

माइक्रोप्लास्टिक्स का मुकाबला करने के लिए पहल:

- समुद्री कूड़े और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नीतियां विकसित करने हेतु समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक भागीदारी।
- शिपिंग और मत्स्य पालन से समुद्री प्लास्टिक कूड़े को रोकने के लिए IMO और FAO द्वारा GloLitter Partnerships Project

शुरू किया गया था।

ग्रीन वाल

चर्चा में क्यों- पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (WBPCB) ने प्रदूषकों को राज्य में कम करने के लिए 800 किमी बायो-शील्ड मेगा प्लांटेशन की एक दीवार को अपने पश्चिमी किनारे पर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

ग्रीन वाल्स के बारे में:

- ग्रीन वाल्स पेड़ों द्वारा बनाया एक प्राकृतिक शील्ड होता है जो प्रकृति का संरक्षण करता है। यह मृदा के कटान को रोकता है व प्रदूषण को कम करता है।
- डब्ल्यूबीपीसीबी का कहना है कि दूसरे राज्यों का प्रदूषण पश्चिम बंगाल के प्रदूषण भार के करीब आधे के लिए जिम्मेदार है।

व्रेन बैबलर्स की नयी प्रजाति

चर्चा में क्यों- व्रेन बैबलर्स की नयी प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई।

नई प्रजाति के बारे में:

अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली सॉन्गबर्ड व्रेन बैबलर्स की नई प्रजाति का नाम लिसु व्रेन बब्बलर (राज्य के लिसु समुदाय के नाम पर) रखा गया है। यह बैबलर परिवार का एक छोटा एशियाई पक्षी है जो मुख्यत: दक्षिण एशिया में पाया जाता है।

नीलगिरि तहर परियोजना

चर्चा में क्यों- तमिलनाडु के राजकीय पशु के संरक्षण के लिए भारत की पहली नीलगिरि तहर परियोजना शुरू की जाएगी। नीलगिरि तहर परियोजना का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ विकसित करना है।

परियोजना के घटक:

- इस परियोजना में नौ घटक होंगे, जिसमें संभाग भर में द्वि-वार्षिक समकालिक सर्वेक्षण, प्रभावित व्यक्तियों के लिए निदान व उपचार और ऊपरी भवानी में एक शोला चरागाह बहाली पायलट शामिल है।

नीलगिरी तहर के बारे में:

- यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है और दक्षिणी भारत के उष्णकटिबंधीय पहाड़ों में पाई जाने वाली एकमात्र Caprinae प्रजाति है। यह जानवर समुद्र तल से 300 मीटर और 2,600 मीटर की ऊँचाई पर खड़ी चट्टानों के साथ घास के मैदान में रहता है। IUCN-लुप्तप्राय, भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972-अनुसूची-I

चर्चा में रही प्रजातियां

वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग:

- आईयूसीएन स्थिति: संकटग्रस्त
- यह केवल कर्नाटक के पश्चिमी घाट (स्थानिक) में पाया जाता है।
- खतरा: सुपारी और कॉफी बागान, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां।

अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क:

- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील
- केवल अंडमान सागर में पाया जाता है जो भारत के लिए स्थानिक हैं।
- खतरा: अत्यधिक मछली पकड़ना।

येलो हिमालयन फ्रिटिलरी पौधा:

- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील
- यह लिली परिवार में ज्यादातर वसंत फूल वाले पौधों का एक बड़ा समूह है और ज्यादातर हिमालय में होता है।
- खतरा: इसकी कटाई की जाती है और एक नए व्यापार नाम जंगली लेहसुन के भेष में इसका व्यापार किया जाता है।

अबालोन शेलफिश:

- विलुप्त होने के कगार पर।
- आईयूसीएन स्थिति: लुप्तप्राय श्रेणी
- खतरा: कृषि और औद्योगिक अपवाह के कारण शैवाल प्रस्फुटन, नाव पेंट आदि इसके पतन का कारण बनते हैं।

डुगोंग:

- समुद्री जानवर
- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील
- खतरा: मछली पकड़ने के गियर में फंसने से शिकार, रासायनिक प्रदूषण, तेल और गैस की खोज, उत्पादन, तली में मछली पकड़ने तथा अनधिकृत तटीय विकास के कारण उनके भोजन (समुद्री घास) का विनाश।

पिलर कोरल:

- आईयूसीएन स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- युकाटन प्रायद्वीप और फ्लोरिडा से त्रिनिदाद और टोबैगो तक पूरे कैरेबियन में पाया जाता है।
- खतरा: संक्रामक स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज जो प्रति दिन 90 से 100 मीटर रीफ के बीच कहीं भी प्रभावित कर सकती है।

अमेरिकन ब्ललुम्लबी (American bumblebee):

- एक मधुमक्खी प्रजाति।
- पूर्वी कनाडा में, पूरे पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में और मेक्सिको के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है।
- आईयूसीएन स्थिति: संकटग्रस्त
- खतरा: कीटनाशक, विकास और जलवायु परिवर्तन इस मधुमक्खी को जहरीला बना रहे हैं और इसके आवास को नष्ट कर रहे हैं।

लाल सैंडर्स:

- भारतीय देशी प्रजातियां पूर्वी घाट में प्रतिबंधित हैं।
- आईयूसीएन स्थिति: संकटग्रस्त
- खतरा: तस्करी, जंगल की आग, मवेशी चराई और अन्य मानवजनित खतरों के लिए अवैध कटाई।

विशालकाय लेदरबैक कछुए:

- यह सभी जीवित कछुओं में सबसे बड़ा और सबसे भारी गैर-मगरमच्छ सरीसृप है।
- वे आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाए जाते हैं।
- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

हिम तेंदुआ (Snow leopard):

- हिमालय के विभिन्न भागों जैसे-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में पाया जाता है।
- आईयूसीएन स्थिति: संवेदनशील
- साइट्स: परिशिष्ट-I
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

लेसर फ्लोरिकन:

- यह भारत में पाई जाने वाली तीन बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, जबकि दो अन्य बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं।
- आईयूसीएन स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- भारत में यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रजनन के लिए जाना जाता है।

घड़ियाल:

- भारत के उत्तरी भाग के ताजे पानी में मिलता है, ज्यादातर चंबल नदी में।
- आईयूसीएन स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- खतरा: नदी प्रदूषण में वृद्धि, बांध निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का संचालन और बाढ़।
- घड़ियाल की बढ़ती आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक है।

इरावदी डॉल्फिन:

- इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों के तीन नदियों में पाई जाती हैं: इरावदी (म्यांमार), महकम (इंडोनेशियाई बोर्नियो) और मेकांग (चीन)।
- वे IUCN की लाल सूची के अनुसार संकटग्रस्त हैं।
- चिल्का में डॉल्फिन वितरण का सबसे अधिक एकल लैगून आबादी माना जाता है।

पंगोलिन:

- यह शुष्क क्षेत्र, उच्च हिमालय और उत्तर-पूर्व को छोड़कर भारत में व्यापक रूप से वितरित है।
- पैंगोलिन पपड़ीदार एंटी-ईटर स्तनधारी हैं।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- आईयूसीएन लाल सूची: संकटग्रस्त
- साइट्स: परिशिष्ट-I
- खतरा: स्थानीय उपभोग्य उपयोग के लिए शिकार और अवैध शिकार (जैसे प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य खतरा हैं।

ग्रेट हॉर्नबिल:

- यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- आईयूसीएन स्थिति: असुरक्षित
- हॉर्नबिल जंगल के स्वास्थ्य के संकेतक हैं।
- साइट्स: परिशिष्ट-I
- खतरे: लॉगिंग, कृषि के लिए वन मंजूरी, शिकार।

स्लेंडर लोरिस:

- स्लेंडर लोरिस भारत और श्रीलंका में पाया जाता।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्ल्यूपीए), 1972 की अनुसूची-I
- आईयूसीएन स्थिति: संकटग्रस्त
- खतरा: निवास स्थान का नुकसान और शिकार।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB):

- ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है।
- आईयूसीएन स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्ल्यूपीए), 1972 की अनुसूची I
- साइट्स: परिशिष्ट-I
- खतरा: ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन।

पर्यावरणीय संगठन

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी):

- इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन) के परिणामस्वरूप 5 जून, 1972 को हुई थी
- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या) में।
- यूएनईपी पर्यावरण संबंधी विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन में भी सक्रिय रहा है। यह संभावित हानिकारक रसायनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सीमा पार वायु प्रदूषण और जलमार्गों के संदूषण जैसे मुद्दों पर काम करता है। भारत इस संगठन का सदस्य है।
- यूएनईपी कार्य को सात व्यापक विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है:
  1. जलवायु परिवर्तन।
  2. आपदाएं और संघर्ष।
  3. पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन।
  4. पर्यावरण शासन।
  5. रसायन और अपशिष्ट।
  6. संसाधन दक्षता।
  7. पर्यावरण की समीक्षा की जा रही है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ):

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) 193 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है। यह 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित किया गया था, WMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
- मुख्यालय: वियना
- यह मौसम विज्ञान और परिचालन जल विज्ञान के विकास और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- भारत इसका एक सदस्य है।

विश्व प्रकृति संगठन:

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- 2010 में गठित तथा 2014 में स्थापित हुआ था।
- यह संगठन गतिविधियों, प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है।

- मुख्यालय: जिनेवा
- भारत सदस्य नहीं है।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर:

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।
- 1961 में स्थापित।
- मुख्यालय: ग्लैंड (स्विट्जरलैंड) में
- उद्देश्य:
    1. दुनिया की जैविक विविधता का संरक्षण।
    2. यह सुनिश्चित करना कि अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग टिकाऊ है।
    3. प्रदूषण और फिजूलखर्ची को कम करने को बढ़ावा देना।
- रिपोर्ट और कार्यक्रम:
    1. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट
    2. एर्थ हावर

वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच (यूएनएफएफ):

- संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की सहायक संस्था के रूप में अक्टूबर 2000 में स्थापित।
- वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना।
- फोरम के पास सार्वभौमिक सदस्यता है जो स्थायी वन प्रबंधन के माध्यम से दुनिया भर में वन आवरण के नुकसान को कम करने पर काम करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और विशेष एजेंसियों से बना है।
- मुख्य उद्देश्य वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- रियो घोषणा के आधार पर सतत विकास के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर ध्यान देना।

प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन):

- फॉनटेनब्लियू (फ्रांस) में 1948 में स्थापित।
- मुख्यालय: ग्लैंड (स्विट्जरलैंड)
- यह IUCN रेड लिस्ट प्रकाशित करता है जो दुनिया भर में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करता है। डेटा एकत्र व विश्लेषण करने, अनुसंधान, क्षेत्रीय परियोजनाओं की वकालत, पैरवी और शिक्षा में शामिल है।
- IUCN को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक और सलाहकार का दर्जा प्राप्त है।
- सरकारें और गैर सरकारी संगठन दोनों इसके सदस्य हैं।
- IUCN के फोकस क्षेत्र:
    1. संरक्षण पारिस्थितिकी।
    2. लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और टिकाऊ व्यवसाय से संबंधित मुद्दे।

ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ):

- 1994 में स्थापित, ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- जीटीएफ की आम सभा हर तीन साल बाद मिलती है।
- यह सहकारी नीतियों, सामान्य दृष्टिकोण, तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक मॉड्यूल और अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों का उपयोग करता है।
- ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना बाघ, उसके शिकार और उसके आवास को बचाने के लिए एक विश्वव्यापी अभियान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- ग्लोबल टाइगर फोरम की जैव विविधता संरक्षण के लिए शामिल देशों में एक कानूनी ढांचे को बढ़ावा देने और बाघों के आवासों के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को बढ़ाने तथा रेंज देशों में उनके अंत: मार्ग को सुविधाजनक बनाने की योजना है।
- 13 बाघ रेंज देशों में से सात वर्तमान में जीटीएफ के सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, भारत, म्यांमार, नेपाल और वियतनाम

इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन:

- स्थापना: 1986
- इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन (आईटीटीओ) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो स्थायी रूप से प्रबंधित और कानूनी रूप से काटे गए उष्णकटिबंधीय जंगलों के साथ-साथ उष्णकटिबंधीय जंगलों के टिकाऊ प्रबंधन, संरक्षण से प्राप्त उष्णकटिबंधीय लकड़ी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और विविधीकरण की वकालत करता है।
- दुनिया के लगभग 80% उष्णकटिबंधीय वन और उष्णकटिबंधीय लकड़ी में दुनिया के 90% व्यापार का प्रतिनिधित्व इसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
- मुख्यालय: योकोहामा (जापान) में।
- भारत इस संगठन का सदस्य है।

एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया:

- 1962 में स्थापित।
- मुख्यालय: बल्लभगढ़ (हरियाणा) में।
- AWBI मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय है।
- कार्य: यह पशु कल्याण से संबंधित मामलों पर सरकारों को सलाह देता है तथा पशु कल्याण संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण:

- 1992 में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत सीजेडए एक सांविधिक निकाय है।
- उद्देश्य: वन्य जीवन के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरा करना, भारतीय चिड़ियाघरों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखना व भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों का आदान-प्रदान करना।
- प्राधिकरण में शामिल हैं- अध्यक्ष: पर्यावरण मंत्री तथा 10 सदस्य और एक सदस्य सचिव।

- कार्यान्वयन मंत्रालय: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारतीय वन सर्वेक्षण:

- 1981 में स्थापित।
- मुख्यालय: उत्तराखंड में देहरादून
- उद्देश्य: वन संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना।
- वन सर्वेक्षण रिपोर्ट: 1987 से FSI द्वारा द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) जारी की जाती है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण:

- 1890 में स्थापित
- मुख्यालय: कोलकाता
- बीएसआई देश का शीर्ष वर्गीकरण अनुसंधान संगठन है।
- शासनादेश: बायोसिस्टमेटिक्स अनुसंधान, फ्लोरिस्टिक अध्ययन, वनस्पतियों का प्रलेखन, हर्बेरियम नमूनों का डिजिटलीकरण और सलाहकार सेवाएं आदि।
- बीएसआई ने 'भारतीय पौधों की रेड डाटा बुक' प्रकाशित करता।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया:

- 1916 में स्थापित।
- मुख्यालय: कोलकाता
- उद्देश्य: जीवों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण:

- 2003 में स्थापित।
- मुख्यालय: चेन्नई
- एनबीए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इस अधिनियम को जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए थे।
- मैंडेट: जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए नियामक और सलाहकार कार्य करना।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:

- 2006 में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- डब्ल्यूसीसीबी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (डब्ल्यूपीए 2006, संशोधन) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- उद्देश्य: संगठित वन्यजीव अपराध का मुकाबला करना।
- अतिरिक्त महानिदेशक (वन्यजीव) डब्ल्यूसीसीबी के पदेन निदेशक होते हैं।
- WCCB भारत में SAWEN (दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क) के लिए नोडल बिंदु है।
- यह WPA, CITES और EXIM नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पतियों और जीवों की खेपों के निरीक्षण में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता तथा सलाह भी देता है।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण:

- जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2009 में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- शासनादेश: प्रदूषण में कमी और गंगा नदी का संरक्षण।
- NGRBA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
- सदस्यों में शामिल हैं: संबंधित केंद्रीय मंत्री, उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे होकर गंगा बहती है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड:

- MoEF&CC के तहत 2003 में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- इसने 'भारतीय वन्यजीव बोर्ड' का स्थान लिया, जिसका गठन 1952 में एक सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं।
- उद्देश्य: वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना।
- यह राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में परियोजनाओं को मंजूरी देता है। सभी वन्यजीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने की शक्ति होती है
- एनबीडब्ल्यूएल के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सीमाओं का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण:

- MoEF&CC के तहत 2006 में स्थापित।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- एनटीसीए डब्ल्यूपीए, 1972 (संशोधन अधिनियम, 2006) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- अध्यक्ष: पर्यावरण मंत्री।
- यह प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों को संबोधित करता है।

भारत में संरक्षित क्षेत्र

भारत में टाइगर रिजर्व:

- वर्तमान में, भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं।
- तमिलनाडु में 2021 में श्रीविल्लीपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई।
- उत्तर प्रदेश में 2022 में रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई।
- देश में लुप्तप्राय बाघों की प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।
- नागार्जुनसागर श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश) भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।
- मध्य प्रदेश में भारत का अधिकतम टाइगर रिजर्व है।
- ओरंग भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है।
- उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है।

भारत में परियोजना हाथी और हाथी रिजर्व:

परियोजना हाथी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था:

1. हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना।
2. मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना।
3. बंदी हाथियों का कल्याण।

- वर्तमान में, भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व मौजूद हैं।
- तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई ईआर और उत्तर प्रदेश में तराई ईआर की स्थापना 2022 में हुई।
- तमिलनाडु और असम दोनों राज्यों में पांच-पांच हाथी रिजर्व हैं।

भारत में रामसर स्थल:

- भारत 1971 में रामसर (ईरान) में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के अनुबंध पक्षों में से एक है। भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किया। 2022 के दौरान कुल 28 साइटों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है और भारत में कुल 75 है।
- तमिलनाडु में रामसर साइटों की संख्या 14 अधिकतम संख्या है। उसके बाद यूपी है जिसमें 10 रामसर साइट्स हैं।
- सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है।

भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल:

- विश्व विरासत स्थल एक ऐसा स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के लिए सूचीबद्ध है। प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत ही सूचीबद्ध किया जाता है।
- विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा रखी जाती है।
- भारत में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची-
  1. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया- हिमाचल प्रदेश
  2. पश्चिमी घाट-महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल
  3. नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान- उत्तराखंड
  4. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान- पश्चिम बंगाल
  5. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान- असम
  6. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान- राजस्थान
  7. मानस वन्यजीव अभयारण्य- असम

राष्ट्रीय उद्यान:

- एक क्षेत्र, चाहे एक अभयारण्य के भीतर हो या नहीं, राज्य सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। इसके पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, या प्राणी संघ या महत्त्व के उद्देश्य से, के प्रयोजन के लिए आवश्यक उसमें या उसके पर्यावरण की रक्षा और प्रचार या विकास करके के लिए महत्त्वपूर्ण है। WPA 1972 के तहत राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमति के अलावा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।
- भारत में 44,402.95 वर्ग किमी के क्षेत्र में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है।
- मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
- हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

वन्यजीव अभ्यारण्य:

- वन्यजीव या पर्यावरण की सुरक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार इसे एक अभयारण्य के रूप में गठित कर सकती है। यदि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणि संबंधी महत्त्व का है। WPA 1972 के तहत अभयारण्य के अंदर कुछ प्रतिबंधित मानवीय गतिविधियों की अनुमति है।
- भारत में 122,564.86 वर्ग किमी के क्षेत्र में 567 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है।
- अंडमान और निकोबार में भारत का सबसे अधिक अभयारण्य हैं।

संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व:

- भारत में संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व भारत के संरक्षित क्षेत्र है जो आमतौर पर स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यो, भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या कनेक्टर्स और माइग्रेशन कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं।
- ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है, यदि वे निर्जन हैं और पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में हैं लेकिन समुदायों द्वारा निर्वाह के लिए उपयोग किए जाते हैं, सामुदायिक रिजर्व तब होते हैं, यदि भूमि का हिस्सा निजी स्वामित्व में हो।
- इन संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियों को पहली बार 2002 के वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम-1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके पेश किया गया था।
- भूमि के निजी स्वामित्व और भूमि उपयोग के कारण मौजूदा या प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्रों में तथा उसके आस-पास कम सुरक्षा के कारण इन श्रेणियों को जोड़ा गया था।

पर्यावरण सम्मेलन और समझौते

कॉप'21 (COP21):

- यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) की 21वीं बैठक है।
- पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में सीओपी 21 में 196 दलों द्वारा अपनाया गया था और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

किगाली समझौता:

- यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल से ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) को समाप्त करने के लिए देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक पर्यावरण संधि है।
- इसे 2016 में अपनाया गया था।
- यह 2019 में लागू हुआ।

जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी):

- जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) तीन मुख्य लक्ष्यों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। जैव

विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित व न्यायसंगत बंटवारा।
- इसे 1992 में अपनाया गया था।
- यह 1993 में लागू हुआ।

बॉन कन्वेंशन:
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (जिसे CMS या बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है) का उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और एवियन प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षित करना है।
- इसे 1979 में अपनाया गया था।
- यह 1983 में लागू हुआ।
- भारत CMS का हस्ताक्षरकर्ता है। CMS COP-13 का आयोजन 2020 में गांधी नगर (गुजरात) में हुआ था। भारत 2023 तक बॉन कन्वेंशन का अध्यक्ष बना रहेगा।

रामसर कन्वेंशन:
- रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
- इसे 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था।
- यह 1975 में लागू हुआ।

स्टॉकहोम कन्वेंशन:
- स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) के प्रभाव से बचाना है।
- इसे जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में 2001 में अपनाया गया था।
- यह 2004 में लागू हुआ।

सीआईटीईएस:
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, खतरे में पड़ी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए सरकारों के बीच एक वैश्विक समझौता है।
- इसे 1963 में अपनाया गया था।
- यह 1975 में लागू हुआ।

वियना कन्वेंशन:
- यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन है।
- इसे 1985 में अपनाया गया था।
- यह 1988 में लागू हुआ।
- भारत, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन और ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्ष होने के नाते, ओजोन परत की सुरक्षा और ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने के लिए वैश्विक चिंता को साझा करता रहा है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:
- यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है।
- इसे 1987 में अपनाया गया था।
- यह 1989 में लागू हुआ।
- भारत जून, 1992 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए पार्टी के रूप में सफलतापूर्वक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है, जो प्रोटोकॉल के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर देता है।

क्योटो प्रोटोकोल:
- क्योटो प्रोटोकॉल सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लिए औद्योगिक देशों और अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिबद्ध करके जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का संचालन करता है।
- यह 2005 में लागू हुआ।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन:
- यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाले ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन और शमन प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है।
- इसे 1992 में अपनाया गया था।
- यह 1994 में लागू हुआ।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सचिवालय बॉन (जर्मनी) में स्थित है।

रियो शिखर सम्मेलन:
- यह 1992 में रियो डी जनेरियो (ब्राजील) में आयोजित किया गया था।
- 1992 के रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस शिखर सम्मेलन से निम्नलिखित दस्तावेजों का विकास हुआ:
    1. पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा।
    2. एजेंडा 21
    3. वन सिद्धांत

यूएनसीसीडी:
- मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD) एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है।
- इसे 1994 में अपनाया गया था।

बेसल कन्वेंशन:
- बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों तथा अन्य अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करता है और अपने पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि ऐसे अपशिष्टों का प्रबंधन और निपटान पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से किया जाये।
- कन्वेंशन में जहरीले, जहरीले, विस्फोटक, संक्षारक, ज्वलनशील, इकोटॉक्सिक और संक्रामक कचरे शामिल हैं।
- इसे 1989 में अपनाया गया था।

- यह 1992 में लागू हुआ।

कार्टाजेना प्रोटोकॉल:

- कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एक देश से दूसरे देश में रहने वाले संशोधित जीवों की आवाजाही का प्रबंधन करता है।
- इसका उद्देश्य ऐसी प्रक्रियाओं को स्थापित करके जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से प्रकृति की रक्षा करना है, जिनका उपयोग देश ऐसे जीवों के आयात पर सूचित निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं।
- इसे 2000 में अपनाया गया था।
- यह 2003 में लागू हुआ।

संयुक्त राष्ट्र रेड (UN REDD):

- यह वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है।
- इसे 2008 में बनाया गया था।
- UN-REDD कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण से वैश्विक उत्सर्जन को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए संसाधनों का आवश्यक प्रवाह उत्पन्न करना व राष्ट्रीय सतत विकास में योगदान करते हुए वनों में कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है।

नागोया प्रोटोकॉल:

- यह जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के लिए आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग (एबीएस) से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित व न्यायसंगत साझाकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है।
- इसे 2010 में अपनाया गया था।
- यह 2014 में लागू हुआ।

मीनामाता कन्वेंशन:

- मरकरी पर मिनामाटा कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को मरकरी के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है।
- इसे 2013 में अपनाया गया था।
- यह 2017 में लागू हुआ।

रॉटरडैम कन्वेंशन:

- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति (पीआईसी) प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है।
- इसे 1998 में अपनाया गया था।
- यह 2004 में लागू हुआ।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. लखनऊ अधिवेशन, 1916 कई मायनों में विशेष था। इस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2. इसने नरमपंथियों और चरमपंथियों के पुनर्मिलन को चिह्नित किया।
3. एनी बेसेंट लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्ष थीं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. इल्बर्ट बिल विवाद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने उठाया:
1. भारतीय सीमाओं, विशेषकर उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा चूक से सम्बन्धित मुद्दों को
2. भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच नस्लीय भेदभाव से सम्बन्धित मुद्दों को
3. स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन और सरकार द्वारा उनके राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित मुद्दों को

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

3. 1905 में बंगाल के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका आदेश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिया था।
2. स्वदेशी के कार्यक्रम को इसके विरोध में अपनाया गया था।
3. प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में, ''स्वदेशी'' शब्द ''बहिष्कार'' से कैसे भिन्न है?
1. स्वदेशी अनिवार्य रूप से आर्थिक आंदोलन था, जबकि बहिष्कार आर्थिक नहीं था।
2. स्वदेशी ने भारतीय समाज के निम्न वर्ग के लोगों को आकर्षित किया जबकि बहिष्कार ने उच्च वर्ग के लोगों को आकर्षित किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते ने सरकार के सामने निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक मांग/मांगे रखी?
1. मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल
2. इसने अंग्रेजों से स्वशासन की मांग की।
3. वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1915 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था।
2. मुहम्मद अली और शौकत अली, दो प्रमुख नेताओं ने खिलाफत समिति का बहिष्कार करने का फैसला किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. गदर पार्टी:
1. एक क्रांतिकारी संगठन थी
2. न्यूयार्क में स्थापित हुई थी
3. ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने का लक्ष्य रखती थी

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2
(b) 1 और 3
(c) केवल 3
(d) 2 और 3

8. मॉर्ले-मिंटो सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर-आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी।
2. इसने 'पृथक निर्वाचक मंडल' की अवधारणा को स्वीकार कर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली की शुरुआत की।
3. इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

9. गुप्त साम्राज्य में परमभट्टारक था/थी:
(a) शांति और संघर्ष की परिषद
(b) विदेश मामलों के मंत्री
(c) अन्न भंडार के प्रभारी
(d) गुप्त राजाओं द्वारा अपनाई गई उपाधि

10. चोल अभिलेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। उनमें से वेल्लनवगई एक भूमि थी जो/जिसे:
(a) एक स्कूल के रखरखाव के लिए दिया गया
(b) जैन संस्थानों को दान किया गया
(c) गैर-ब्राह्मण किसान मालिक से संबंधित
(d) परती खेती के लिए छोड़ी गयी भूमि

11. निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने देशी राज्यों के साथ अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया?
(a) जॉन शोर (b) कॉर्नवालिस
(c) वारेन हेस्टिंग्स (d) विलियम बेंटिंक

12. वारेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
2. उन्होंने बंगाल में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया।
3. उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

13. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित **नहीं** है?
(a) लॉर्ड वेलेजली - फोर्ट विलियम कॉलेज
(b) विलियम बेंटिक - कोल विद्रोह
(c) डलहौजी - वुड्स डिस्पैच
(d) मेटकॉफ - वेल्लोर विद्रोह

14. महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद हुई घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नेहरू की सलाह पर, गांधीजी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए, भारत भूमि और उसके लोगों को जानने के लिए एक वर्ष बिताया।
2. उनकी पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के उद्घाटन के समय हुई थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

15. गांधीजी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 आधारित थी:
(a) श्रमिकों को पिछले वर्ष के प्लेग बोनस के मुद्दे पर
(b) प्रबंधन द्वारा मिल श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार के मुद्दे पर
(c) स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिकों की भागीदारी पर प्रबंधन की आपत्ति के मुद्दे पर
(d) मिल श्रमिकों की बड़े पमाने पर छंटनी के मुद्दे पर

16. गांधी ने इनमें से किस आंदोलन को 'हिमालयी भूल' कहते हुए स्थगित कर दिया?
(a) असहयोग आंदोलन
(b) रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन
(c) भारत छोड़ो आंदोलन
(d) सविनय अवज्ञा आंदोलन

17. भारत के आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम का क्या महत्व है?
1. इसने महात्मा गांधी के अंतिम निवास के रूप में कार्य किया।
2. इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है।
3. इसी आश्रम से 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1 और 3

18. गांधीजी के शब्दों में:
1. सत्याग्रह शारीरिक शक्ति है
2. सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध है
3. सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है
4. सत्याग्रह के प्रयोग में किसी प्रकार की दुर्भावना शामिल नहीं होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) 3 और 4 (b) 2, 3 और 4
(c) 1 और 2 (d) 1, 2, 3 और 4

19. 'आभासी बैंकिंग प्रणाली' के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. इसे पूर्ण रूप से वाणिज्यिक बैंकों की तरह विनियमित किया जाता है।
2. यह एक संस्था है जिसका संचालन आंशिक (या पूर्ण रूप से) पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्रक के इतर होता है।
3. आभासी बैंकों की, केन्द्रीय बैंक तरलता तक कोई स्पष्ट

पहुंच नहीं होती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

20. 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' फ्रेमवर्क के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्रक में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या की जांच करना है।
2. पीसीए फ्रेमवर्क बैंकों को जोखिमपूर्ण मानता है अगर वे कुछ ट्रिगर प्वाइंटस जैसे- कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स इत्यादि जैसे कारकों में चूक जाते हैं।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

21. 'जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार, देशभर में स्थानीय निकायों द्वारा जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों का निर्माण करना शामिल है।
2. बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' तैयार करना है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

22. भारत में 17वीं शताब्दी के दौरान व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार हुआ क्योंकि:

1. मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ और विस्तृत क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था स्थापित हुई।
2. मुगलों ने उच्च गुणवत्ता के सोने के सिक्कों को ढाला जो भारत एवं विश्व के मानक सिक्के बन गए जिससे भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिला।
3. साम्राज्य में आने वाली वस्तुओं के प्रवेश पर एक समान कर आरोपित किया जाता था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

23. निम्नलिखित नीतियों एवं सुधारों में से किसे/किन्हें लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया?

1. स्थानीय निकायों पर आधिकारिक नियंत्रण को बढ़ाने हेतु कदम उठाना
2. भारत में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना
3. सिविल सेवाओं का प्रांतीय, प्रोविजनल एवं अधीनस्थ के रूप में पृथक्करण करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

24. 'सहायक संधि' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. सबसे पहले सहायक संधि को अवध ने स्वीकार किया था।
2. यह फ्रांस एवं रूस के साम्राज्यवादी ढांचे के प्रति ब्रिटिश सरकार का रक्षात्मक उपाय था।
3. सहायक संधि घेरे की नीति का ही विस्तार थी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

25. निम्नलिखित में से कौन से नेता/व्यक्तित्व सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे?

1. के. केलप्पन
2. सरोजिनी नायडू
3. सी.आर.दास
4. चन्द्रप्रभा सैकियानी
5. गोपाल कृष्ण गोखले

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 4 और 5
(c) केवल 1, 3 और 5
(d) केवल 1, 2, 3 और 5

26. 'जलियांवाला बाग हत्याकांड' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस हत्याकांड की जांच हेतु गठित हण्टर समिति में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
2. सरकार ने अपने अधिकारियों के संरक्षण हेतु क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया।
3. स्वर्ण मंदिर के पुरोहितों ने जनरल डायर को सिख घोषित कर उसको सम्मानित किया।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

27. 'उदारवादियों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इन्होंने संवैधानिक सुधारों तथा सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी की मांग की।
2. इनका सामाजिक आधार शहरों का शिक्षित मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग था।

3. इनकी वैचारिक प्रेरणाएं भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत एवं पारम्परिक हिन्दू प्रतीकों से प्रेरित थीं।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

28. निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व महात्मा गांधी द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई 11 सूत्रीय मांगों में शामिल था/थे?

1. भू-राजस्व को 75 प्रतिशत तक कम करना।
2. पोस्टल रिजर्वेशन बिल को स्वीकार करना।
3. सैन्य एवं सिविल सेवाओं पर खर्च 50 प्रतिशत तक कम करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

29. 'हेड ऑन जेनरेशन (HOG) प्रणाली' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस योजना में वैश्विक स्तर पर रेलवे में ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली का व्यापक उपयोग करना शामिल है।
2. हेड ऑन जेनरेशन प्रणाली वायु तथा ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

30. 'कैबिनेट समिति' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. इसके सदस्यों में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
3. कैबिनेट समितियाँ केवल अस्थाई प्रकृति की होती हैं।
4. इस समिति की अध्यक्षता अधिकांशत: प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 4 (d) केवल 1, 3 और 4

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 'अधिकरणों' को जोड़ा गया।
2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों के साथ-साथ संसद के सचिवालयी स्टाफ तक विस्तारित है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

32. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संसद एवं राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दल-बदल से संबंधित अयोग्यता पर उठने वाले किसी प्रश्न पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होता है और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
2. उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह सदन के किसी संशोधन के बिना दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु नियम बना सके।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

33. भारत में 'चुनाव लड़ने की अयोग्यता' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी है तथा उसे 5 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा प्राप्त है, वह चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा।
2. चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति अभियोजन के बाद जमानत पर हो तथा उसकी याचिका निस्तारण हेतु लंबित हो तो वह चुनाव लड़ सकता/सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

34. भारत में केन्द्र-राज्य संबंधो के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान में केन्द्र एवं राज्यों के बीच न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है।
2. किसी राज्य के राज्यपाल को यह निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में लागू नहीं होगा।
3. समवर्ती सूची के किसी विषय पर केन्द्रीय कानून एवं राज्य कानून के बीच विवाद होने पर केन्द्रीय कानून सदैव प्रभावी होगा।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

35. पीने योग्य जल की आपूर्ति की बुनियादी संरचना के मद्देनजर निम्नलिखित कथनों में से 'हर घर जल' अभियान के संदर्भ में कौन-सा/से सही है/हैं?

1. यह भारत में सभी घरों तक पीने योग्य सुरक्षित जल की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के

तहत उठाया गया कदम है।

2. यह सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है और 2024 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेना इसका लक्ष्य है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

36. निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए:

1. आधुनिक कला
2. नेपाल से संलग्न तराई क्षेत्रों में प्रचलित
3. रामायण एवं महाभारत विषयों पर आधारित
4. उड़ीसा में समृद्ध हुई

उपर्युक्त में से कौन-सी विशेषता/एं 'पट्टचित्र कला' के बारे में हो सकती हैं।

(a) केवल 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 2 और 4

37. प्रारंभिक काल की निम्नलिखित गुफा स्थापत्य संरचनाओं पर विचार कीजिए:

1. उंडावल्ली
2. उदयगिरी गुफाएँ
3. एलाड़ी पट्टम
4. कन्हेरी गुफाएँ

उपर्युक्त गुफाओं में से कौन-सी मुख्यत: हिंदू गुफा(एं) है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 4

38. मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. शिक्षा और स्थानीय शासन जैसे विषयों को 'आरक्षित सूची' में शामिल किया गया जबकि सिंचाई को 'हस्तांतरित सूची' में शामिल किया गया।
2. मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे जबकि कार्यकारिणी परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

39. निम्नलिखित घटनाओं में से कौन-सी लार्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान घटित हुई?

1. चौरी-चौरा कांड
2. केरल में मोपला विद्रोह
3. सी.आर. दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना
4. भारत में साइमन कमीशन का आगमन
5. बाल गंगाधर तिलक का निधन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 5 (b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

40. 'स्वदेशी आंदोलन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. रबीन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।
2. चिदम्बरम पिल्लै ने मद्रास में अभियान को फैलाया और तूतीकोरिन मिल में हड़ताल का आयोजन किया।
3. लाला लाजपत राय का कायस्थ समाचार में लेख प्रकाशित हुआ, जिसने तकनीकि शिक्षा और उद्योगों के आत्मनिर्भर होने का समर्थन किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

41. चर्चा में रहे त्यौहारों तथा उनसे सम्बन्धित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के संबंध में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

त्यौहार		राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
1. खीरभवानी मेला	:	असम
2. अम्बुबाची मेला	:	तमिलनाडु
3. चामलियाल मेला	:	जम्मू एवं कश्मीर

उपर्युक्त दिये गये युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

42. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है और एक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है।
2. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) इसका अधिदेश निर्धारित करती है।
3. यह संयुक्त राष्ट्र के बजट द्वारा समर्थित है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

43. महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह तीस्ता और महानंदा नदी के बीच स्थित है।
2. पक्षियों के संरक्षण और उनके आवास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे एक 'महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र' के रूप में नामित किया गया है।
3. रूफस-नेक्ड हॉर्नबिल पक्षी देखने वालों के लिए मुख्य आकर्षण में से एक है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) उपर्युक्त में से कोई नहीं (d) उपर्युक्त सभी

44. जेब्राफिश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक समशीतोष्ण मछली है जो मध्य एशिया और यूरोप की मूल निवासी है।
2. इसकी आनुवांशिक संरचना मनुष्यों के समान है।
3. इसमें हृदय की मांसपेशियों की मरम्मत करने की अद्वितीय क्षमता है।
4. यह विकास के तंत्र और कैंसर जैसे रोगों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

45. वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डी.एन.ए. अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है?

1. पशुधन की वंशावली जानना संभव है।
2. म्यूटाजेनिक रसायनों और कैंसर पैदा करने वाले विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से होने वाली स्वास्थ्य क्षति और जोखिमों का आंकलन करना संभव है।
3. रोग प्रतिरोधी पशु नस्लों को विकसित करना संभव है।
4. संभावित संदिग्धों की पहचान करना संभव है जिनके डीएनए अपराध के दृश्यों पर छोड़े गए साक्ष्य से मेल खाते हों।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

46. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

1. विषाणुओं में ऊर्जा-उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते।
2. विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है।
3. विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकीय संवाहकों द्वारा ही होता है।
4. वायरस की आनुवांशिक जानकारी केवल आरएनए के रूप में हो सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

47. भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मानीटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।
2. PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जब पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है।
3. GSLV Mk III, एक चार-स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है।
4. GSLV Mk III को 4 टन के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) या लगभग 10 टन लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो GSLV Mk II की क्षमता से लगभग दोगुना है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

48. सूक्ष्मजैविक ईंधन कोशिकाएं (माइक्रोबियल फ्यूल सैल) ऊर्जा का धारणीय (सस्टेनेबल) स्रोत समझी जाती हैं। क्यों?

1. ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती हैं।
2. ये विविध प्रकार के जैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं।
3. ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर

1.	(b)	13.	(d)	25.	(a)	37.	(b)
2.	(a)	14.	(b)	26.	(c)	38.	(b)
3.	(b)	15.	(a)	27.	(a)	39.	(c)
4.	(d)	16.	(b)	28.	(c)	40.	(b)
5.	(a)	17.	(b)	29.	(c)	41.	(b)
6.	(d)	18.	(a)	30.	(c)	42.	(b)
7.	(b)	19.	(b)	31.	(a)	43.	(d)
8.	(b)	20.	(c)	32.	(d)	44.	(c)
9.	(d)	21.	(c)	33.	(d)	45.	(d)
10.	(c)	22.	(c)	34.	(b)	46.	(a)
11.	(a)	23.	(c)	35.	(b)	47.	(a)
12.	(b)	24.	(b)	36.	(c)	48.	(d)

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए CAMPA नई कार्य योजना शुरू की है?

A- ओडिशा B- राजस्थान

C- उत्तर प्रदेश D- हिमाचल प्रदेश

उत्तर- A

2. भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वे खानाबदोश कृषक हैं।
2. 'लबाना' शब्द उनके प्रमुख समूह के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. कर्नाटक में, बंजारों को अनुसूचित जाति (एससी) माना जाता है।

सही कथन का चयन कीजिए।

A- 1 और 2 B- 2 और 3

C- 2 केवल D- 3 केवल

उत्तर- B

3. भारत के सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. 'भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा' के माध्यम से 1888 में भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया था।
2. 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारियों के बराबर सेना में सक्रिय लड़ाकू भूमिका निभा सकती हैं।
3. भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की संख्या 5% से भी कम है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A- 1 और 3 B- केवल 1

C- 2 केवल D- 2 और 3

उत्तर-A

4. नीलकुरिंजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह नीलगिरी की पहाड़ियों में 2700 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर खिलता है।
2. फूल में एक उत्कृष्ट गंध और संभावित औषधीय गुण होते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A- केवल 1 B- केवल 2

C- दोनों और 2 D- उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- D

5. गरुदादरी, नारायणदादरी, नीलाद्रिम शेषाद्री, वेंकटाद्री और वृषभाद्री नाम की चोटियाँ भारत में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा हैं?

A- सतपुड़ा पर्वत शृंखला

B- अरावली रेंज

C- पूर्वी हिमालय शृंखला

D- शेषचलम हिल रेंज

उत्तर- D

6. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CII की स्थापना भारत सरकार के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी।
2. इसका प्रबंधन और नेतृत्व उद्योगों द्वारा स्वयं किया जाता है।
3. CII का मुख्यालय मुंबई में है।

सही विकल्प चुनें।

A- केवल 1 और 2 B- 2 और 3

C- 1, 2 और 3 D- केवल 2

उत्तर- D

7. अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एटी1 बांड ऋण लिखत हैं जिनकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं है।
2. एटी1 बॉन्ड कॉल ऑप्शन के साथ-साथ पुट ऑप्शन दोनों प्रदान करते हैं।
3. वे तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाले हैं क्योंकि आरबीआई निवेशकों को उनकी वापसी की गारंटी देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A- केवल 1 B- 1 और 2

C- 2 केवल D- 2 और 3

उत्तर- A

8. FSSAI किसके तत्वावधान में काम करता है-

A- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

B- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

C- उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय

D- नीति आयोग

उत्तर- B

9. असम के अहोम राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. गुवाहाटी के वशिष्ठ मंदिर का निर्माण अहोम शासक राजेश्वर सिंह के समय में हुआ था।

2. अहोम सिक्के मुख्य रूप से अष्टकोणीय आकार में ढाले जाते थे।

3. चराइदेव अहोम राजाओं और कुलीनों का पारंपरिक दफन स्थल है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A- 1 और 2 B- 2 और 3

C- 3 केवल D- उपरोक्त सभी

उत्तर- D

10. भारत में ड्रग रेगुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत में केंद्रीय दवा प्राधिकरण है।

2. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए मानक स्थापित करता है।

सही विकल्प चुनें-

A- केवल 1 B- केवल 2

C- 1 और 2 दोनों D- उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

11. भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. एक नगरपालिका बंधन एक ऋण साधन है जो ज्यादातर संघीय करों और अधिकांश राज्य और स्थानीय करों से मुक्त है।

2. हाल ही में, सेबी ने भारत में बांड बाजारों को विकसित करने के लिए नगरपालिका बांडों पर एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया।

3. अहमदाबाद नगर निगम ने 1997 में भारत में पहली बार म्युनिसिपल बांड जारी किए।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 2 B- केवल 2

C- 1 और 3 दोनों D- केवल 1 और 2

उत्तर- D

12. दुनिया भर के निम्नलिखित हाथियों पर विचार करें।

1. हाथी मातृसत्तात्मक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों में रहते हैं।

2. सभी अफ्रीकी हाथियों को IUCN 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. भारत में, हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A- केवल 3 B- 1 और 3

C- 1 और 2 D- उपरोक्त सभी

उत्तर- B

13. श्रीलंका में हाल के आर्थिक संकट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे कुछ देशों को ऋण प्रदान करता है।

2. आयात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है।

3. चीन, जापान और भारत श्रीलंका के प्रमुख लेनदार हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है-

A- कथन 1 और 2 सही हैं।

B- कथन 2 और 3 सही हैं।

C- कथन 1 और 3 सही हैं।

D- सभी कथन सही हैं।

उत्तर- D

14. 2022 में चीन की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।

2. चीन की स्वतंत्रता के बाद उसकी जनसंख्या में कभी कमी नहीं आई।

3. 2021 की जनगणना में चीन में जन्म की संख्या मृत्यु की संख्या से अधिक थी।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है-

A- कथन 1 और 2

B- कथन 2 और 3

C- कथन 1 और 3

D- इनमें से कोई नहीं

उत्तर- B

15. प्रकाश प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. प्रकाश प्रदूषण प्रकाश के मानवजनित स्रोतों के कारण होने वाले रात के प्राकृतिक प्रकाश स्तरों में परिवर्तन है।

2. प्राकृतिक प्रकाश का स्तर प्राकृतिक आकाशीय स्रोतों जैसे कि चंद्रमा, प्राकृतिक वायुमंडलीय उत्सर्जन (एयरग्लो), सितारों और आकाशगंगा, और राशि चक्र प्रकाश द्वारा नियंत्रित होता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है-

A- कथन 1 सही है।

B- कथन 2 सही है।

C- दोनों कथन सही हैं।

D- कोई भी कथन सही नहीं है।

उत्तर- **C**

व्यक्तित्व

भारत कोकिला सरोजिनी नायडू

सुप्रसिद्ध कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और नारीवादी आंदोलन की प्रखर नेता के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सरोजनी नायडू देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं में शुमार थी। वह अपने साथियों और भारतीय नव युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती थीं।

सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी, 1879 को हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुन्दरी था। उनके पिता उन्हें विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ना देखना चाहते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस क्षेत्र में नहीं थी। 12 साल की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया।

इंग्लैंड में उन्होंने लंदन के 'किंग्ज कॉलेज' और 'कैम्ब्रिज के गर्टन कॉलेज' में शिक्षा ग्रहण की। गौरतलब है कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता 'द लेडी ऑफ लेक' लिखी थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोल्डन थ्रेसहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलांबु, ट्रेवलर्स सांग इत्यादि शामिल है। सरोजिनी नायडू के कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया।

एक महान कवयित्री की तरह सरोजिनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। वर्ष 1902 में सरोजनी नायडू ने कलकत्ता में एक ओजस्वी भाषण दिया जिससे गोपालकृष्ण गोखले बहुत प्रभावित हुए। इस तरह गोखले ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने की बात कही। बाद में साल 1914 में सरोजिनी नायडू की मुलाकात लंदन में गांधी जी से हुई। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजिनी नायडू की राजनीतिक सक्रियता काफी बढ़ गई और वह कांग्रेस की एक ओजस्वी प्रवक्ता बन गई। उन्होंने कांग्रेस की बहुत सारी समितियों में काम किया और देशभर में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपना कैसर-ए-हिन्द का खिताब वापस कर दिया था। सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके अलावा, उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। साल 1930 के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू, गांधी जी के साथ चलने वाले स्वयंसेवकों में से एक थीं। गौरतलब है कि जब महात्मा गांधी को गोलमेज कांफ्रेंस में बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया तो उनके साथ प्रतिनिधि मंडल में सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं। 1932 में जब गांधी जी को जेल भेजा गया तो उन्होंने आंदोलन को गति एवं दिशा देने का उत्तरदायित्व सरोजिनी नायडू को ही दिया था। 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान जब गांधी जी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सरोजनी ने कई मौकों पर कांग्रेस के भीतर उठे विवादों को हल करने में महती भूमिका निभाई थी।

भारत की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल पद पर नियुक्ति पाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गईं। एक महान कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी के अलावा सरोजनी नायडू नारी-मुक्ति आंदोलन की भी शीर्ष नेत्री थीं। वे भारत की सबसे पुरानी और महत्त्वपूर्ण नारी संस्था 'अखिल भारतीय महिला परिषद' से भी जुडी थीं। आपको बता दें आज भारतीय महिलाओं को जो तमाम राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकार मिले हैं, उसमें इस संस्था का काफी योगदान रहा है।

2 मार्च, 1949 को भारत माता के इस अमर बेटी का निधन हो गया। भारतीय इतिहास में इस महान नायिका को आगे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा भारत कोकिला, 'राष्ट्रीय नेत्री' और नारी मुक्ति आन्दोलन की समर्थक के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा।

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

JOIN

ALL INDIA UPSC PRELIMS SURE SUCCESS 2023

MOCK TEST Starts: 12 FEB. 2023

Mode: Online Only *(Hindi & English Medium)*

and

"Get a Chance to Win

iPhone 14
iPads
&
Cash Prizes"

FOR OVERALL 8 TOPPERS OF 12 TESTS*

FOR EVERY TEST 10 TOPPERS#

First ever program based on previous Years Questions (PYQs) for Success in Prelims

Prizes	
iPhone 14	Overall Rank 1 of 12 Tests
iPad	Overall Rank 2 & 3 of 12 Tests
₹ 2,500	Overall Rank 4 to 8 of 12 Tests
₹ 1,000	Rank 1 to 10 of Each Test

Download the Dhyeya IAS Online App Now

*T&C Apply

"SURE SUCCESS UPSC PRELIMS 2023 MOCK TEST" मे शामिल है''

- ☑ विगत वर्षों के प्रश्न
- ☑ विगत 15 वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण
- ☑ संशोधित विगत वर्षों के प्रश्न
- ☑ विगत 2 वर्षों के करेंट अफेयर्स का समग्र कवरेज
- ☑ करेंट अफेयर्स प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्न
- ☑ वीडियो तथा PDF के माध्यम से प्रत्येक प्रश्नपत्र का विश्लेषण
- ☑ विषयवार महत्वपूर्ण विषयवस्तु
- ☑ विकल्पों के माध्यम से निरसन (Elimination) तकनीक

Test Series Price ₹ ~~4999/-~~ ₹499/-

For More Details Call : 9205274741 / 42, 9289580074

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744